चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 04 सितंबर– 10 सितंबर 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

भ्रष्टाचार का अड्डा बना यूपी का उड्डयन महकमा, घोटाले भर रहे ऊंची उड़ान

सरकारी विमान से सेना की जासूसी!

अनसुनी की जा रही सीबीआई जांच की मांग

आईबी ने शुरू की जांच तो लगा दिया अड़ंगा

उड्डयन निदेशालय परोस रहा झूठ पर झूठ

सरकार को मिल रहा कोर्ट का सीधा संरक्षण

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश के सरकारी विमान से सेना की जासूसी होती है! संवेदनशील सैन्य क्षेत्र की सरकारी विमान से वीडियोग्राफी कराई जाती है! यह कितनी हैरत करने वाली बात है! इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं. यूपी सरकार के लिए विमानों और हेलीकॉप्टरों की खरीद-बिक्री में हुए हजारों करोड़ के घोटाले की भी केंद्रीय जांच एजेंसी से छानबीन कराए जाने की मांग हो रही है. सीबीआई से जांच कराने की संवैधानिक जिद किसी नागरिक के लिए बहुत भारी पड़ रही है. सरकार उससे नाराज, सम्बद्ध महकमा उससे नाराज, प्रशासन उससे नाराज और अदालत भी उससे नाराज. सरकार और सम्बद्ध विभागों की नाराजगी तो जाहिर है, लेकिन अदालत की नाराजगी का क्या मतलब है? अदालत का औचित्य दूध और पानी के घालमेल को अलग-अलग करने में है, पर यूपी में यह औचित्य साबित नहीं हो रहा. अगर किसी मामले की जांच चल रही हो तो देश की सर्वोच्च अदालत भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ भ्रष्टाचार और देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामले की छानबीन में हस्तक्षेप करने और जांच अधिकारी को आड़ा-तिरछा करने में कतई संकोच नहीं करती. अदालत को इस बात का भी बुरा लग जाता है कि किसी नागरिक ने जज और भाड़े के सरकारी वकील की शिकायत सर्वोच्च न्यायाधीश, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से क्यों कर दी और प्रधानमंत्री के आदेश पर गृह मंत्रालय ने मामले की जांच क्यों शुरू कर दी.

उत्तर प्रदेश का नागरिक उड्डयन निदेशालय लंबे अर्से से भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और संदेहास्पद गतिविधियों का अड्डा रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस विभाग के मुखिया होते रहे हैं. सरकारी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों पर सारी तफरीहें होती हैं, लिहाजा कोई भी मुख्यमंत्री उड्डयन विभाग की करतूतों पर चुप्पी साधे रहता है और अफसर मौज करता रहता है. मुलायम-मायावती-अखिलेश काल में तो नागरिक उड्डयन महकमे का कबाड़ा ही निकल गया. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिक उड्डयन की टोपी नंदगोपाल नंदी को पहना दी है. मंत्री कोई भी हो, सच यही है कि संत-काल में भी पुराने पापी ही योगी का पुण्य भोग रहे हैं. जिस प्रसंग में यह खबर लिखी जा रही है, वह लंबे समय से चले आ रहे क्रमिक-घोटाले और देश-विरोधी हरकतों का धारावाहिक है. इस प्रसंग को दफन करने की तमाम असंवैधानिक कोशिशें होती चली आ रही हैं, लेकिन लोकतांत्रिक प्रयासों से वह उतना ही सुगबुगा कर बाहर आ जाता है और प्रासंगिक बना रहता है.

उत्तर प्रदेश का नागरिक उड्डयन निदेशालय लंबे अर्से से भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और संदेहास्पद गतिविधियों का अड्डा रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस विभाग के मुखिया होते रहे हैं. सरकारी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों पर सारी तफरीहें होती हैं, लिहाजा कोई भी मुख्यमंत्री उड्डयन विभाग की करतूतों पर चुप्पी साधे रहता है और अफसर मौज करता रहता है.

ऐसा ही अराजक रहा है यूपी का उड्डयन विभाग

उत्तर प्रदेश का उड्डयन महकमा कितना अराजक और भ्रष्ट है, यह आपको पता चल ही गया होगा. थोड़ी कसर बाकी हो तो मायावती काल का एक और प्रसंग देखते चलें. वह एक सितम्बर 2008 की रात थी. पाइलट से प्रदेश के कैबिनेट सेक्रेटरी बने शशांक शेखर सिंह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती को लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी. मायावती को पहले संत कबीर नगर, फिर फैजाबाद ले जाया गया. जिस सिंगल इंजिन हेलीकॉप्टर पर मायावती को बैठा कर रात में ले जाया गया, वह हेलीकॉप्टर रात की फ्लाइंग के लिए कानूनन प्रतिबंधित है. उसमें रात्रि उड़ान के उपकरण नहीं हैं. रात में जब मायावती को लेकर वह हेलीकॉप्टर संत कबीर नगर से उड़ा तो टेक-ऑफ के लिए कारों की बत्तियां जलानी पड़ीं. फिर फैजाबाद में नाइट लैंडिंग का खतरनाक जोखिम उठाया गया. उसके बाद लखनऊ से विमान मंगवाया गया, तब मायावती वापस लौटीं. सिंगल इंजिन वाला जर्जर हेलीकॉप्टर खुद शशांक और विंग कमांडर आरएन सेनगुप्ता उड़ा रहे थे. प्रतिबंधित हेलीकॉप्टर को रात में उड़ाने का मसला केंद्रीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) में तूल न पकड़े इसके लिए उड़ान दस्तावेजों में समय को लेकर फर्जी तथ्य दर्ज किए गए. फैजाबाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, लिहाजा हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का समय शाम सवा छह बजे और लखनऊ से रेस्क्यू के लिए गए विमान का टेक-ऑफ टाइम साढ़े छह बजे दर्ज कर दिया गया. लेकिन लखनऊ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में मायावती को लेकर आए सुपर किंग एयरविमान के लखनऊ पहुंचने का समय आधिकारिक तौर पर रात का सवा आठ दर्ज है. अगर हवाई जहाज ने साढ़े छह बजे शाम को फैजाबाद से लखनऊ के लिए उड़ान भरी तो उसे लखनऊ पहुंचने में सवा दो घंटे क्यों लगे? मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर उड्डयन महकमे की लापरवाही का आलम यह है कि मायावती को 'रेस्क्यू' कर लाने के लिए भेजे गए विमान को भी अयोग्य घोषित पाइलट ही उड़ा रहे थे. इनमें एक थे वयोवृद्ध कैप्टन पीसीएफ डिसूजा, जो मेडिकली अनफिट थे और दूसरे थे कैप्टन वीवी सिंह जो उस समय तकरीबन 62 साल के थे और डीजीसीए की शर्तों के मुताबिक उड़ान के लिए सक्षम नहीं थे.

उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन महकमे के घोटाले, सरकारी विमान से सेना की जासूसी और अफसरों की देश-विरोधी हरकतों पर हम बाद में तफसील से चर्चा करेंगे, पहले हम यह देखते हैं कि इस मामले में किस तरह परस्पर विरोधाभासी सरकारी दलीलें दी गईं, झूठे तथ्य रखे गए, किस तरह उन झूठे तथ्यों पर अदालत ने मुहर लगाई और किस तरह पूरे मामले को कानून की गुत्थियों में फेंट कर रख दिया गया ताकि यह मामला कभी न सुलझे. शासन से लेकर अदालत तक, किसी ने भी निष्पक्ष जांच के जरिए असली सच जानने की कोशिश नहीं की. उसे ढंकने की ही कोशिश की. घोटालों को उजागर करने के कारण ही उड्डयन निदेशालय के कर्मचारी देवेंद्र कुमार दीक्षित को नौकरी से निकाल बाहर किया गया. अदालत ने यह माना कि दीक्षित के खिलाफ लगाए गए आरोपों को औपचारिक तौर पर दर्ज किए बगैर उन्हें निकाला गया. फिलहाल यह मामला अदालत में लंबित है. उसी कर्मचारी ने उड्डयन विभाग के तीन हजार करोड़ के घोटाले और अफसरों की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल कर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी. अदालत ने महज इस बात पर याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता ने एक अन्य लंबित याचिका के बारे में अदालत को जानकारी क्यों नहीं दी. याचिकाकर्ता ने इस त्रुटि के लिए क्षमा मांगते हुए दोनों याचिकाओं को एक साथ 'क्लब' करने की गुहार लगाई लेकिन अदालत ने एक नहीं सुनी. यहां तक कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेकर उसे दोबारा फाइल करने की भी इजाजत चाही, लेकिन अदालत ने इसकी इजाजत नहीं दी और याचिका खारिज कर दी. उधर, सरकार ने अपनी जांच रिपोर्ट में किसी भी घोटाले और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को सिरे से नकार दिया. याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान इस तरफ भी दिलाया कि सरकार की जांच रिपोर्ट फर्जी है. शासन स्तर पर ऐसी कोई जांच ही नहीं हुई. कागजी तौर पर जो जांच कमेटी गढ़ी गई, उसमें वही लोग शामिल थे, जिन पर घोटाले में शामिल होने का आरोप है. उन्हीं 'कोतवालों' ने अपने और अपने साथियों को बेदाग बता दिया और यह भी लिख दिया कि ऐसी याचिकाएं तो पहले भी दाखिल हुई हैं और खारिज हुई हैं.

दीक्षित के पास शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की आर्थिक ताकत नहीं थी, लिहाजा, उन्होंने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार के तहत एक आम (शेष पृष्ठ 2 पर)

4 देवभूमि पर तबाही लाएंगे बड़े बांध

5 इस्लाम में औरतों को तमाम हुकूक मुहैया हैं

6 सृजन घोटाला : हर कमीज गंदी किसे बेदाग कहें

7 बाढ़ की विभीषिका हमारी लापरवाही का नतीजा है

सरकारी विमान से सेना की जासूसी!

पृष्ठ 1 का शेष

नागरिक की हैसियत से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर याचिका खारिज करने वाले दो जजों एपी शाही और एआर मसूदी की भूमिका की जांच की मांग कर दी. इस मांग पत्र में उड्डयन निदेशालय के घोटाले और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों की जांच की मांग भी शामिल थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें से केवल जजों की शिकायत का प्रसंग उठा लिया और तत्कालीन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वीके शुक्ला के आदेश पर लखनऊ खंडपीठ की तरफ से देवेंद्र कुमार दीक्षित पर अदालत की

देवेंद्र कुमार दीक्षित: व्हिसिल ब्लोअर होने का भुगत रहे खामियाजा.

अवमानना का मामला दर्ज कर दिया गया. उधर, दीक्षित ने भाड़े के सरकारी वकील जयदीप नारायण माथुर के खिलाफ जांच के लिए भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया था.

प्रधानमंत्री कार्यालय ने दीक्षित के पत्र का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय को जरूरी कार्रवाई करने को कहा. गृह मंत्रालय के आदेश पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मामले की खुफिया जांच शुरू कर दी. इस जांच के सिलसिले में आईबी के अधिकारी एके तिवारी ने जयदीप नारायण माथुर से भी पूछताछ की, लेकिन इसपर हाईकोर्ट को गुस्सा आ गया. जयदीप नारायण माथुर ने अदालत से शिकायत की और कहा कि एके तिवारी ने शिकायत-पत्र के आधार पर छानबीन करने की बात तो कही लेकिन

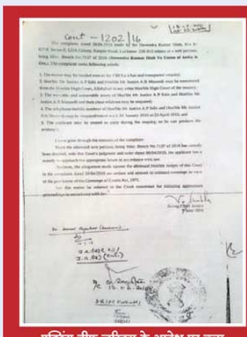

एक्टिंग चीफ जस्टिस के आदेश पर चला अवमानना का मुकदमा, लेकिन बीच में ही सील कर दिया गया.

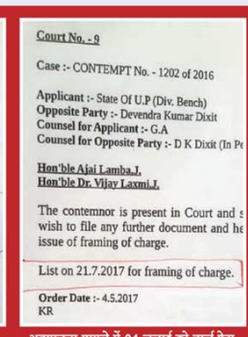

Court No. - 9

Case :- CONTEMPT No. - 1202 of 2016

Applicant :- State Of U.P (Div. Bench)
Opposite Party :- Devendra Kumar Dixit
Counsel for Applicant :- G.A
Counsel for Opposite Party :- D K Dixit (In Pe

Hon'ble Ajai Lamba, J.
Hon'ble Dr. Vijay Laxmi, J.

The contemnor is present in Court and s wish to file any further document and he issue of framing of charge.

List on 21.7.2017 for framing of charge.

Order Date :- 4.5.2017
KR

अवमानना मामले में 21 जुलाई को चार्ज फ्रेम होना था, लेकिन रहस्यमय तरीके से उसे टाल दिया गया.

माथुर को शिकायत पत्र भी मिल गया और अवमानना मामले की ऑर्डर शीट भी हासिल हो गई.

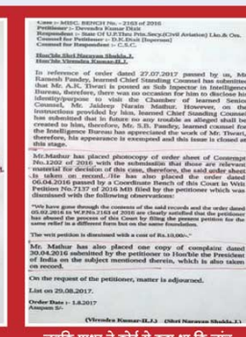

जबकि माथुर ने कोर्ट से कहा था कि जांच अधिकारी ने उन्हें कॉपी नहीं दी थी.

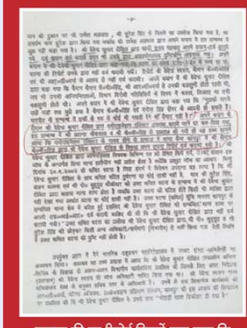

सरकार की वह रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि दीक्षित पर कानपुर के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी.

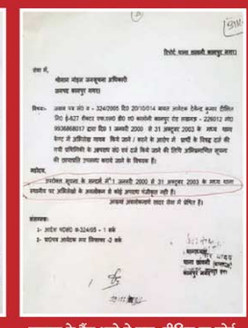

कानपुर के कैंट थाने ने कहा, दीक्षित पर कोई एफआईआर नहीं.

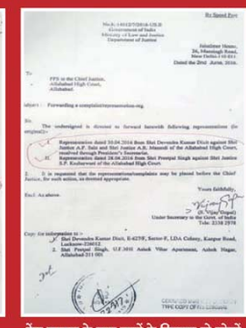

केंद्र सरकार के पास जजों के खिलाफ दो लोगों ने पत्र भेजा था, लेकिन अवमानना का मुकदमा चला एक पर.

उड्डयन निदेशालय ने एक आरटीआई पर कहा कि अवमानना मामले में निदेशक भी हैं पक्षकार.

फ़र्ज़ी नौकरशाह के फ़र्ज़ी आदेश पर बर्ख़ास्तगी असली

सत्ता के गलियारे से जो चिट्ठियां जारी हो रही हैं या जो आदेश जारी हो रहे हैं उनके फर्जी होने का चांस ज्यादा है. यह मुलायम और उसके बाद सत्ता में आई मायावती के शासन-काल से जारी है. उसके बाद तो यह चलन ही हो गया. अधिकतर सरकारी आदेश कार्रवाई के धरातल पर या अदालत की दहलीज पर जाकर इसीलिए नाकारा साबित हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार नौकरशाहों के फर्जी हस्ताक्षर से कार्रवाइयां कर रही है या जो नौकरशाह सम्बन्धित विभाग में कभी रहा ही नहीं, उसके नाम और हस्ताक्षर से भी संवेदनशील आदेश जारी कर रही है. उत्तर प्रदेश में डमी नौकरशाहों के जरिए संदेहास्पद और विवादास्पद आदेश जारी कराने का धंधा लम्बे अरसे से चल रहा है. सरकार ने इतने झूठ रच दिए हैं कि अब उसे याद भी नहीं रहता कि कहां झूठ बोला और कहां सच. इसी गड्डमड्ड में सरकारी दस्तावेज ही सरकार की जालसाजियां उजागर कर रहे हैं. शासन तंत्र चलाने वाले नौकरशाहों में इतनी भी हया नहीं है कि अपने गोरखधंधे की छाया से कम से कम मुख्यमंत्री के अधीन वाले विभाग को बख्श दें. प्रदेश के कुछ संवेदनशील विभागों में से एक नागरिक उड्डयन महकमा नौकरशाहों के फर्जी धंधों का गोदाम है. स्वनामधन्य कैबिनेट सेक्रेटरी शशांक शेखर सिंह इसी विभाग की पैदाइश थे, जो अपने धंधेबाज-हुनर की वजह से पाइलट होते हुए भी नौकरशाही के वरिष्ठतम पद पर आसीन हुए और कैबिनेट सचिव होकर तमाम आईएएस अफसरों और नेताओं को खूब नाच नचाया. अब केवल नाम बदल गया है, दूसरे सफेदपोश चेहरे नागरिक उड्डयन विभाग में उसी काले धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं. इनके काले धंधे और सरकार के काले 'सच' की कुछ बानगियां देखें. सरकार ने उड्डयन निदेशालय के कई कर्मचारियों-अधिकारियों को नौकरी से बाहर निकाला था. सरकार द्वारा जारी बर्खास्तगी आदेशों पर ऐसे वरिष्ठ नौकरशाह का हस्ताक्षर बनाया गया, जो संदर्भित तारीखों में उड्डयन महकमे में कभी तैनात ही नहीं रहा. इन फर्जी आदेशों के आधार पर कर्मचारियों को नौकरी से बेदखल कर दिया गया, लेकिन बर्खास्तगी का कोई कानूनी आधार नहीं बना. उड्डयन के कुछ अधिकारी तो यह भी कहते हैं कि फर्जी आदेशों पर नौकरी से निकाले गए कई कर्मचारियों के नाम पर वेतन वगैरह यथावत निकाले जाते रहे हैं. बर्खास्तगी के कुछ आदेशों पर उड्डयन महकमे के निदेशक के रूप में वरिष्ठ आईएएस प्रदीप कुमार के हस्ताक्षर पाए गए. सरकार कहती है कि प्रदीप कुमार उड्डयन महकमे के निदेशक कभी रहे ही नहीं. फिर 'बेचारे' कर्मचारियों की बर्खास्तगी का परवाना काटने वाले प्रदीप कुमार कौन हैं? उड्डयन विभाग के कर्मचारियों के सामने केवल बेरोजगार होने का ही सवाल नहीं है, उनके सामने प्रदीप कुमार की पहचान का भी सवाल है. बर्खास्त कर्मचारी ऐसे सवाल पिछले करीब डेढ़-दो दशक से ढो रहे हैं. सरकार के दस्तावेज खुद ही इस गम्भीर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करते हैं. सरकार के दो दस्तावेज देखिए. विचित्र किंतु सत्य. एक दस्तावेज 30 जनवरी 2013 का है जिसमें सरकार कहती है कि प्रदीप कुमार ने 08 मार्च 2002 को उड्डयन महकमे में निदेशक का पदभार सम्भाला था और 19 मार्च 2003 तक वे इस पद पर बने रहे. अब उत्तर प्रदेश सरकार का ही दूसरा दस्तावेज देखिए. 21 फरवरी 2013 को जारी यह सरकारी दस्तावेज बताता है कि 08 मार्च 2002 से 19 मार्च 2003 के बीच की अवधि की विभिन्न तारीखों में प्रदीप कुमार आबकारी-पर्यावरण, वन, पंचायती राज और गृह विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर तैनात रहे. यानि उक्त तारीखों में प्रदीप कुमार उड्डयन निदेशालय में तैनात नहीं थे. फिर कर्मचारियों की बर्खास्तगी का आदेश कैसे जारी हो गया? किसने जारी किया? बर्खास्तगी आदेश पर जिस प्रदीप कुमार के हस्ताक्षर हैं, वह प्रदीप कुमार कौन है? सरकार के दो विरोधाभासी दस्तावेज क्या बताते हैं? सरकारी फर्जीवाड़े की इस गम्भीर घटना पर सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सवाल सामने तो हैं, लेकिन आप यकीन मानिए, इस पर न कोई कार्रवाई होगी और न कोई जवाब आएगा.

मांगने पर शिकायत-पत्र की प्रति उन्हें नहीं दी. लखनऊ पीठ के जज श्रीनारायण शुक्ल और वीरेंद्र कुमार ने बिना यह जांचे कि एके तिवारी किस जांच एजेंसी के अधिकारी हैं, फौरन यूपी के पुलिस महानिदेशक को तलब कर एके तिवारी को एक अगस्त 2017 को कोर्ट में हाजिर करने को कहा. सूचना मिलने पर एक अगस्त को इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अदालत को यह आधिकारिक जानकारी दी कि एके तिवारी यूपी पुलिस के नहीं, बल्कि आईबी के अधिकारी हैं. आईबी ने आधिकारिक तौर पर एके तिवारी के काम को सराहा और बताया कि आईबी का अधिकारी होने के नाते छानबीन के दरम्यान वो अपना परिचय (आईडेंटिटि) बताने के लिए बाध्य नहीं हैं. मामले में आईबी का इन्वॉल्वमेंट देख कर अदालत ने इस मामले को ही बंद (क्लोज) कर दिया. एक अगस्त के अपने फैसले में जजों ने लिखा कि माथुर ने शिकायत पत्र (कम्प्लेंट) की कॉपी कोर्ट में प्रस्तुत की है, लेकिन माथुर से यह नहीं पूछा कि जब आईबी के अधिकारी ने उन्हें कॉपी दी ही नहीं थी तो शिकायत-पत्र की कॉपी उन्हें कहां से मिल गई? देवेंद्र कुमार दीक्षित पर चल रहे अवमानना मामले में कोर्ट के ऑर्डर-शीट की कॉपी भी माथुर ने कोर्ट में पेश की. कोर्ट ने इसका अपने फैसले में भी जिक्र किया, लेकिन माथुर से यह नहीं पूछा कि कंटेम्प्ट का मामला चलने के बारे में उन्हें कैसे पता चला?

बहरहाल, विचित्रताओं का एक और दृश्य साथ-साथ देखते चलें. देवेंद्र कुमार दीक्षित पर चल रहे अवमानना मामले में डिवीजन बेंच के जज अजय लाम्बा और डॉ. विजय लक्ष्मी ने 21 जुलाई 2017 को चार्ज-फ्रेम (अभियोग निर्धारण) करने की तारीख मुकर्रर की थी. उस तारीख को जब दीक्षित कोर्ट पहुंचे और चार्ज-फ्रेम करने को कहा तब कोर्ट ने उन्हें जानकारी दी कि 'कंटेम्प्ट' की फाइल सील-कवर में रख दी गई है. कोर्ट ने फाइल सील किए जाने की वजह नहीं बताई और इसे बताने में अपनी असमर्थतता जाहिर की. आश्चर्यजनक पहलू यह भी है कि सूचना के अधिकार के तहत उड्डयन निदेशालय से कुछ जानकारियां मांगने पर निदेशालय ने एक वकील नित्यानंद मणि त्रिपाठी को बताया कि अदालत में चल रहे अवमानना (कंटेम्प्ट) मामले के कारण विभाग कोई सूचना नहीं दे सकता, क्योंकि उस मामले में नागरिक उड्डयन के निदेशक देवेंद्र स्वरूप पक्षकार हैं. सवाल है कि जिस व्यक्ति (वकील) का इस मसले से कोई सरोकार नहीं है, उसे कंटेम्प्ट-केस के बारे में बताने का क्या औचित्य था? और दूसरी गंभीर बात यह है कि अवमानना मामला सीधे कोर्ट की तरफ से दर्ज हुआ है, फिर नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक इसके पक्षकार कैसे हो गए? सवाल यह भी है कि विभिन्न जजों की संदेहास्पद भूमिका की जांच के लिए देवेंद्र कुमार दीक्षित के अलावा किसी प्रीतपाल सिंह ने भी कानून मंत्रालय को पत्र लिखा था और उन दोनों पत्रों पर केंद्र सरकार ने आवश्यक कार्रवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शासकीय पत्र भेजा था. दीक्षित कहते हैं कि अकेले उनके खिलाफ ही अवमानना का मामला क्यों चलाया गया और उसे अचानक बीच में ही रहस्यमय तरीके से सील क्यों कर दिया गया? इस तरह के कई सवाल हैं और ऐसी कई गुत्थियां हैं, जिनके पेचोखम बहुत ऊंचे स्तर की मिलीभगत और साठगांठ की तरफ इशारा करते हैं. यह साठगांठ सीबीआई जांच के बगैर उजागर नहीं हो सकती, और तंत्र सीबीआई से जांच नहीं होने देने पर आमादा है.

उत्तर प्रदेश सरकार के विमान और हेलीकॉप्टरों की शाहंशाहाना उड़ानों, मेला-महोत्सवों में टैक्सी की तरह अतिथियों को ढोने और विमानों को बेवकूफाना तरीके से उड़ा कर क्षतिग्रस्त करने की तमाम खबरें-शिकायतें आपने सुनी होंगी. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के विमानों का इस्तेमाल अपने ही देश के खिलाफ जासूसी के लिए होता हो, सरकारी विमानों से संदेहास्पद महिलाओं का आना-जाना होता हो, विदेशी महिलाओं को हेलीकॉप्टर से सीमा पार कराया जाता हो और इन घटनाओं को लेकर सरकार आधिकारिक तौर पर झूठी सूचना दर्ज कराती हो, यह आम तौर पर नहीं सुना जाता. लेकिन आप सुन लें, यह उत्तर प्रदेश की सरकारी-वैमानिकी की असलियत है.

अदालत में जाने के पहले उत्तर प्रदेश सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के समक्ष जो गंभीर शिकायत आई थी, सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया, फिर अदालत ने भी संज्ञान नहीं लिया. हम उसका संज्ञान लेते चलें. शिकायत थी कि सरकारी विमान से कानपुर के संवेदनशील सैन्य क्षेत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई. इस वीडियो रिकॉर्डिंग के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले तत्व शरीक थे. उड्डयन निदेशालय के फोन से लगातार पाकिस्तान कॉल्स होते रहे और बातें होती रहीं. पाकिस्तान के टेलीफोन नम्बर्स भी दिए गए थे, जहां-जहां उड्डयन निदेशालय के दफ्तर से कॉल्स किए जाते थे. लॉग बुक में औपचारिक इंट्री किए बगैर संदेहास्पद महिलाओं को विमान द्वारा लखनऊ लाया गया और दिल्ली ले जाया गया. बाद में लॉग बुक फर्जी तरीके से भर दिया गया. संदर्भित उड़ान वाले दिन की खाली लॉग बुक की प्रति और बाद में भरे हुए लॉग बुक की प्रतिलिपि भी विभाग को दी गई थी. डॉल्फिन हेलीकॉप्टर से एक अज्ञात विदेशी महिला को नेपाल सीमा तक पहुंचाया गया और विमानों की खरीद में विदेशी कम्पनी के साथ मिल (शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 27
04 सितंबर- 10 सितंबर 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्ट्रीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999
6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786
+91-8451050786
+91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सरकारी विमान से सेना की जासूसी!

पृष्ठ 2 का शेष

कर खूब घोटाला किया गया. ये सारी बातें सरकार को और बाद में अदालत को बताई गई थीं. इन शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा यह कह दिया कि जांच कमेटी गठित हुई, जांच हुई और शिकायतें फर्जी पाई गईं. लेकिन सच यह है कि सरकार का यह बयान ही फर्जी है. सरकार अपना ही झूठ भूल गई और सच सरकार के जरिए ही उद्घाटित हो गया. उड्डयन निदेशालय से उड़ान से सम्बन्धित 'ऑथोराइजेशन रजिस्टर' मांगा गया तो विभाग ने पहले तो आनाकानी की फिर बाद में कह दिया कि रजिस्टर देवेंद्र कुमार दीक्षित ने गायब कर दिया. विभाग ने कहा कि इसपर दीक्षित के खिलाफ कानपुर के छावनी (कैंट) थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी. जबकि इस बारे में पूछने पर छावनी थाने का आधिकारिक जवाब आया है कि देवेंद्र कुमार दीक्षित के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है.

अब जबकि सरकार का झूठ खुद ब खुद सामने आ गया तो यह सवाल भी सामने आया कि इतनी गम्भीर शिकायतों को छिपाने या दबाने की प्रदेश सरकार ने कोशिश क्यों की? राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में कहीं बड़े नेता और बड़े नौकरशाह तो शामिल नहीं? जब शिकायतों की जांच ही नहीं हुई तो शिकायतें बेबुनियाद बता कर खारिज कैसे की जा सकती हैं? शिकायतों में दम है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विमानों का बेजा इस्तेमाल होता रहा है. चाहे वे राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए होता रहा हो या ऐशो-आराम के लिए. उत्तर प्रदेश सरकार ने औपचारिक रूप से कहा था कि इन शिकायतों की बाकायदा तीन सदस्यीय जांच समिति ने छानबीन की और उसे निराधार पाया. लेकिन कुछ ही अंतराल के बाद सरकार अपना ही जवाब भूल गई. जब दोबारा सरकार से उन शिकायतों का हवाला देते हुए जांच समिति गठित होने का ब्यौरा मांगा गया तो सरकार ने सीधे कहा कि इन शिकायतों की जांच के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई थी. लिहाजा, सरकार के इस जवाब से वे सारे सवाल आधारहीन साबित हो गए कि किसके आदेश से जांच समिति गठित हुई, समिति के अध्यक्ष और सदस्य कौन थे और जांच की रिपोर्ट क्या है, वगैरह-वगैरह.

ऐशो-आराम और मौज-मस्ती में सरकारी विमानों के इस्तेमाल का मामला समाजवादी सरकार के सैफई महोत्सव के समय भी उठा था. मुख्यमंत्री अखिलेश इस पर खूब नाराज भी हुए थे लेकिन सैफई महोत्सव समाप्त होने के बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी थी. जब तक महोत्सव चला तब तक अखिलेश सरकार ठुमके

ऐशो-आराम और मौज-मस्ती में सरकारी विमानों के इस्तेमाल का मामला समाजवादी सरकार के सैफई महोत्सव के समय भी उठा था. मुख्यमंत्री अखिलेश इस पर खूब नाराज भी हुए थे लेकिन सैफई महोत्सव समाप्त होने के बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी थी. जब तक महोत्सव चला तब तक अखिलेश सरकार ठुमके देखने में मस्त रही और जमीन के लोग अपने नेताओं, अफसरों, उनके परिवार के सदस्यों और फिल्मी हस्तियों को लाने-ले जाने में मिनट-मिनट पर आसमान में घर-घों कर रहे सरकारी विमान और हेलीकॉप्टरों को देख-देख कर निहाल होते रहे.

देखने में मस्त रही और जमीन के लोग अपने नेताओं, अफसरों, उनके परिवार के सदस्यों और फिल्मी हस्तियों को लाने-ले जाने में मिनट-मिनट पर आसमान में घर-घों कर रहे सरकारी विमान और हेलीकॉप्टरों को देख-देख कर निहाल होते रहे. तब उड़ान-ईंधन पर हुए खर्च को लेकर भी सवाल उठे थे. सरकार के जवाब से यह भी पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास काफी 'फ्यूल इफिशिएंट' विमान और हेलीकॉप्टर हैं. तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तब यह 'सच-सच' बताया था कि महोत्सव पर पांच-छह करोड़ रुपए से अधिक खर्च नहीं हुए. हालांकि यह आंकड़ा हर बयान के साथ इधर-उधर खिसकता रहा. जब पूरे महोत्सव पर कुल खर्च पांच-छह करोड़ ही आया तो उसी झूठ-गणित से विमानों और हेलीकॉप्टरों की चकरघिन्नियों पर आए खर्च का भी असली हिसाब लगाया जा सकता है. सैफई महोत्सव के दरम्यान सरकारी विमान और हेलीकॉप्टर की उड़ानों पर कितना खर्च आया, सरकार ने नहीं बताया. एक जनवरी 2013 से 31 दिसम्बर 2013 के बीच सरकारी विमानों के ईंधन पर मात्र चार करोड़, 21 लाख, 26 हजार, 448 रुपए का खर्च आने की बात कर सरकार कन्नी काट गई. यह भी वैसा ही सच है जिसे कुछ अरसे बाद सरकार खुद ही झूठ बता देती है और एक नया 'सच' रच लेती है.

सच आखिर कैसे बाहर निकले? सीबीआई से जांच हो जाती तो सच बाहर आ सकता था. सच जानने के जो संवैधानिक-लोकतांत्रिक तौर-तरीके थे, वे काम नहीं आ रहे. सूचना के अधिकार जैसे हथियार को मायावती और अखिलेश यादव की पूर्ववर्ती सरकारों ने पंगु बना कर रख दिया. योगी के आने के बाद भी कोई विशेष बदलाव नहीं है. विमानों और हेलीकॉप्टरों के आने-जाने का ब्यौरा रखने वाले लॉग बुक और जरनी लॉग बुक को सरकार ने पाइलटों और विमान इंजीनियरों की निजी सम्पत्ति घोषित कर रखा है. सरकार कहती है कि वायुयान और हेलीकॉप्टरों की कहां-कहां यात्रा हुई और कहां-कहां रि-फ्यूलिंग हुई उसका विवरण परिचालन इकाई द्वारा संकलित नहीं किया जाता. दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि बेवकूफाना तरीके से उड़ाने के कारण जो बेशकीमती विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनका ब्यौरा भी आम नागरिक को नहीं मिल पाता. बस इतनी ही जानकारी मिल पाती है कि तीन हवाई जहाज और तीन हेलीकॉप्टर उड़ान के लायक हैं और तीन विमान और एक हेलीकॉप्टर उड़ान के लायक नहीं रहे. उड़ान के लायक क्यों नहीं रहे? इसका कोई जवाब नहीं मिलता.

अभी बाढ़ है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सरकारी हेलीकॉप्टर से खूब उड़ान भर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण कर रहे हैं. लेकिन निवर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उड़ान का खास शौक था. मुख्यमंत्री सचिवालय की तत्कालीन प्रमुख सचिव अनीता सिंह नागरिक उड्डयन महकमे की भी प्रभारी हुआ करती थीं. वे मुख्यमंत्री अखिलेश से लेकर मुलायम सिंह तक की वैमानिकी-सुविधा का ध्यान रखती थीं. इसी खास सुविधा के इरादे से 90 करोड़ की लागत से बेल-412 हेलीकॉप्टर खरीदा गया था. इस हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए अखिलेश ने अनीता सिंह और उड्डयन सचिव एसके रघुवंशी को एयर-शो देखने के लिए खास तौर पर सिंगापुर भेजा था. अखिलेश के पहले मुख्यमंत्री मायावती ने भी वर्ष 2010 में 40 करोड़ का ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीदा था. लेकिन बेवकूफ पायलटों और खराब रख-रखाव के कारण वह एक ही साल में खराब हो गया. अखिलेश सरकार ने उसकी मरम्मत पर पांच करोड़ रुपए फूंक डाले. हेलीकॉप्टर की मरम्मत के नाम पर ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी ने प्रदेश सरकार से मनचाही कीमत वसूली थी. मायावती-काल में यूपी सरकार के लिए ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीदने में कोई कमीशन नहीं लिया गया होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता. सनद रहे, यह वही ऑगस्टा वेस्टलैंड कंपनी है जिसने 53 करोड़ डॉलर का ठेका पाने के लिए नेताओं-नौकरशाहों को करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी. यह उजागर होने पर 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए एंग्लो-इतालवी कंपनी ऑगस्टा-वेस्टलैंड के साथ वर्ष 2010 में किए गए तीन हजार 600 करोड़ रुपए के करार को जनवरी 2014 में रद्द कर दिया गया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

निजता मौलिक अधिकार, फिर आधार का क्या है 'आधार'

चौथी दुनिया ब्यूरो

चौथी दुनिया पिछले 4 साल से इस मुद्दे को उठाता रहा है कि आधार को जिस तरीके से लागू किया जा रहा है वो न सिर्फ आम आदमी की निजता का हनन है, बल्कि यह असंवैधानिक भी है. चौथी दुनिया अपनी स्टोरीज के जरिए ये बताता रहा है कि कैसे आगे चल कर इस कार्ड का बेजा इस्तेमाल हो सकता है. बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में माना है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और यह संविधान के आर्टिकल 21 (जीने के अधिकार) के तहत आता है. 9 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला किया. अदालत ने 1954 में 8 जजों की संवैधानिक बेंच के एमपी शर्मा केस और 1962 में 6 जजों की बेंच के खड़ग सिंह केस में दिए गए अपने ही फैसले को पलट दिया. इन दोनों ही फैसलों में निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था. जाहिर है ये फैसला केन्द्र सरकार की रुख के उलट है. केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि निजता मौलिक अधिकार नहीं है. अब इस फैसले का सीधा असर आधार कार्ड और दूसरी सरकारी योजनाओं के अमल पर होगा. लोगों की निजता से जुड़े डेटा पर कानून बनाते वक्त तर्कपूर्ण रोक के मुद्दे पर विचार करना होगा यानी आपके निजी डेटा को लिया तो जा सकता है, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता. बहरहाल, अदालत इसके बाद अब आधार पर अलग से सुनवाई करेगी.

केएस पुत्तास्वामी ने डाली थी याचिका

कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज केएस पुत्तास्वामी ने 2012 में आधार स्कीम को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी. पुत्तास्वामी ने कहा था कि इस स्कीम से इंसान के निजता और समानता के मौलिक अधिकार का हनन होता है. सुप्रीम कोर्ट ने 20 से ज्यादा आधार से संबंधित केसों को इस मुख्य मामले से जोड़ दिया. याचिकाकर्ताओं में बी विल्सन, अरुणा रॉय और निखिल डे भी शामिल हैं. याचिका में आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने सरकार द्वारा तमाम प्राइवेट डेटा लिए जाने पर सवाल उठाए थे. याचिककर्ता ने कहा था कि यह आम आदमी के निजता के अधिकार में दखल है. आधार स्कीम पूरी तरह से मूल अधिकार में दखल है. संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद-21 (जीवन व स्वतंत्रता का अधिकार) में दखल है.

निजता के मायने

इस मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि निजता के तीन जोन हैं. पहला है आंतरिक जोन, जैसे शादी, बच्चे पैदा करना आदि. दूसरा है प्राइवेट जोन, जहां हम अपनी निजता को किसी और से शेयर नहीं करना चाहते. जैसे अगर बैंक में हम अपना डेटा देते हैं तो हम चाहते हैं कि बैंक ने जिस उद्देश्य से डेटा लिया है, उसी उद्देश्य से उसका इस्तेमाल करे. किसी और को डेटा न दे. वहीं, तीसरा है पब्लिक जोन. इस दायरे में निजता का संरक्षण न्यूनतम होता है, फिर भी मानसिक और शारीरिक निजता बरकरार रहती है. वहीं, चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने टिप्पणी की थी कि अगर किसी से कोई ऐसा सवाल पूछा जाता है, जो उसके प्रतिष्ठा और मान-सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो वह निजता का मामला है. चीफ जस्टिस के मुताबिक, दरअसल स्वतंत्रता के अधिकार, मान-सम्मान के अधिकार और निजता के मामले को एक साथ कदम दर कदम देखना होगा. स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में मान-सम्मान का अधिकार है और मान सम्मान के दायरे में निजता का मामला है.

चौथी दुनिया ने क्या लिखा था

चौथी दुनिया अपने स्टोरीज के जरिए पाठकों को आधार डेटा के खतरे से आगाह करता रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी आधार कार्ड अनिवार्य नहीं किया और सरकार से कहा कि आधार कार्ड को सबके लिए अनिवार्य बनाने का आदेश तुरंत वापस ले. न्यायालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वह बायोमैट्रिक डाटा किसी दूसरी संस्था को नहीं दे. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत आतंकवाद और बलात्कार के मामलों में यह डाटा साझा करने की छूट दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आधार कार्ड न होने से किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा हासिल करने से वंचित न किया जाए. इसका मतलब यह है कि चाहे रसोई गैस हो या कोई और सेवा, अब बिना आधार

कार्ड के भी आप इन सेवाओं को ले सकते हैं. वैसे आधार कार्ड को लेकर एक मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसके बाद सरकार एवं नंदन नीलेकणी की और भी किरकिरी हो सकती है. आधार कार्ड आज विवादों में इसलिए भी है, क्योंकि चौथी दुनिया साप्ताहिक अख़बार ने सबसे पहले आधार कार्ड से होने वाले ख़तरों का खुलासा किया था. हमने यह खुलासा किया था कि किस तरह आधार कार्ड सीआईए और अन्य विदेशी खुफिया एजेंसियों के पास हमारी और आपकी सारी जानकारी पहुंचाने की साजिश है. समय के साथ-साथ चौथी दुनिया की सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग रही है.

सूचना का अधिकार क़ानून के तहत निकली एक जानकारी के मुताबिक, यह बताया गया है कि बायोमैट्रिक सिस्टम 100 फ़ीसद एक्यूरेट नहीं है और दूसरी बात यह कि आधार कार्ड की विशिष्टता भी काल्पनिक है. यह जानकारी योजना आयोग के साथ करार करने वाली एर्नेस्ट एंड यंग प्राइवेट लिमिटेड और नेटमैजिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने दी है. इस सूचना के साथ ही आधार कार्ड का आधार ख़त्म हो जाता है. इस कार्ड को लेकर नंदन नीलेकणी ने जो बड़े-बड़े दावे किए थे, वे सब झूठे साबित होते हैं. नंदन नीलेकणी ने इस योजना की शुरुआत में दावा किया था कि यह अब तक का सबसे सटीक व अति विशिष्ट कार्ड है और इसकी नकल नहीं की जा सकती. नंदन नीलेकणी को यह बताना चाहिए कि उन्होंने देश को गुमराह क्यों किया? केंद्र सरकार ने जब आधार कार्ड की योजना लॉन्च की, तो उसकी शान में जमकर कसीदे काढ़े गए थे. बड़े-बड़े दावे हुए कि आधार कार्ड बनने के बाद लोगों को तरह-तरह के पहचान पत्र दिखाने के झंझट से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन यूपीए सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में धांधली चरम पर है. चंद रुपये खर्च कर कोई भी आधार कार्ड बनवा सकता है. हाल में स्टिंग ऑपरेशन के जरिये यह खुलासा हुआ है कि अवैध बांग्लादेशी चंद रुपये देकर आसानी से आधार कार्ड बनवा लेते हैं और भारत के मान्यता प्राप्त नागरिक बन जाते हैं और फिर मतदान में हिस्सा लेने के लिए वैध हो जाते हैं.

आधार एक घोटाला इसलिए भी है, क्योंकि अब आधार कार्ड का तकनीकी और क़ानूनी आधार ही सवालों के घेरे में है. हमें यह याद रखना चाहिए कि आधार कार्ड का कोई क़ानूनी आधार ही नहीं है. यह देश का अकेला ऐसा कार्यक्रम है, जिसे संसद में पेश करने से पहले ही लागू करा दिया गया. संसदीय कमिटी ने कहा है कि आधार योजना तर्कसंगत नहीं है. सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देश के किस क़ानून के आधार पर लोगों के बायोमैट्रिक्स को एकत्र किया जा रहा है? देश में मौजूद सारे क़ानून खंगालने के बाद पता चलता है कि ऐसा क़ानून सिर्फ जेल मैन्युअल में है. यह सिर्फ कैदियों का लिया जा सकता है और इसमें भी एक शर्त है कि जिस दिन वह कैदी रिहा होगा, उसके बायोमैट्रिक्स से जुड़ी फाइलें जला दी जाएंगी, लेकिन इस योजना के तहत सरकार लोगों की सारी जानकारियां एकत्र कर रही है और उसे विदेश भेजने पर तुली है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दे दिया है कि प्राधिकरण लोगों के बायोमैट्रिक डाटा किसी को नहीं दे सकता है. यह जनता की अमानत है और इसे दूसरी एजेंसियों के साथ शेयर करना आम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है. ■

feedback@chauthiduniya.com

दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पंचेश्वर बांध के विरोध में आंदोलन

देवभूमि पर तबाही लाएंगे बड़े बांध

चंदन राय

feedback@chauthiduniya.com

जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 1954 में पंचेश्वर बांध की बात की थी. तब से कई दशक बीत गए, पर बांध निर्माण पर कोई काम शुरू नहीं हुआ. हाल में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंचेश्वर बांध का जिक्र किया था. 2018 से पंचेश्वर बांध का निर्माण कार्य शुरू होगा, जो 2026 में पूरा होगा. इसके बाद 2028 तक बांध में पानी भरने का काम पूरा होगा. यह परियोजना दो चरणों में शुरू होगी. पंचेश्वर में महाकाली और सरयू नदी के संगम पर पहले 315 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण होगा. इसके बाद शारदा नदी पर 145 मीटर ऊंचा रूपाली गाड़ बांध बनेगा. अनुमान है कि इस परियोजना से भारत और नेपाल का करीब 134 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डूब क्षेत्र में आ जाएगा. इसमें उत्तराखंड का 120 वर्ग किलोमीटर और नेपाल का 14 वर्ग किलोमीटर डूब क्षेत्र होगा. अनुमान है कि इस परियोजना से 115 गांवों के 11000 से अधिक लोग पूरी तरह से प्रभावित होंगे.

यह क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है. भूगर्भवेत्ताओं के मुताबिक, मध्य हिमालय के सिस्मिक-4 जोन में पिछले 15 वर्षों में 5 अंकों की तीव्रता से अधिक के 10 भूकंप आए हैं. इनमें से 5 भूकंपों का केंद्र पंचेश्वर नदी के आस-पास का इलाका ही रहा है. अगर पंचेश्वर बांध में नदियों का पानी रोका जाता है, तो इससे 90 करोड़ घन लीटर पानी का दबाव एक छोटे से क्षेत्र पर पड़ेगा. पहाड़ों पर स्थित चट्टानें इस दबाव को झेलने में असमर्थ हैं. चट्टानों के धंसने से इस क्षेत्र में भूकंप की आशंका बराबर बनी रहेगी. यहां की चट्टानें पानी का कितना दबाव झेल पाएंगी, इसे लेकर 2016 में रॉक टेस्टिंग के लिए सुरंगें खोदी गई थीं. बताया गया था कि रॉक टेस्टिंग की पॉजीटिव रिपोर्ट आने के बाद ही बांध का निर्माण शुरू होगा. इससे पूर्व रॉक टेस्टिंग के लिए 20 से अधिक सुरंगें खोदी गई थीं, जिनकी रिपोर्ट पॉजीटिव नहीं आई थी. खुदाई करने वाली कंपनी वॉफ कोर्स के सुपरवाइजर कुलभूषण ने बताया कि हमारा मकसद रॉक टेस्टिंग के साथ पानी को जमा करने के लिए मिट्टी की क्षमता का भी आकलन करना है. इसके बाद ही बांध का निर्माण शुरू होगा. लेकिन भूगर्भवेत्ताओं, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों के विरोध को अनदेखा कर सरकार इस परियोजना को जल्द शुरू करना चाहती है. सवाल ये है कि सरकार इस परियोजना को शुरू करने के लिए इतनी हड़बड़ी में क्यों है? सरकार का मानना है कि बड़े बांधों से ही पहाड़ी इलाकों में विकास का रास्ता खुलेगा. फिर आम जनता सरकार के इस तर्क को क्यों अनसुना कर रही है?

टिहरी, नर्मदा और अन्य छोटे सैकड़ों बांधों के विस्थापन का दर्द झेल चुकी जनता को सरकार के वादों पर भरोसा नहीं है. उन्हें पता है कि सरकार जिसे विकास का रास्ता बता रही है, वह उनके लिए विनाश के द्वार खोलेगा. उन्हें पता है कि यह विकास नहीं, बल्कि कुछ अफसरों, नेताओं, बांध निर्माताओं और ठेकेदारों के लिए मोटी कमाई का जरिया साबित होगा. पंचेश्वर बांध के निर्माण में 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाने हैं. भारत और नेपाल दोनों देशों के नेता और नौकरशाह इस परियोजना से अति उत्साहित हैं. बड़े-बड़े ठेकेदार, बांध निर्माता कंपनियों और कन्स्ट्रक्शन कंपनियों के सम्मिलित हित सरकार द्वारा विकास की गढ़ी परिभाषा पर कई सवाल खड़े करते हैं. पूंजी के इस व्यापक खेल में जनता, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों का विरोध सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता.

एक युवा पहाड़ अपने विकास के दौर में आस-पास के वातावरण में तेजी से बदलाव लाता है. हिमालय जैसे उभर रहे पहाड़ पर कई कृत्रिम अवरोध खड़े किए गए हैं. उत्तराखंड में छोटे-बड़े सैकड़ों बांधों की मौजूदगी ने हिमालय के पारिस्थितिकीय तंत्र को तहस-नहस कर दिया है. इन बांधों के कारण बादल फटने, बिजली गिरने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं अब विनाशकारी साबित होने लगी हैं. पर्यावरणविद भी मानते हैं कि तल में गाद जमा होने से टिहरी झील लगातार फैल रही है, जिससे भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ी हैं.

टिहरी, नर्मदा और अब पंचेश्वर जैसे बड़े बांधों के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा उफान पर है. स्थानीय लोग कह रहे हैं, यहां से उत्पादित बिजली की आपूर्ति पूरे देश में होगी, जबकि भूकंप, भू-स्खलन, पत्थर और आसमानी बिजली गिरने व बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं और विस्थापन के शिकार उन्हें होना पड़ेगा. पहाड़ पर नदियों के पानी को रोककर बांध बनाया जाता है और इसका फायदा मैदानी क्षेत्र के लोग उठाते हैं. टिहरी और नर्मदा विस्थापन के शिकार लोगों ने किसी तरह जीना शुरू किया था, अब एक और विस्थापन का बोझ उनकी रीढ़ तोड़कर रख देगा.

अब जनसुनवाई की हकीकत भी जान लें. पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा में पंचेश्वर बांध को लेकर जनसुनवाई चल रही है. इसमें स्थानीय लोगों की जगह ज्यादातर भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता ही मौजूद हैं. गेट के बाहर कुछ लोग-बांध नहीं विकास दो, जनसुनवाई धोखा है-के नारे लगा रहे हैं. डीएम साहब जनसुनवाई छोड़ लोगों को शांत कराने में लगे हैं, ताकि सरकारी खानापूर्ति में खलल न पड़े. जनसुनवाई में पहुंचे लोग बताते हैं कि जनसुनवाई का समय ही गलत है. इस मौसम में कई गांवों का सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है. बारिश व भूस्खलन से यातायात ठप्प हो जाता है. जिला मुख्यालय तक आने में तीन-चार दिन लग जाते हैं. ग्रामीण स्तर पर जनसुनवाई होनी चाहिए थी, ताकि इसमें आमलोगों की भी भागीदारी हो सके. एक ग्रामीण कहता है, हमें आपकी डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भाषा ही समझ में नहीं आती. क्या देश में बांध बनाने की जिम्मेदारी केवल उत्तराखंड की है. हमें बस ये बता दीजिए कि कितना मुआवजा मिलेगा? प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जनसुनवाई में हमारी राय नहीं ली गई, तो हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे. सरकार का दावा था कि टिहरी बांध से 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, लेकिन यहां से मात्र 1000 मेगावाट तक ही बिजली का उत्पादन हो रहा है. टिहरी से तीन गुना बड़े पंचेश्वर बांध के लिए भी सरकार तर्क दे रही है कि इससे करीब 6480 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा. अब देखना है कि पंचेश्वर बांध से कितनी बिजली का उत्पादन होता है? सवाल ये भी है कि क्या यह विस्थापन की कीमत पर उचित होगा, जबकि इसका एक छोटा हिस्सा करीब 13 प्रतिशत बिजली ही उत्तराखंड को मिलेगी.■

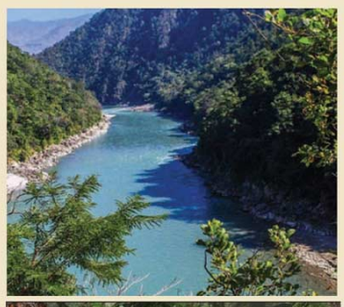

बड़े बांधों की उम्र लंबी नहीं होती

बांध विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे बांध स्थायी व टिकाऊ होते हैं, जबकि बड़े बांधों की लंबी उम्र नहीं होती है. जहां छोटे बांध कर्म खर्च के बावजूद बेहतर परिणाम देते हैं, वहीं बड़े बांध अत्यधिक निवेश के बावजूद तय मानकों पर खरे नहीं उतरते. इसके अलावा बड़े बांध स्थानीय पारिस्थितिकी को भी तहस-नहस कर देते हैं. यही कारण है कि विकसित देश अब पर्यावरण व स्थानीय इकोलॉजी पर दुष्प्रभाव को देखकर बड़े बांधों से दूरी बनाने लगे हैं. इतना ही नहीं, कुछ देशों में तो बड़े बांधों को तोड़ा भी जा रहा है. प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट में पंचेश्वर बांध की उम्र 100 वर्ष बताई गई है. बांध विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं. उनका कहना है कि नदी से बहकर आने वाले गादों के कारण 25 से 30 वर्षों के बाद यह बांध बेकार हो जाएगा. ऐसे में एक अल्पावधि प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करना कहां तक उचित है.

नौकरी की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर डटे रेलवे अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त युवा

स्किल इंडिया में बेरोज़गार हैं डबल स्किल्ड

निरंजन मिश्रा

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जिस समय खबर आ रही थी कि रेलवे के अकुशल कर्मियों की लापरवाही के कारण कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, उसी समय रेलवे अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त सैकड़ों युवा दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलनरत थे. लगभग 500 की संख्या में जंतर-मंतर पर एकत्रित हुए ये युवा अपने हक की नौकरी के लिए सरकार के सामने आवाज उठा रहे थे. रेलवे से अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त इन युवाओं को भारत के श्रम मंत्रालय और नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से भी सर्टिफिकेट मिला है. इसके आधार पर रेलवे में इनकी नौकरी सुनिश्चित थी, लेकिन सरकार ने अचानक नियम बदल दिया और इन युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया.

दरअसल, पहले ये नियम था कि रेलवे में अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के इच्छुक युवा आईटीआई के बाद विभिन्न रेलवे कारखानों में ट्रेनिंग लेते थे. ट्रेनिंग पूरा होने के बाद परीक्षा लेकर इन युवाओं को रेलवे में नौकरी दी जाती थी. नौकरी से पहले ये युवा शरीरिक जांच पड़ताल और सभी कागजी प्रक्रियाओं से भी गुजरते थे. पुराने नियमों (ठइए 136/2004, 137/2010, 171/2010) के आधार पर महाप्रबंधक के द्वारा रेलवे में इनकी नियुक्ति होती थी. लेकिन जून 2016 में सरकार ने एक नया आदेश (ठइए 71/2016) जारी किया. इसी से जुड़ा एक और आदेश (ठइए 34/2017) इस साल अप्रैल में जारी किया गया. इन नियमों ने 25,000 युवाओं को सड़क पर ला दिया. इन नियमों के अनुसार, अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं की रेलवे में सीधी भर्ती को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया. अब रेलवे की नौकरी के लिए उन्हें भी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (आरआरसी) के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा पास करनी होगी. हालांकि सरकार ने बदले हुए नियमों में एक सेफ्टी स्टैंड लेते हुए ये प्रावधान रखा कि जो युवा अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनके लिए 20 प्रतिशत का कोटा निर्धारित होगा. लेकिन इसमें एक बड़ा लूपहोल ये है कि ये कोटा सभी तरह के अप्रेंटिस ट्रेड अभ्यर्थियों के लिए है. यानि जो कोई भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करेगा उसे इस कोटे का लाभ मिल जाएगा. ये सबसे बड़ी नाइंसाफी थी रेलवे से अप्रेंटिस ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं के साथ.

अपने साथ हुई इस नाइंसाफी से अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं में भारी रोष व्याप्त है. उन्होंने रेलवे अधिकारियों से लेकर रेल मंत्री और प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई. लेकिन जब कहीं से भी कोई सहायता नहीं मिली, तो इन्होंने जंतर-मंतर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया. 10 अगस्त को लगभग 500 युवा ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के बैनर तले जंतर-मंतर पर आ डटे. ये शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन तभी 14 अगस्त की शाम को पुलिस ने जबर्दस्ती इन्हें धरना स्थल से उठा लिया. इनके आंदोलन स्थल पर भी तोड़-फोड़ किया गया. 18 घंटे तक इन्हें दिल्ली के विभिन्न थानों में बंद रखा गया. फिर पुलिस द्वारा छोड़े जाने के बाद ये फिर जंतर-मंतर पर आ डटे. ऑल इंडिया रेलवे एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश कुमार ने चौथी दुनिया से बातचीत में कहा, 'सरकार आज युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए योजनाएं चला रही है, लेकिन हम डबल स्किल्ड युवा नौकरी पाने के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं. अब तक यही होता था कि ट्रेनिंग के दौरान कई तरह की परीक्षाएं पास करने के बाद एनसीपीटी के द्वारा मिले सर्टिफिकेट के आधार पर हमें महाप्रबंधक के माध्यम से नौकरी मिल जाती थी. लेकिन इस सरकार ने हम स्किल्ड युवाओं को बेराजगार रखने का फैसला कर लिया है.' स्कील्ड युवाओं के रहते हुए अनस्कील्ड युवाओं की रेलवे में भर्ती पर भी राकेश कुमार ने सवाल उठाया.

उन्होंने कहा कि 'अप्रेंटिस ट्रेनिंग पर सरकार एवं रेलवे के लाखों रुपए खर्च होते हैं. रेलवे में हमारी नियुक्ति मात्र 5 रुपए की रसीदी टिकट के द्वारा की जा सकती है. लेकिन ओपन वेकेंसी के द्वारा की जाने वाली भर्ती में रेलवे को अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वे स्किल्ड भी नहीं होते. बाद में उनकी ट्रेनिंग पर भी खर्च होता है.' उन्होंने सरकार की नई नीति को लेकर ये भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि 'अगर हमें लिखित प्रतियोगी परीक्षा के साथ-साथ फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी पास करना पड़े, तो फिर हमारी रेलवे अप्रेंटिस ट्रेनिंग का क्या मतलब? हमने जो अपना पैसा, रेलवे का पैसा और वक्त लगाया, वो क्या बर्बाद चला गया.' इन युवाओं के आंदोलन को रेलवे के फेडरेशन और यूनियन का भी साथ मिला. उन्होंने कहा कि वे सरकार तक इन युवाओं की मांग पहुंचाएंगे. यूनियन नेताओं के इस आश्वासन से इन्होंने 23 अगस्त को अपना आंदोलन खत्म कर दिया. लेकिन कहा कि अगर इन्हें अब भी इंसाफ नहीं मिलता, तो ये आमरण अनसन करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

ट्यूशन पढ़ा कर गुजारा कर रहे अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त युवा

उन 25,000 स्कील्ड युवाओं ने अपनी नौकरी को लेकर निजी जिंदगी में बहुत से सपने पाल रखे थे, जिन्हें सरकार के नए नियमों ने बेराजगार कर दिया. वर्तमान समय में नौकरी को लेकर हो रही परेशानी से ये युवा अवगत थे और शायद इसीलिए इन्होंने अप्रेंटिस ट्रेनिंग का रास्ता चुना था. लेकिन सरकार ने इन ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं को भी कम्पीटिशन की लड़ाई में लाकर खड़ा कर दिया. कई युवाओं के लिए ये एक सदमे जैसा थे, जिसे वे बर्दास्त नहीं कर सके और आत्महत्या कर ली. अब तक लगभग 40 अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त युवा आत्महत्या कर चुके हैं. हाल ही में चेन्नई के रहने वाले हेमंत कुमार ने आत्महत्या कर ली थी. वे ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाने को लेकर पिछले कई महीनों से तनाव में थे. आंदोलनरत युवाओं में शामिल मनोज कुमार ने चौथी दुनिया से बातचीत में बताया कि 'ट्रेनिंग के दौरान ही मेरी शादी हुई थी. उस समय मैं अपनी नौकरी को लेकर आश्वस्त था. लेकिन सरकार के नए नियमों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया. सरकार कौशल विकास का ढोल पीट रही है, हम रेलवे में काम करने के लिए पूरी तरह से कुशल हैं, लेकिन हमें नौकरी नहीं दी जा रही. अभी पत्नी और बेटी के साथ माता-पिता की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है. मैंने रेलवे की जो ट्रेनिंग ली है, उसके आधार पर कहीं और नौकरी भी नहीं मिल रही. हालत ये है कि मैं साइंस और मैथ का ट्यूशन पढ़ा कर घर चला रहा हूं.'■

इस्लाम में औरतों को तमाम हुक़ूक़ मुहैया हैं

डॉ. सबा यूनुस

आखिरकार 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आ ही गया, जिसका मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था. मुद्दा था झटके से एक बार में दिया गया तीन तलाक़, जिसे इस्लाम धर्म के कुछ ठेकेदार जायज़ ठहरा रहे थे और खुले तौर पर महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे थे. इस फैसले से मुस्लिम समुदाय का बुद्धिजीवी तबका भी खुश था, जिसने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सोशल साइट्स पर भी स्वागत किया.

आइए देखते हैं इस फैसले पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहीं –

मीडियाकर्मी गुल्नाज़ रशीद कहती हैं कि तलाक़ बुरी बात है. अल्लाह और उसके नबी को सख्त नापसंद है. एक साथ तीन तलाक़ तो इस्लाम में है ही नहीं. सुप्रीम कोर्ट ज़िन्दाबाद

दरख्शां बानो इंग्लिश की पीएचडी स्कॉलर हैं. उनका कहना है, इस्लाम में औरतों को तमाम हुक़ूक़ मुहैया हैं. कुरान पाक औरतों को इज्जत से रखने की ताकीद करता है. बीवी को शौहर का हमराह माना जाता है. तलाक़ का यह ग़लत रिवाज़ औरत को हिकारत देता था, जो कि इस्लाम में नहीं है. अच्छा हुआ एक गलत रिवाज़ ख़त्म हुआ!

गृहिणी शाहीन खातून कहती हैं, ट्रिपल तलाक़ को इस्लाम में सबसे ज़्यादा नापसंद कहा गया है. फिर इतना हंगामा क्यूं?

इतिहास की प्रवक्ता हिना जाफरी कहती हैं, इस ग़लत प्रथा के नाम पर जो मर्द हलाला जैसी गलीज़ प्रथा का लाभ उठा रहे थे, वो सब अब बंद हो जाएगा. न्यायपालिका का यह फैसला बेहद सराहनीय है. इससे औरतों की दशा सुधरेगी और मर्द मनमानी नहीं कर पाएंगे.

उर्दू की छात्रा हुस्ना जैनब कहती हैं, इस फैसले से औरतों को शौहर बेवजह तलाक़ देकर छोड़ नहीं पाएंगे, उन पर अब कानून की लगाम होगी.

आम मुस्लिम औरतों के साथ महबूबा मुफ्ती जी का यह कथन भी इस फैसले की उपयुक्तता पर मोहर लगाता है. महबूबा मुफ्ती कहती हैं, जम्मू कश्मीर में भी 3 तलाक का कानून लागू हो. यहां तक कि समझदार मुस्लिम पुरुष भी इस फैसले को सराह रहे हैं–

व्यापारी ताल्हा आबिद कहते हैं, ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम

इस्लाम में कहीं भी, कभी भी औरतों को कमतर नहीं बताया गया. न ही उनके शोषण को जायज़ ठहराती हुई कोई आयत कुरान पाक में मौजूद है. यहां तक कि औरतों के हक को ध्यान में रखते हुए तलाक़ की असल प्रक्रिया बहुत लंबी व पेचीदा बनाई गई है, जिसका वर्णन कुरान पाक की सुराह तलाक़ में मिलता है.

कोर्ट का फैसला आ गया है. उम्मीद है अब मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होगा. वहीं, मुस्लिम समुदाय का एक तबका, जो इस रिवाज़ के नाम पर महिलाओं के शोषण पर सहमति की मोहर लगाए था, ख़ासा तिलमिलाया नज़र आया.

इसमें से कुछ तो ऐसे भी हैं, जो ये जानते तक नहीं थे कि झटके से तीन तलाक़ की कुप्रथा असल में इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं. ऐसा कोई भी तलाक़ का इंस्टेंट तरीका कुरान में दर्ज नहीं है, बल्कि यह कुछ अवसरवादी व धूर्त धार्मिक ठेकेदारों की महिलाओं के खिलाफ फैलाई गई साज़िश है. इसे एक रिवाज़ का जामा पहना कर नासमझ और जाहिल तबके को बहकाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है.

जिस तरह सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध आदि कुप्रथाएं महिला विरोधी थीं. धर्म की आड़ लेकर सदियों तक ये प्रथाएं चलती रहीं, लेकिन एक दौर में गर्त में धकेल दी गईं और गैर कानूनी घोषित कर दी गईं. उसी तरह झटके से तीन तलाक़ वाली यह कुप्रथा भी खत्म हो गई, जो केवल महिलाओं के उत्पीड़न व भोग को ध्यान में रखकर इंसानों द्वारा चलन में लाई गई थी. ये केवल महिलाओं के उत्पीड़न को बढ़ावा देती थीं. आज यदि न्यायप्रणाली द्वारा यह असंवैधानिक घोषित कर दी जाती हैं, तो यह अत्यंत हर्ष की बात है. इसे समस्त मुस्लिम समुदाय को भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, जो मुस्लिम समुदाय का समझदार तबका कर भी रहा है. कुछ अज्ञानी, अशिक्षित, कट्टरवादी व पुरुष सत्ता एवं प्रभुत्व के भूखे मुस्लिम समुदाय के पुरुष इस बदलाव को हज़म करने में खुद को अक्षम पा रहे हैं. वे मनगढ़ंत तर्कों के साथ इसकी घोर निंदा यह कहकर कर रहे हैं कि यह उनके धर्म पर आघात है, जबकि असल में इस प्रथा का धार्मिक किताब में कहीं वर्णन ही नहीं है. यदि मुस्लिम समुदाय को तरक्की करनी है, तो ग़लत रिवाज़ों को ख़त्म करना ही होगा. कुरान भी महिलाओं के शोषण को ग़लत ठहराता है. महिलाओं के हक व हुकूक की बात कुरान भी करता है. हज़रत मुहम्मद (स.अ.) की पूरी जीवनी उठा के पढ़िए, तो मालूम पड़ेगा कि औरतों को कितनी इज्जत और कितनी एहमियत दिए जाने की बात की गई है. हज़रत खदीजा, जो हज़रत मुहम्मद की पत्नी थीं, वे उम्र भर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलीं. जब तक वो जिंदा रहीं, उनके अलावा हज़रत मुहम्मद ने किसी और से निकाह नही किया.

इस्लाम में कहीं भी, कभी भी औरतों को कमतर नहीं बताया गया. न ही उनके शोषण को जायज़ ठहराती हुई कोई आयत कुरान पाक में मौजूद है. यहां तक कि औरतों के हक को ध्यान में रखते हुए तलाक़ की असल प्रक्रिया बहुत लंबी व पेचीदा बनाई गई है, जिसका वर्णन कुरान पाक की सुराह तलाक़ में मिलता है.

अब सवाल ये उठता है कि फिर यह झटके से तीन तलाक कहां से चलन में आया? जो बात, जो तरीका कहीं खुद की किताब या खुद के रसूल की जीवनी में भी नहीं दिख रही हो, वो कैसे इस्लाम का हिस्सा बन गया? इसका जवाब केवल उन कट्टरवादी पुरुषवादी, अवसरवादी धर्म के ठेकेदारों के पास मिलेगा, जो इस्लाम की स्वयं अनर्गल परिभाषा बना कर मुस्लिम समुदाय के अज्ञानी तबके को बरगलाते हैं. यदि मुसलमानों को तरक्की करनी है, तो उनको स्वयं कुरान बा मायने पढ़ना पड़ेगा. खुद इस्लाम को समझना पड़ेगा न कि किसी धूर्त धर्म गुरु की बनाई हुई परिभाषा के आधार पर जकड़न भरी मानसिकता लिए अंध रिवाजों की बलि चढ़ते रहना. इस्लाम और खुदा भी चाहता है कि उसके मानने वाले खुद पढ़ें, खुद जानें, खुद समझें. इसीलिए कुरान पाक की पहली आयत जो रसूल पाक पर नाजिल हुई उसके मायने थे– पढ़ो, अपने खुदा के नाम पर पढ़ो. सुराह इकरा

अरे मेरे मुसलमान भाइयों, अभी भी वक्त है पढ़ लो, तभी दिमाग खुलेगा, तभी इस कट्टरता से तुम आज़ाद होगे तभी अपने विकास पर ध्यान दे पाओगे. तब कोई तुमपर बेजा के रिवाज़ नहीं लाद पाएगा, तब कोई तुम्हारा शोषण नहीं कर पाएगा तब कोई अपने राजनैतिक फायदे के लिए तुम्हारी बलि भी नहीं चढ़ा पाएगा. पढ़ो, मेरे भाई मेरी बहनों पढ़ो.■

– लेखिका समाजसेविका हैं और विश्व धर्म पर अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में कई व्याख्यान दे चुकी हैं.

दिल्ली पहुंची छत्तीसगढ़ भाजपा की अंदरूनी लड़ाई

चौतरफा घिर रहे रमन सिंह

ठपेश गुप्ता
feedback@chauthiduniya.com

छत्तीसगढ़ में भाजपा के आला नेताओं के बीच घमासान मचा है. हालांकि घमासान पहले भी था, लेकिन अब यह साफ-साफ दिख रहा है. पिछले एक-दो महीनों के घटनाक्रम और नेताओं के बयान को देखें, तो पता चलता है कि पार्टी में एक तरफ सत्ता के लिए संघर्ष मचा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निपटाने की कोशिशें हो रही हैं. मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपनी कुर्सी बचाने और खतरा बन चुके प्रतिद्वंदी को निपटाने में लगे हैं, तो उनके विरोधी उन्हें निपटाने में. इन सब के बीच संघ के छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता पुणेंदु सक्सेना की सत्ता के गलियारों में बढ़ती सक्रियता भाजपा के समीकरणों को दिलचस्प बना रही है.

हालांकि भाजपा के अंदर शुरू से ही सत्ता का संघर्ष रहा है, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक आलाकमान पर रमन सिंह की पकड़ इतनी मज़बूत रही कि उनके विरोधी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके. लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य में भाजपा के अंदर नए समीकरण बने जिससे हालात बदल गए. जब रमन सिंह के धुर विरोधी नंदकुमार साय का टिकट काटकर उनकी जगह रामविचार नेताम को राज्यसभा भेजा गया, तब लगा कि रमन सिंह ने अपने एक और विरोधी का शिकार कर लिया. लेकिन रमन सिंह को झटका तब लगा, जब केंद्र सरकार ने नंदकुमार साय को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाकर रमन सिंह के समानांतर खड़ा कर दिया. नंदकुमार साय ने सबसे पहले कुनकुरी ज़मीन घोटाले की जांच करवाई, जिससे सरकार की किरकिरी तय है. विधानसभा चुनाव के बाद हुए लोकसभा चुनाव में एक मात्र सीट पर हारने वाली प्रत्याशी थीं सरोज पांडेय. आज सरोज पांडेय अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय महासचिव हैं. कहा जाता है कि सरोज पांडेय को निपटाने में रमन सिंह के चहेते नौकरशाह की अहम भूमिका रही है. सरोज पांडेय की महात्वाकांक्षा रमन सिंह के लिए खतरा बन रही थी. लेकिन हारने के बाद भी राष्ट्रीय महासचिव बनकर सरोज पांडेय फिर से ताकतवर हो गई हैं. वहीं प्रदेश भाजपा में नंबर टू माने जाने वाले मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मोदी और अमित शाह से नजदीकियां बढ़ाकर अपनी ताकत बढ़ा ली है. कुल मिलाकर मोदी और शाह की जोड़ी ने रमन सिंह की वजह से कमज़ोर पड़ चुके उनके विरोधियों को ताकत देकर रमन सिंह की घेरेबंदी कर दी है.

पीएम मोदी की कार्यशैली से वाकिफ जानकार कहते हैं कि मोदी अपने लिए भविष्य के राजनीतिक प्रतिद्वंदी पनपने नहीं देते. बतौर मुख्यमंत्री लंबी पारी खेलने वाले रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान को मोदी संभावित खतरे के रूप में देखते हैं. लिहाज़ा देर-सबेर वे इनके पर कतरेंगे ही. लेकिन अगर सीधे तौर पर इन दोनों मुख्यमंत्रियों पर हाथ डाला गया, तो भाजपा के अंदर से नाराज़गी सामने आ सकती है. दूसरा सबसे बड़ा खतरा है कि दोनों राज्यों में नए मुख्यमंत्री के साथ चुनाव लड़ना जोखिम भरा होगा, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्रियों का ये तीसरा कार्यकाल है और वे पूरे प्रदेश को कई बार नाप चुके हैं. नया मुख्यमंत्री बनाने की सूरत में उसके पास इतना वक्त नहीं होगा कि उसे प्रोजेक्ट किया जा सके.

प्रदेश में भाजपा की ये अंदरूनी लड़ाई कितनी बढ़ चुकी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी सह संगठन सौदान सिंह अपने रायपुर दौरे के दौरान सरकार के 5 हज़ार दिन वाले किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. वे ज़्यादातर वक्त बीजेपी के अंदर के झगड़ों को सुलझाने में लगे रहे. पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ हुई उनकी दो घंटे की बातचीत को लेकर भी काफी कयास लगाए गए.

इन तमाम बातों का असर छत्तीसगढ़ भाजपा में मचे घमासान के रूप में दिख भी रहा है. दो महीने पहले ही सरोज पांडेय ने कार्यसमिति की बैठक के बाद सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया कि अगला सीएम कौन होगा इसका फैसला भाजपा संसदीय समिति करेगी. ये कहते हुए सरोज पांडेय का आत्मविश्वास देखने लायक था. दूसरी तरफ अजीत जोगी को लेकर भी पार्टी के दो धड़ों के बीच तलवार खिंचती दिख रही है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति को लेकर हाईपावर कमेटी के फैसले में उन्हें आदिवासी नहीं माना गया है. इस आदेश के बाद कानूनन जोगी पर एफआईआर दर्ज होनी थी. लेकिन बिलासपुर प्रशासन ने जब ऐसा नहीं किया, तो इसे लेकर सीएम रमन सिंह निशाने पर आ गए. नंदकुमार साय ने सरेआम आरोप लगाया कि राज्य सरकार से जोगी को संरक्षण मिला हुआ है.

इसी बीच बृजमोहन अग्रवाल पर ज़मीन घोटाले के आरोप लगे. उसके बाद रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के स्विस बैंक में अकाउंट का मुद्दा गरमाया. इन दोनों मामलों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और कृषिमंत्री बृजमोहन अग्रवाल की लड़ाई को सार्वजनिक रूप से सामने ला दिया. बृजमोहन खेमे के लोग ऑफ द रिकार्ड बताते हैं कि ज़मीन मामले में फंसाकर रमन सिंह अपने विरोधियों को निपटाने की नीति पर काम कर रहे हैं. इस मामले के सामने आते ही बृजमोहन अग्रवाल ने इसे अपने खिलाफ साज़िश बताया. उन्होंने ये भी कहा कि इसके जवाब में वे अब पुराने चिट्ठे खोलेंगे. ये मामला चल ही रहा था कि पनामा केस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया गया. इसके बाद बेटे अभिषेक सिंह को लेकर रमन सिंह राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के निशाने पर आए गए. ये बात भी सामने आई कि रमन सिंह के खिलाफ इस मामले को हवा देकर बृजमोहन ज़मीन मामले का बदला ले रहे हैं.

इसके बाद खबर आई कि रमन सिंह और बृजमोहन के बीच समझौता हो गया है. इसका असर भी देखने को मिला, जब अचानक ही विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई. इसे लेकर विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि हम रमन सिंह और बृजमोहन के भ्रष्टाचार के मामले को न उठाएं इसलिए विधानसभा स्थगित की गई है. हालांकि एक-दूसरे के भ्रष्टाचार को लेकर इन दोनों नेताओं द्वारा किए गए समझौते की बात अटकलें ही साबित हुईं. बीते दिनों मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि उन्होंने बृजमोहन के ज़मीन घोटाले की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को दे दी है. जब अमित शाह राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए तो उन्हें बधाई देने के लिए दोनों नेताओं ने अलग-अलग मुलाकात की और अपने झगड़े पर अपना पक्ष भी रखा. बृजमोहन अग्रवाल से चुनौती मिल ही रही थी कि रमन सिंह के सबसे करीबी अमन सिंह के खिलाफ मिकी मेहता ने गलत तरीके से अथाह संपत्ति बनाने के आरोप लगा दिए. हालांकि इन आरोपों को खारिज करते हुए अमन सिंह ने मिकी मेहता पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया. लेकिन इससे भी रमन सिंह की खूब किरकिरी हुई.

प्रदेश में भाजपा की ये अंदरूनी लड़ाई कितनी बढ़ चुकी है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी सह संगठन सौदान सिंह अपने रायपुर दौरे के दौरान सरकार के 5 हज़ार दिन वाले किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए. वे ज़्यादातर वक्त बीजेपी के अंदर के झगड़ों को सुलझाने में लगे रहे. पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ हुई उनकी दो घंटे की बातचीत को लेकर भी काफी कयास लगाए गए. इस बैठक से प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक को भी अलग रखा गया. ऐसी चर्चा थी कि सौदान आलाकमान का संदेश लेकर आए थे. हालांकि ये संदेश झगड़ा सुलझाने का था या चेतावनी देने का, ये पता नहीं चल पाया. गौर करने वाली बात है कि जिस वक्त सौदान सिंह और रमन सिंह की मीटिंग चल रही थी, उसी वक्त संघ के पुणेंदु सक्सेना विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के साथ उनके घर और विधानसभा में वन टू वन बैठक कर रहे थे. पुणेंदु इससे एक दिन पहले सीएम हाऊस में ही जन्माष्टमी के कार्यक्रम के दौरान सौदान सिंह से लंबी चर्चा कर चुके थे. पुणेंदु सक्सेना संघ मुखिया के बेहद करीबी हैं, चाहे सुदर्शन हों या फिर मोहन भागवत. जब भी सरसंघ चालक रायपुर आते हैं, पुणेंदु सक्सेना के यहां ही रुकते हैं. अब उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मीडिया का एक तबका तो उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री भी बताने लगा है. कहा जा रहा है कि संघ उन्हें भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तैयार कर रहा है. जो भी हो, ये तो तय है कि पुणेंदु सक्सेना की राजनीतिक सक्रियता किसी खास रणनीति के तहत बढ़ाई गई है. इस परिप्रेक्ष्य में अपने सियासी भविष्य को लेकर रमन सिंह का ये बयान भी महत्वपूर्ण है. हाल ही में उन्होंने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगला सीएम तो दिल्ली से तय होगा, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए, तो वे छत्तीसगढ़ में ही रहना पसंद करेंगे.■

सृजन घोटाला

हर कमीज़ गंदी, किसे बेदाग़ कहें

चौथी दुनिया ब्यूरो

चारा घोटाला के बाद अब सृजन घोटाले को लेकर बिहार फिर सुर्खियों में है. अधिकारी, कर्मचारी और नेतागण सबके दामन पर दाग दिख रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर किसकी कमीज को हम बेदाग कहें?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस घोटाले का खुलासा किया था. आनन-फानन में बड़े अधिकारियों की एक फौज जांच के लिए भागलपुर भेज दी गई. परत दर परत खुली, तो यह घोटाला चारा से भी कहीं आगे निकल गया. फिर अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ. सृजन और बैंकों की मिलीभगत सामने आई. जैसे-जैसे जांच ने जोर पकड़ा, घोटाले पर राजनीतिक रंग भी गहराता गया. राजद इसे एक ढाल मानकर चल रहा है, वहीं नीतीश और सुशील मोदी को घेरने का एक मारक अस्त्र भी. जांच में पता चला कि यह मामला तो राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल से जुड़ा है, तब राजद के बयानों की धार कमजोर पड़ गई.

जानकारों का कहना है कि अगर चारा घोटाले से सबक लिया जाता तो आज यह नौबत ही नहीं आती. हालांकि इससे पूर्व अररिया जिले में पैक्स घोटाला भी चर्चा में रहा. इसमें विभिन्न सरकारी व जनकल्याणकारी योजनाओं की करोड़ों की राशि को अधिकारियों ने कमीशन लेकर महज एक पैक्स में जमा करवाया. इस राशि से रसूखदार लोगों ने खूब माल बनाया.

भागलपुर की सृजन संस्था ने भू-अर्जन सहित अन्य योजनाओं की तकरीबन 1000 करोड़ की राशि का फर्जीवाड़ा कर महाघोटाला किया. अगर सरकार सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत जिला अररिया के प्रखंड पलासी के पंचायत डेहटी प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) में हुए घोटाले से सबक लेती, तो यह घोटाला सामने नहीं आता. आज सृजन की आग अंग से निकलकर कोसी प्रमंडल के सुपौल व सहरसा तक पहुंच गई है.

अररिया जिले के पलासी प्रखंड अंतर्गत डेहटी पंचायत के प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) में तत्कालीन अध्यक्ष रूद्रानंद झा के नेतृत्व में डेढ़ दशक पूर्व करोड़ों की सरकारी योजनाओं को लेकर सवाल उठे. इस घोटाले को लेकर अररिया जिले के विभिन्न थानों में कुल 36 मामले दर्ज हैं. इन मामलों में कलक्टर, जनप्रतिनिधि व बिचौलिए समेत कई बैंककर्मी भी शामिल हैं. डेहटी के इन घोटालों में आधा दर्जन से अधिक तत्कालीन बीडीओ शामिल हैं. जोकीहाट के तत्कालीन बीडीओ फिरोज नईम, रमेश झा, परवेज उल्लाह, शमीम अख्तर, अशोक कुमार तिवारी, सुरेंद्र राय, गयानंद यादव, तत्कालीन डीएम अमरेंद्र कुमार सिंह, डीडीसी बाल्मिकी प्रसाद, अभियंता दीपक कुमार, कार्यपालक अभियंता रमाकांत शर्मा सहित अन्य अभियंता व बैंक कर्मी के नाम भी शामिल हैं.

डेहटी पैक्स घोटाले ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के करोड़ों रुपए निगल लिए. मार्च 2011 में पुलिस ने सहरसा जिले के सोनवर्षाराज प्रखंड स्थित पैक्स अध्यक्ष रूद्रानंद झा को उनके ससुराल से गिरफ्तार किया, जिसके बाद कई रसूखदार व अधिकारी भी आरोपों के घेरे में आ गए. पैक्स अध्यक्ष के बयान पर ही पुलिस ने 140 से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों व नेताओं को आरोपी बनाया. ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने डेहटी पैक्स घोटाले में मुख्य आरोपी अध्यक्ष रूद्रानन्द झा व राम पुकार चौधरी की चल-अचल संपत्ति जब्त करने के निर्देश भी दिए थे. इस प्रक्रिया के शुरू होने में विलंब के बाद दोनों की संपत्ति अचानक गायब होने लगी. अब सृजन की बात करते हैं.

सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि. सबौर भागलपुर बिहार की निबंधित कॉपरेटिव है न कि एनजीओ. सृजन की देवी मनोरमा भागलपुर के इस कॉपरेटिव के जरिए महिलाओं को अचार, पापड़, मसाला आदि बनाने का व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाती थीं. सृजन की संस्थापिका सह सचिव मनोरमा देवी का 14 फरवरी 2017 को निधन हो गया. मनोरमा देवी रांची के लाह अनुसंधान में वरीय वैज्ञानिक की पत्नी थीं. 1991 में पति के निधन के बाद मनोरमा देवी पर छह बच्चों के भरण-पोषण का बोझ आ गया. करीब ढाई-तीन साल बाद वर्ष 1993-94 में मनोरमा देवी ने दो महिलाओं के साथ सृजन संस्था की शुरुआत की. वर्ष 1996 में सहकारिता विभाग में को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में संस्था निबंधित हुई. को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में सदस्य महिलाओं के पैसे भी यहां जमा किए जाते थे और जमा पैसों पर ब्याज भी दिया जाता था. इसी तरह यह संस्था बैंकिंग कार्यों को करने लगी और उससे जुड़ी महिलाओं को कर्ज के रूप में आर्थिक सहयोग भी देने लगी.

इसका खुलासा तब हुआ जब अन्य सरकारी खातों से सृजन के खाते में राशि ट्रांसफर होने लगी. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भागलपुर ने 12.20 करोड़ रुपए का एक चेक जारी किया. इस चेक को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत पटेल बाबू रोड स्थित इंडियन बैंक में जमा किया जाना था, लेकिन बैंक ने इस चेक को सृजन के खाते में जमा करा दिया. इतना ही नहीं, चेक निर्गत होने के तीन दिन बाद सृजन एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में निबंधित हुआ था. वर्ष 2008 में इस राशि को थर्ड पार्टी डिपॉजिट के रूप में पेश किया गया, जिसे बाद में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अवैध घोषित कर दिया. वहीं दूसरे केस में भागलपुर प्रशासन के द्वारा 1 व 3 और 6 सितंबर 2016 को 5.5 करोड़ की राशि का चेक मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के तहत इंडियन बैंक में जमा करने के लिए दिया गया. उस समय यह फंड सही एकाउंट में जमा हुआ, लेकिन बाद में इसे सृजन के खाते में डीएम के फर्जी हस्ताक्षर से चेक के जरिए ट्रांसफर कर दिया गया. इसी प्रकार तीसरी घटना 10 नवम्बर 2016 की है. जब भागलपुर के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने 43.52 लाख रुपए का तीन चेक घंटा घर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से जारी किया. ये चेक सरकारी खाते में जमा किए जाने थे, लेकिन यह चेक रिजेक्ट होकर 22 दिसंबर 2016 को वापस आ गया. पर उस चेक की राशि पहले ही सृजन के खाते में ट्रांसफर हो गई थी.

महिलाओं को सशक्त बनाने व रोजगार प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूह (एसएचएसवाई) के तहत जीविका का गठन हुआ, तब सृजन को बड़ी जिम्मेवारी मिली. संस्था को माइक्रो फाइनेंस से लेकर कई तरह के दायित्व सौंपे गए. सरकारी राशि लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए सरकारी बैंकों में धड़ाधड़ खाते भी खुले. संस्था इस राशि को येन-केन प्रकारेण अपने नाम कराने में जुट गई. सरकारी अधिकारी, बैंक कर्मी व राजनेताओं की मिलीभगत से उसने 2003 से लेकर 2017 तक 1100 करोड़ का घोटाला कर दिया. भागलपुर के एसएसपी मनोज कुमार का कहना है कि यह संस्था दो तरह से एक स्वाइप मोड व दूसरा चेक मोड से सरकारी खजाने की राशि का अवैध निकासी करती थी. स्वाइप मोड के जरिए भारी रकम राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा भागलपुर जिले के सरकारी खातों में जमा किया जाता था, जबकि स्वाइप मोड में राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक पत्र के माध्यम से बैंक को सूचित करती थी कि कितनी राशि बैंक में जमा करा दी गई है. इस गोरखधंधे में शामिल बैंक अधिकारी सरकारी खाते में पैसा जमा करने के बदले 'सृजन' के खाते में जमा कर दिया करते थे. चेक मोड से सरकारी खाते में जमा राशि को डीएम ऑफिस में काबिज पदाधिकारी डीएम के फर्जी हस्ताक्षर से अगले दिन वही राशि 'सृजन' के खाते में जमा करा दिया करते थे. इस घोटाले की आग कोसी प्रमंडल के सुपौल व सहरसा तक भी पहुंच गई. भागलपुर पुलिस ने सुपौल जिला सहकारिता पदाधिकारी पंकज झा को हिरासत में लेकर भागलपुर ले गई. भागलपुर से सुपौल पहुंची पुलिस ने धर्मशाला रोड स्थित डीसीओ के आवास पर धावा बोला और घंटों जांच-पड़ताल की. सुपौल के सदर डीएसपी विद्यासागर ने बताया कि वर्ष 2008 से 2014 तक डीसीओ पंकज कुमार झा भागलपुर में सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक के बतौर एमडी पदस्थापित थे. भागलपुर स्थित कोतवाली थाना में केस दर्ज कर पुलिस डीसीओ की खोजबीन में सुपौल पहुंची थी. उन्होंने बताया कि को-ऑपरेटिव बैंक से संबंधित 40 से 48 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है. भागलपुर पुलिस ने डीसीओ के आवास से सृजन संबंधी कुछ दस्तावेज व नकदी भी बरामद किए हैं. वर्ष 2016 में बतौर डीसीओ के पद पर पंकज कुमार झा का पदस्थान सुपौल में हुआ था. सृजन की बाबत नगर थाना सहरसा में डीएम विनोद सिंह गुंजियाल के पत्रांक के आलोक में 17 अगस्त 2017 को केस दर्ज किया गया. डीएम श्री गुंजियाल के आदेश पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहरसा में गठित टीम द्वारा विशेष भू-अर्जन कार्यालय व कोसी योजना सहरसा के खातों से निकासी की जांच की गई. पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सहरसा में विशेष भू-अर्जन कार्यालय व कोसी योजना सहरसा के पदनाम से दो खाता सं. 358808000001324 दिनांक 27 फरवरी 2012 को खोला गया और 16 जुलाई 2013 को बंद कर दिया गया. जबकि दूसरा खाता सं. 358802000000068 दिनांक 24 सितम्बर 2012 को खोला गया और 8 मई 2017 को बंद कर दिया गया. इस खाते की 2 करोड़ 26 लाख 90 हजार 500 रुपए की राशि सरकारी खाते में जमा कर दी गई. इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भागलपुर शाखा में 14 फरवरी 2012 को एक अन्य खाता सं. 1001010002835 खोला गया, जो चचत खाता था. इस खाते से विभिन्न चेकों द्वारा सृजन महिला विकास समिति के खाते में राशि का हस्तान्तरण किया गया. इस प्रकार 28 मार्च 2012 से 29 जुलाई 2013 तक कुल 162 करोड़ 92 लाख 49 हजार 924 रुपए सृजन महिला विकास समिति भागलपुर के खाते में हस्तान्तरित हुए. यह राशि एक फरवरी 2013 से अलग-अलग तारीखों में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहरसा स्थित खाता सं. 358802000000068 एवं खाता सं. 1001010002835 में वापस किए गए. इस प्रकार कुल 162 करोड़ 26 हजार 617 रुपए सरकारी खाते में वापस हुए. जांच के दौरान पता चला कि कार्यालय में बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भागलपुर का एकमात्र चेकबुक संधारित है, जिसका चेक सं. 555001 व 555055 है. लेकिन भागलपुर स्थित यह खाता चेक बुक के अनुसार दिनांक 20 जून 2013 को चेक काटकर बंद कर दिया गया. कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार 26 जून 2013 के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा भागलपुर का कोई चेक निर्गत नहीं हुआ है. सृजन महिला विकास समिति भागलपुर के खाते में जिन चेकों के माध्यम से राशि का हस्तान्तरण हुआ है, उसका नम्बर चेक का चेकबुक कार्यालय में संधारित नहीं है. उल्लेखनीय है कि कार्यालय में संधारित रोकड़ बही के अनुसार एक जुलाई 2017 को 221 करोड़ 45 हजार 904.53 रुपए थे, जो भारतीय स्टेट बैंक सहरसा, एक्सिस बैंक सहरसा, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा बलुआहा सहरसा में जमा है. जांच दल के अनुसार, यह विस्तृत जांच का विषय है कि 28 मार्च 2012 से 29 जुलाई 2013 की अवधि में निकासी की गई 162 करोड़ की राशि किस आदेश से और किसके हस्ताक्षर से सृजन महिला विकास समिति भागलपुर के खाते में भेजी गई और इसमें सृजन महिला विकास समिति भागलपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा सहरसा, बैंक ऑफ बड़ौदा भागलपुर तथा विशेष भू-अर्जन कार्यालय सहरसा की भूमिका है. इतना ही नहीं, सृजन के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरण से लेकर राशि वापसी की तिथि तक के सूद तथा बैंकों द्वारा बचत खातों में दिए गए ब्याज की राशि का आखिर क्या हुआ? जांच दल के अनुसार, सृजन महिला विकास समिति भागलपुर की संचालिका मनोरमा देवी, बैंक ऑफ बड़ौदा भागलपुर व सहरसा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक व अन्य सहयोगियों के अलावा विशेष भू-अर्जन कार्यालय सहरसा के तत्कालीन पदाधिकारी, जिनके हस्ताक्षर से राशि सृजन महिला विकास समिति के खाते में हस्तान्तरित की गई तथा तत्कालीन रोकड़पाल व प्रधान सहायक को दोषी पाया गया है. इस आधार पर इस फर्जीवाड़े व आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त लोगों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई.

सृजन महाघोटाले के लपेटे में बड़े-बड़े अधिकारी, बैंक अधिकारी व राजनेताओं के आने की भी संभावना है. पुलिस सृजन की संस्थापिका मनोरमा देवी के पुत्र अमित कुमार व बहू प्रिया कुमार की खोज में है. सृजन की वर्तमान सचिव प्रिया कुमार व उसके पति अमित कुमार को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की विशेष टीम 18 अगस्त को रांची व बेंगलूरु रवाना हो गई. पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी एक अन्य टीम ने पटना में छापेमारी की.

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि सब कुछ आईने की तरफ साफ है. नीतीश कुमार और सुशील मोदी को इस्तीफा देना चाहिए ताकि जांच में कोई अड़चन न आए. घोटाला होता रहा और नीतीश कुमार देखते रहे. भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या यही उनका जीरो टोलरेंस है. वे कहते हैं कि राजद गांव-गांव तक इस मामले को लेकर जाएगा. भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री विनादानंद झा कहते हैं कि राजद के लोग खासकर लालू परिवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है. नीतीश सरकार पूरी गंभीरता से इस मामले की जांच करवा रही है और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाएगी. इस घोटाले ने बिहावासियों की उम्मीद फिर तोड़ दी है, जिन्हें लग रहा था कि चारा के बाद अब इतना बड़ा कोई घोटाला प्रदेश में नहीं होगा. उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इससे सबक लेगी और आगे कोई चारा या सृजन घोटाला नहीं होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

बाढ़ की विभीषिका हमारी लापरवाही का नतीजा है

चौथी दुनिया ब्यूरो

इस साल भारत में बाढ़ का कहर करीब आधा दर्जन राज्यों में देखने को मिल रहा है. करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है. हाल में, जुलाई 2017 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानि कैग ने संसद में बाढ़ और बान्ध सुरक्षा के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की है. ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे हमारा बान्ध सुरक्षा को लेकर और बाढ़ को लेकर लापरवाह है. संसद में 21 जुलाई को ये ऑडिट रिपोर्ट पेश किया गया. रिपोर्ट बताती है कि भारत का बाढ़ प्रबंधन पूर्व अनुमान तंत्र, पूर्व सुरक्षा उपायों और पोस्ट फ्लड मैनेजमेंट के क्षेत्र में कमजोर है. ये रिपोर्ट यह भी बताती है कि राज्यों को दिया गया सेंट्रल फंड बहुत कम था और इसमें बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं में देरी पर प्रकाश डाला गया है. ऑडिट के अनुसार, देश के 15 राज्यों में अगस्त 2016 तक बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी. इसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल और मणिपुर जैसे बाढ़ ग्रस्त राज्य शामिल हैं. 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) के दौरान 219 टेलीमेट्री स्टेशन, 310 बेस स्टेशन और 100 एफएफएएस स्थापित किए जाने का लक्ष्य था. इस लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 56 टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित किए गए. 2015 में झेलम पर केवल एक एफएफएस स्थापित किया गया था, वह भी सितंबर 2014 के विनाशकारी बाढ़ के बाद. स्थिति तब और भी अधिक अनिश्चित बन जाती है, जब अधिकांश टेलीमेट्री स्टेशन नन–फंक्शनल हैं. देश भर में स्थापित 375 टेलीमेट्री स्टेशनों में से 222 यानि 59 प्रतिशत काम नहीं कर रहे हैं. रिपोर्ट यह बताती है कि भारत के अधिकांश बान्ध में आपातकालीन एक्शन प्लान नहीं है. राजस्थान के 200 और ओडिशा के 199 बांध में से किसी में भी आपातकालीन एक्शन प्लान नहीं है. गुजरात और पश्चिम बंगाल का भी यही हाल है. इसके अलावा, अगस्त 2010 में लोकसभा में पेश किए गए द डैम सेफ्टी बिल, जो निरीक्षण, बांधों के रख–रखाव और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए है, को अभी तक लागू नहीं किया गया है. संसद के पिछले सत्र में इस पर चर्चा होनी थी, लेकिन नहीं हुई.

इसके अलावा, देश की सबसे ज्यादा बाढ़ संभावित राज्यों ने अभी तक बाढ़ के लिए विशिष्ट क्षेत्रों का सीमांकन नहीं किया है. 1981 में, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आरबीए) ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को विशिष्ट बाढ़ संभावित जोन की पुष्टि करने की सिफारिश की थी, आयोग ने योजनाओं को तैयार करने और वार्षिक क्षति को कम करने के लिए इनकी पहचान की थी. ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2016 तक, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से, सिर्फ असम और उत्तर प्रदेश ने आरबीए मूल्यांकन का सत्यापन किया था. जाहिर है, बाढ़ प्रबंधन के लिए धन की कमी एक महत्वपूर्ण विषय है.

नदी जोड़ो परियोजना

भारत एक कृषि प्रधान देश है. आज भी यहां लगभग 60 प्रतिशत आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है. सिंचाई के तमाम साधनों के विकास के बावजूद देश में कृषि बहुत हद तक मानसून की बारिश पर ही निर्भर है. इसीलिए मानसून का इंतज़ार किसान से लेकर सरकार सबको रहता है. लेकिन मानसून की पहेली को आज तक सुलझाया नहीं जा सका है. देश का एक हिस्से जब सूखाग्रस्त रहता है तो वहीं दूसरा हिस्सा जलमग्न रहता है. एक ही इलाके में कभी इतनी बारिश हो जाती है कि सभी छोटी बड़ी नदियां उफान मारने लगती हैं, कभी इतनी कम बारिश होती है कि सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है. इस वर्ष भी देश के अलग–अलग हिस्सों में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है. सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है. करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान होता है. बाढ़ की रोकथाम और सूखे से निपटने के लिए बाढ़ संभावित नदियों के किनारों पर तटबंध बनाये गए हैं. बड़ी नदियों पर बांध बना कर उन्हें नहरों से जोड़ा गया है. नदी जोड़ो परियोजना (रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट) भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है.

नदी जोड़ने के पूर्व के प्रयास

दरअसल देश की बड़ी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव 150 साल पुराना है. वर्ष 1858 में ब्रितानी जनरल और सिंचाई इंजीनियर सर आर्थर कॉटन ने आवाजाही के उद्देश्य से गंगा और गोदावरी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा था. इस पहले दक्षिण भारत की नदियों कावेरी, कृष्णा और गोदावरी पर कॉटन की निगरानी में कई सिंचाई परियोजनाएं बनाई जा चुकी थी. गंगा और गोदावरी को जोड़ने का मकसद ब्रिटिश भारत में उपनिवेश के कार्य को सुचारू ढंग से चलने के लिए आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सके.

लेकिन संसाधनों के अभाव में यह परियोजना शुरू नहीं हो सकी. आज़ादी के बाद सत्तर के दशक में पूर्व सिंचाई मंत्री और डैम डिजाइनर डॉ. केएल राव ने नेशनल वाटर ग्रिड बनाने का प्रस्ताव रखा था. उनका कहना था कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में आवश्यकता से अधिक पानी रहता है और इनके जलग्रहण क्षेत्र में हमेशा बाढ़ आती रहती है, जबकि मध्य और दक्षिण भारत में पानी की कमी से सूखे की स्थिति बनी रहती है. उनका प्रस्ताव था कि गंगा ब्रह्मपुत्र के सरप्लस पानी को पानी के कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ दिया जाए.

वर्ष 1980 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके तहत जल संसाधन विकास को हिमालयी और प्रायद्वीपीय दो हिस्सों में बांटा गया था. 1980 में कांग्रेस सत्ता में आई और उस ने इस परियोजना को समाप्त कर दिया गया. वर्ष 1982 नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) के तहत विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी. इस समिति को जलाशयों और नहरों के अध्ययन के साथ साथ प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की सम्भावनाओं का पता लगाने का काम दिया गया था. एनडब्ल्यूडीए ने 30 वर्ष बाद 2013 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन उस परियोजना पर अभी तक काम नहीं हो सका है. बहरहाल एक लम्बे अन्तराल के बाद वर्ष 1999 में अटल बिहारी की अगुवाई में एनडीए की सरकार ने एक बार फिर नदी जोड़ो कार्यक्रम को ज़मीन पर उतारने की कोशिश की और इसके अध्ययन के लिए एक कार्य दल का गठन किया. उस कार्य दल ने इस परियोजना को दो भागों में बांटने की सिफारिश की. पहले भाग में दक्षिण भारतीय नदियां शामिल थीं जिन्हें जोड़कर 16 कड़ियों की एक ग्रिड बनाई जानी थी. हिमालयी हिस्से के तहत गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के पानी को इकट्ठा करने की योजना बनाई गई, जिसका इस्तेमाल सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए होना था. लेकिन 2004 में सरकार बदलने के बाद ये मामला फिर से ठंडा पड़ गया.

दरअसल इस परियोजना में उस समय एक नया मोड़ आया जब फ़रवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे नदी जोड़ परियोजना को समयबद्ध तरीके से लागू करें. कोर्ट ने एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठन करने का भी आदेश दिया और सरकारों को निर्देश दिया कि इस परियोजना को लागू करने के लिए ठोस कदम उठायें एवं सबद्ध रिपोर्टों को समय सीमा के अन्दर पेश करें ताकि योजना की लागत अधिक न बढ़े. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि इस योजना पर केंद्र को एक बहुत बड़ी रक़म खर्च करनी पड़ी तो वो इस पर अपनी सहमति नहीं देगा.

नदी जोड़ने की योजनाएं

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने पहले ही फील्ड सर्वे और विस्तृत अध्ययन की बुनियाद पर पानी के अंतर बेसिन हस्तांतरण के लिए हिमालयी नदियों के तहत 14 लिंक और प्रायद्वीपीय नदियों के तहत 16 लिंक की पहचान की है (देखें मानचित्र). फिलहाल प्रायद्वीपीय घटक के तहत 14 लिंक्स और हिमालयी घटक की 2 लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है. इन सभी परियोजनाओं की अनुमानित लागत साढ़े पांच लाख करोड़ है. केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती का मानना है कि अगर राज्यों ने ठीक से सहयोग किया तो तेजी से काम करते हुए अगले सात से 10 साल के भीतर यह परियोजना पूरी की जा सकती है. दावा किया जा रहा है कि इससे कई इलाकों में सूखे और बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी. इसके अलावा इस परियोजना से विशाल मात्रा में बिजली उत्पादन की बात भी कही जा रही है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति का मार्ग और चौड़ा होगा.

परियोजना पर उठने वाले सवाल

ज़ाहिर है जिन उद्देश्यों के मद्देनजर देश की नदी घाटियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है, उसके महत्व से किसी को इंकार नहीं हो सकता. बहरहाल, यदि यह योजना पहले आगे नहीं बढ़ी है, तो इसका मतलब यह है कि इस तरह की योजना के इतिहास से ज़ाहिर होता है कि इसके व्यावहारिकता को लेकर कुछ ऐसी असहजताएं ज़रूर हैं जिसकी वजह से बार–बार इससे पीछे हटना पड़ा. फिर भी ये जरूर है कि इस योजना से उठते सवालों का जवाब ढूंढकर ईमानदारी से बाढ़ नियंत्रण और बान्ध सुरक्षा के लिए रास्ते तलाशे जाएं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरकार और सरकारी मशीनरी चुनाव में जुट गई है

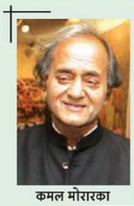

कमल मोरारका

www.kamalmorarka.com

मैं खास तौर पर आधार की अनिवार्यता को लेकर चिंतित था. बेशक आधार इस फैसले में शामिल नहीं है. आधार का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसपर उसका फैसला आना है. निजता के अधिकार के फैसले को देखते हुए यह आशा करनी चाहिए कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा. यह व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए.

देश में बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं. सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों की. पहला फैसला मुसलमानों के धार्मिक मामले से सम्बन्धित था. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में तीन तलाक की गलत व्यवस्था को गैर-संवैधानिक करार दे दिया. बेशक यह एक ऐसी व्यवस्था थी, जो पुरुषों के हक में थी, और जिसका सहारा लेकर वे अपनी पत्नियों से बुरा सुलूक कर सकते थे. आधुनिक विश्व में इसका कोई स्थान नहीं है. दुनिया के अधिकतर आधुनिक देशों में यह व्यवस्था प्रचलन में नहीं है. भारत एक प्राचीन देश है. यहां की अधिकतर आबादी गांवों में रहती है. मुस्लिम महिलाएं इस व्यवस्था को मानने के लिए मजबूर थीं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य के लिए उठाया गया एक बेहतर क़दम है. इस पर कितना अमल होता है. हितधारकों की प्रतिक्रिया क्या होती है. इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा.

दूसरा फैसला निजता के अधिकार पर है. यह बहुत ही मज़बूत फैसला है. नौ जजों की खंडपीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया. सभी जजों ने अलग-अलग दृष्टिकोण से अपने-अपने कारण दिए. इस फैसले का श्रेय सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला था, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है. वो एक अलग दौर था. वह ऐसा दौर था, जब सोशल मीडिया, सेल फ़ोन और आधुनिक गजेट नहीं थे, जिनके माध्यम से डाटा आसानी से लीक हो सकते हैं. व्यक्ति की निजता खतरे में पड़ गई है और वो असुरक्षित महसूस कर रहा है. दरअसल यह एक अति आधुनिक मसला है. मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हर तरह की जानकारियों तक बेरोक-टोक पहुंच के खतरों पर नोटिस लिया है.

मैं खास तौर पर आधार की अनिवार्यता को लेकर चिंतित था. बेशक आधार इस फैसले में शामिल नहीं है. आधार का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसपर उसका फैसला आना है. निजता के अधिकार के फैसले को देखते हुए यह आशा करनी चाहिए कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा. यह व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए. जो लोग सरकारी लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो, लेकिन हमारे जैस लोग, जिन्हें कोई सब्सिडी या सरकारी लाभ नहीं चाहिए, उनपर आधार थोपने का क्या औचित्य है? यदि बिना आधार नंबर के मेरा इन्कम टैक्स रिटर्न स्वीकार नहीं किया जाता, तो ये बहुत ही दुखद है. मेरे पास पैनकार्ड है और इसकी जानकारी इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट को वर्षों से है, क्योंकि मैं इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करता रहा हूं. आप अचानक एक अन्य नंबर को इन्कम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए अनिवार्य कर देते हैं, यह ठीक नहीं है. बहरहाल हमें इंतजार करना चाहिए. सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी कि उनके पास आधार को सुरक्षित रखने के उचित सेफगार्ड हैं. हमें इंतजार करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर आखिरी फैसला क्या होता है?

उसके बाद सवाल ट्रेन दुर्घटनाओं का है. दुर्घटनाएं घटित होती हैं. जब दुर्घटनाएं अधिक घटित होने लगती हैं, तो यह चिंता का विषय बन जाती है. हमें मालूम नहीं है कि इस पर सरकार का नजरिया क्या है? वो रेलवे सुरक्षा को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए क्या करते हैं? सरकार को तत्काल रेलवे में निवेश आकर्षित करने के उपाय करने चाहिए, ताकि रेलवे को सुचारू रूप से चलाया जा सके. आखिरकार, रेलवे के बहुत सारे पुल, बहुत सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर सौ साल पुराने हो चुके हैं. इन्फ्रास्ट्रक्चर की हालत देखते हुए रेलवे इंजीनियर्स भी इस बात से हैरान हैं कि अब तक अधिक दुर्घटनाएं क्यों नहीं हुई हैं? इस घटना में भी हमेशा की तरह कुछ रेलवे कर्मचारियों और जूनियर इंजीनियर्स पर कार्रवाई हो जाएगी. दुर्घटना के बाद मंत्री का इस्तीफा देने की परंपरा अब खत्म हो गई है. सुरेश प्रभु, जो मेरे अच्छे मित्र हैं और मौजूदा कैबिनेट में एक बेहतर मंत्री हैं, ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा है. अफवाह ये है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल के दौरान उन्हें रक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया जा सकता है. रेलवे दुर्घटनाओं के बाद क्या कार्रवाई होती है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा.

सत्ताधारी पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरह चुनाव जीता जाए. अमित शाह इसे लेकर काफी सक्रिय और मुखर हो गए हैं. उनका कहना है कि हम 50 वर्षों तक शासन करेंगे, वो ये भी कहते हैं कि हमने तीन वर्षों में बहुत कुछ किया है. जाहिर है, वे अपनी इस बात को साबित नहीं कर सकते हैं. लेकिन, उनका शासन 50 साल तक नहीं चल पाएगा. अगर आप पूरी प्रक्रिया को दूषित कर देंगे, यदि प्रेस को बहुत सारा पैसा दे देंगे, तो देश में स्वतंत्र मीडिया ही खत्म हो जाएगा.

उसके बाद, एक धर्मगुरु को महिला के यौन शोषण के आरोप में पंचकूला सीबीआई कोर्ट ने दोषी माना है. आसाराम का मामला भी अदालत में चल रहा है. गुरमीत राम रहीम इंसां को अदालत ने दोषी ठहराया है. इन धर्म गुरुओं के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है. यदि वे कोई अपराध भी करते हैं, तो उनके अनुयायी पीछे खड़े हो जाते हैं, जैसे जुर्म का फैसला बहुमत और अल्पमत के हिसाब से होगा! इसमें कोई तर्क नहीं है. ये एक दुखद बात है. इन सभी धर्मगुरुओं में कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, नहीं तो इतने सारे लोग उनके अनुयायी कैसे होते? लेकिन उनका व्यक्तिगत व्यवहार वैसा नहीं होता, जिसका वो संदेश देते हैं. देखते हैं कि आगे क्या होता है?

2019 में चुनाव होने जा रहे हैं. सरकार की पूरी मशीनरी इसकी तैयारी में जुट गई है. अब सरकार की प्राथमिकता में किसी बड़े सुधार की गुंजाइश नहीं है. 3 साल में उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया, अब दो साल में वो कुछ कर नहीं सकते हैं. सत्ताधारी पार्टी की कोशिश है कि किसी भी तरह चुनाव जीता जाए. अमित शाह इसे लेकर काफी सक्रिय और मुखर हो गए हैं. उनका कहना है कि हम 50 वर्षों तक शासन करेंगे. वो ये भी कहते हैं कि हमने तीन वर्षों में बहुत कुछ किया है. जाहिर है, वे अपनी इस बात को साबित नहीं कर सकते हैं. लेकिन, उनका शासन 50 साल तक नहीं चल पाएगा. अगर आप पूरी प्रक्रिया को दूषित कर देंगे, यदि प्रेस को बहुत सारा पैसा दे देंगे, तो देश में स्वतंत्र मीडिया ही खत्म हो जाएगा. लिहाजा, अमित शाह जो बोल रहे हैं, वैसा बोलने के लिए बहुत ज्यादा आत्मविश्वास चाहिए. मुझे देश के मतदाताओं पर अब भी असीम विश्वास है. हमें 1977 के चुनाव को याद करना चाहिए, जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म कर चुनाव करवाया था. उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी बुरी तरह से हार जाएंगी. अधिक से अधिक उन्होंने ये सोचा था कि हमें बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन हम सरकार बना लेंगे. लेकिन, लोगों ने उन्हें करारा जवाब दिया, जिससे यह साबित होता है कि लोगों की अपनी स्वतंत्र सोच होती है. 2019 बताएगा कि लोगों की सोच क्या है? मुझे नहीं लगता कि लोग अखबार पढ़कर वोट देते हैं. अगर ऐसा होता तो, मायावती मुख्यमंत्री बन गई होतीं और पिछले चुनाव में लालू यादव बुरी तरह से हार गए होते. मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजी अखबार या जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, वो मतदाताओं को अधिक प्रभावित करते हैं. देखते हैं, क्या होता है? ■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा दो राष्ट्र सिद्धांत को सही साबित कर रही है!

शुजात बुखारी

जब सेवानिवृत्त उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, तो उन पर दक्षिणपंथियों ने आलोचनाओं की बौछार शुरू कर दी. दरअसल ये आलोचक यह सुनना चाहते थे कि भारत में मुसलमान बहुत सुरक्षित हैं. दरअसल वास्तविकता के आधार पर किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करना सरकार और उसके समर्थकों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग है. लिहाज़ा देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर विराजमान रहने के कारण अंसारी पर देशद्रोह का मामला चलाना चाहिए.

अंसारी एक प्रतिष्ठित राजनयिक हैं, जिन्होंने कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और एक पूरे दशक के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं. सेवानिवृत्ति के फ़ौरन बाद उन्होंने करन थापर के साथ अपने साक्षात्कार में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जो पहले नहीं कहा गया हो. थापर ने उनसे पूछा कि क्या मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तब उन्होंने जवाब दिया, देश के अलग-अलग हिस्सों से, जो कुछ मैंने सुना है, उसके लिहाज़ से यह एक सही आकलन है. मैंने बेंगलूरू में यह बात सुनी, देश के अन्य हिस्सों से भी सुनी है, लेकिन उत्तर भारत में अधिक सुनी है. बेचैनी बढ़ रही है. असुरक्षा की भावना बढ़ रही है. लेकिन राज्यसभा टीवी के अपने साक्षात्कार में उनके विचार अधिक स्पष्ट थे. उन्होंने कहा था कि विजिलानटीज्म और असहिष्णुता के कारण मुसलमानों में असुरक्षा की भावना घर कर गई है. यह भी सच है कि एक दशक के अपने कार्यकाल के दौरान अंसारी ने ऐसी चिंताएं कभी व्यक्त नहीं कीं.

उनके उत्तराधिकारी वेंकैया नायडू ने न केवल उनके बयान को राजनीतिक प्रचार कहा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर निराशाजनक टिप्पणी की. प्रधानमंत्री ने अंसारी के परिवार का कांग्रेस के साथ संबंध होने के अलावा मध्य पूर्व में एक राजनयिक के रूप में उनकी पोस्टिंग का भी हवाला दिया. जाहिर है, बाकी लोगों ने उन्हीं का अनुकरण किया. बहरहाल, भाजपा ने हामिद अंसारी को नकार कर न केवल उन्हें सही साबित किया, बल्कि मुसलमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने का मौका भी खो दिया. हामिद अंसारी मुसलमानों के शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लिहाज़ा उनके बयान, कि उनका समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है, को सिर्फ एक राजनीतिक आलोचना के रूप में नहीं लिया जा सकता है.

इस आलोचना से तनिक भी नहीं घबराते हुए, दो दिनों बाद, जब राज्यसभा में उनका अंतिम दिन था, अंसारी ने कहा कि यदि कोई विपक्षी समूहों को सरकारी नीतियों को स्वतंत्र और स्पष्ट आलोचना करने की अनुमति नहीं देता है, तो लोकतंत्र के खतरे में पड़ने की आशंका है.

मुसलमानों की स्थिति तब भी बेहतर नहीं थी, जब 1947 के बाद से कांग्रेस ने भारत पर अधिकतर समय तक शासन किया था. आज, पिछले तीन वर्षों में जो स्थिति बनी है, वो भी मुसलमानों के लिए उत्साहजनक नहीं है. मुसलमानों को पीछे कर दिया गया है. जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में मॉब लिंचिंग और काउ विजिलेंट बढ़ गई है, वो यही कहानी कहती है. केंद्र सरकार और भाजपा शासित कुछ राज्यों में सरकारों ने इसे एक तरह से स्वीकृति दे दी है. यह स्पष्ट है कि पार्टी एक समावेशी भारत नहीं चाहती है.

एक तरह से, भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमानों की इस पार्टी में कोई जगह नहीं है. कुछ शोपीस भर हैं या टोकन के रूप में कुछ लोग हैं. आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केवल दो चेहरे हैं और उनमें से एक को कथित रूप से बाबरी मस्जिद की एक ईंट घर में स्मारिका के रूप में रखने के लिए जाना जाता है. भारत में 15 प्रतिशत मुस्लिम हैं. इसके बावजूद, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य के चुनाव में भाजपा की तरफ से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था. मंत्री के रूप में एक बहुत ही कम चर्चित चेहरा शामिल किया गया. अंसारी ने जो कहा, उसे लेकर भाजपा के खंडन के पीछे का तर्क निराधार है, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की एक खतरनाक प्रवृत्ति बढ़ी है, खासकर गाय के नाम पर. यद्यपि यह यूपीए शासन के दौरान भी होता था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इन घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है.

मुसलमानों की स्थिति तब भी बेहतर नहीं थी, जब 1947 के बाद से कांग्रेस ने भारत पर अधिकतर समय तक शासन किया था. आज, पिछले तीन वर्षों में जो स्थिति बनी है, वो भी मुसलमानों के लिए उत्साहजनक नहीं है. मुसलमानों को पीछे कर दिया गया है. जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में मॉब लिंचिंग और काउ विजिलेंट बढ़ गई है, वो यही कहानी कहती है. केंद्र सरकार और भाजपा शासित कुछ राज्यों में सरकारों ने इसे एक तरह से स्वीकृति दे दी है.

इंडिया स्पेंड द्वारा किए गए विश्लेषण के मुताबिक, 2010 और 2017 के बीच गोवंश मुद्दे को लेकर जितनी हिंसा हुई, उसमें से 51 फीसदी मामलों में टार्गेट मुस्लिम थे. 63 घटनाओं में 28 लोग मारे गए थे. इसमें 86 प्रतिशत मुसलमान थे. मोदी के शासन के तीन वर्षों में, मुस्लिमों के खिलाफ 52 हिंसक घटनाएं हुईं. इनमें से दो मामले, अखलाक- दादरी (यूपी) और पहलू खान (राजस्थान) को प्रमुखता मिली. गाय से संबंधित हिंसा के लगभग आधे मामले (63 मामलों में से 32) भाजपा शासित राज्यों में हुए. ये 25 जून 2017 तक दर्ज हिंसा का एक विश्लेषण है. विश्लेषण में पाया गया कि आधे से अधिक (52 फीसदी) हमले अफवाहों पर आधारित थे. इस हिंसा ने भारत में मुसलमानों को न केवल स्पष्ट संदेश दिया, बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद यूपी में बूचड़खानों को बन्द करने की घोषणा से ये समझ में आता है कि वे मुसलमानों की अर्थव्यवस्था को भी लक्षित कर रहे हैं, क्योंकि इस काम से अधिकतर मुसलमान ही जुड़े हुए हैं. असम के हजारों मुसलमानों को वन भूमि के संरक्षण के नाम पर जमीन से बेदखल किया गया और मीडिया ने इसका कोई नोटिस तक नहीं लिया. लव जेहाद के नाम पर युवा मुस्लिमों को टारगेट किए जाने के कई मामले सामने आए हैं. यहां एक बात जानना दिलचस्प है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, तब से सांप्रदायिक दंगे नहीं के बराबर हुए हैं.

इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मुसलमानों की हालत देश में हमेशा से खराब रही है और इसकी वजह है समुदाय में नेतृत्व की कमी. राजिंदर सच्चर समिति की रिपोर्ट, जो 2006 में आई थी, ने मुस्लिमों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है. इसका इस्तेमाल केवल नेताओं द्वारा वोट बैंक के रूप में किया जाता था. मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन (एमएईएफ) की एक हालिया रिपोर्ट, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत काम करती है, ने शिक्षा क्षेत्र में मुसलमानों की मौजूदगी के बारे में एक त्रासद रिपोर्ट दी है. 2011 की जनगणना के अनुसार, रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों में साक्षरता दर 68.53 प्रतिशत थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 72.98 प्रतिशत थी. देश में केवल 7 प्रतिशत युवा, 20 वर्ष की आयु तक, के पास डिग्री या डिप्लोमा था, जबकि मुसलमानों के मामले में यह 4 प्रतिशत था. समिति ने कहा कि मुसलमान शैक्षणिक रूप से सबसे वंचित समुदाय हैं. इसकी वजह शैक्षणिक संस्थानों की कमी के साथ-साथ वित्तीय पिछड़ापन भी है. सच्चर समिति ने हालात को सुधारने के लिए कई सुझाव भी दिए थे, लेकिन विडंबना यह है कि भाजपा ने समिति की रिपोर्ट को किनारे कर दिया, यह कहते हुए कि यह सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए है.

आज ये बहस फिर से खड़ी हो रही है कि क्या भारत की दक्षिणपंथी ताकतें दो राष्ट्र का सिद्धांत सही साबित कर रही हैं. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

पिछड़ा वर्ग आयोग समाज में समरसता लाएगा या विभाजन पैदा करेगा

एक बार फिर से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला हुआ है. मंडल कमीशन जब बना था, उस समय पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए सारे देश में काफी हलचल हुई थी. समाज के लगभग हर उन हिस्सों की पहचान की गई थी, जिन्हें पिछड़ों की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है. मंडल कमीशन बन तो गया, लेकिन कोई भी सरकार इसे लागू करने की हिम्मत नहीं कर पाई. विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसे लागू किया और लागू करने के पीछे उस समय की स्थिति यह थी कि अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग अपने को आर्थिक और सामाजिक रूप से अलग–थलग पा रहे थे. वो सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे. विश्वनाथ प्रताप सिंह की सोच यह थी कि अगर पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, तो ये लोग अपने वर्ग के सभी हिस्सों का विकास करेंगे. राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से देश की मुख्यधारा में शामिल करेंगे. मंडल कमीशन का सवर्ण वर्गों ने बहुत ज्यादा विरोध किया. उन्होंने ये कहा कि आर्थिक आधार पर वर्गों की पहचान होनी चाहिए, न कि जाति के आधार पर. विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया, तब उन्होंने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा था. वे उसका एक बिल लाने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया और वो बिल फाइलों की शोभा बन कर रह गई.

विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ये भी सोचा था कि मंडल कमीशन लागू होने के बाद जाति व्यवस्था कमजोर होगी. जब पिछड़े वर्गों में राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक रूप से संपन्नता आएगी, तब समाज परिवर्तन का सिलसिला शुरू होगा. लेकिन अपने आखिरी दिनों में उन्हें इस बात का बहुत दुःख था कि जिस मंडल कमीशन को उन्होंने जाति व्यवस्था ढीली होगी, यह सोचकर लागू किया था, उस मंडल कमीशन ने जाति व्यवस्था को और मजबूत कर दिया. ये अलग बात है कि मंडल कमीशन लागू होने से देश में पिछड़े वर्गों के नए नेता पैदा हुए, जिन्होंने सफलतापूर्वक सवर्ण राजनीतिज्ञों का स्थान लिया और अपने–अपने समाज के नेता बन गए. ये अलग बात है कि उनमें से अधिकतर आज भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे हैं. इससे ये पता चलता है कि अगर समाज परिवर्तन की दृष्टि चतुर्मुखी न हो, तो ये अपने समाज के भीतर भी एक नया प्रभुतासंपन्न वर्ग पैदा कर देता है.

अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्णय लिया है. सरकार का ये मानना है और उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का सहारा ले रही है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में भी एक क्रीमीलेयर पैदा हो गया है, इसलिए ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है, जिन्हें अबतक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है. इसे उन्होंने पिछड़ों और अतिपिछड़ों में बांटा है. पहली नजर में ये फैसला बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अगर इसका राजनीतिक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पिछड़ों की एकजुट ताकत को तोड़ने के लिए इस फैसले का इस्तेमाल हो सकता है. पिछड़े और अतिपिछड़े में संपूर्ण पिछड़े वर्ग को बांटा जा सकता है. इसमें वो सारी जातियां प्रभावित होंगी, जिन्हें अबतक आरक्षण का पूरा लाभ मिलता रहा है. दूसरा सवाल ये है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने आरक्षण के आधार पर अब तक पूरे पद भरे ही नहीं हैं. पिछड़े वर्ग के नेताओं का ये कहना है कि जिस दिन सारे पद भर जाएं, उस दिन आप पिछड़े और अतिपिछड़े का सवाल उठाइए, लेकिन 2019 का चुनाव सामने है. बिहार में नीतीश कुमार ने दलित और महादलित नाम का बंटवारा दलित समाज में सफलतापूर्वक कर दिया था. दलितों को आरक्षण मिला हुआ है. उन्होंने महादलितों के नाम पर आरक्षण किया और उन्हें सुविधाएं भी दीं, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिला. अब केन्द्र सरकार इस नए आयोग के जरिए उन वर्गों की पहचान करेगी, जो वर्ग अति पिछड़े या महापिछड़े की श्रेणी में आते हैं. शब्द का चयन तो आयोग करेगा. सारांश यही है कि पिछड़ों कि वो बड़ी जातियां, उन्हें आरक्षण से दूर रखा जाए और अतिपिछड़ों और महापिछड़ों को इसमें शामिल किया जाए, जिन्हें अबतक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है. इस तरह से पिछड़ों की एक बड़ी राजनीतिक ताकत को कमजोर किया जा सकता है और पिछड़ों का बड़ा हिस्सा 2019 के चुनाव में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है.

अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का निर्णय लिया है. सरकार का ये मानना है और उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का सहारा ले रही है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में भी एक क्रीमीलेयर पैदा हो गया है, इसलिए ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है, जिन्हें अबतक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है. इसे उन्होंने पिछड़ों और अतिपिछड़ों में बांटा है. पहली नजर में ये फैसला बहुत अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अगर इसका राजनीतिक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि पिछड़ों की एकजुट ताकत को तोड़ने के लिए इस फैसले का इस्तेमाल हो सकता है. पिछड़े और अतिपिछड़े में संपूर्ण पिछड़े वर्ग को बांटा जा सकता है.

हालांकि राजनीतिक रूप से ये सच है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद को सफलतापूर्वक देश के पिछड़ों के नेता के रूप में स्थापित किया और अमित शाह ने भी खुद को पिछड़ों के नेता के रूप में साबित करने की कोशिश की. उन्हें लोकसभा में इसका फायदा बड़े पैमाने पर मिला, लेकिन बिहार में इसका फायदा उन्हें नहीं मिल पाया. उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें इसका 100 प्रतिशत फायदा मिला, क्योंकि अखिलेश यादव और मायावती दोनों पिछड़ों के तमाम वर्गों को अपने साथ बनाए रखने में सफल नहीं हो पाए. इन दोनों के काम करने के तरीकों ने अतिपिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ जोड़ दिया. अब ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा माना जा सकता है.

क्या ये पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल पार्ट–दो के रूप में जाना जाएगा? क्या पिछड़ा वर्ग, नया पिछड़ा वर्ग आयोग देश में पिछड़ों के ऐसे वर्गों की पहचान सफलतापूर्वक कर पाएगा, जिन्हें अब तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है या उसमें भी उसे कोई परेशानी आएगी? अभी तक पिछड़ों के बड़े नेता, जिनमें मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार जैसे लोग हैं, उन्होंने अभी इसके ऊपर गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दी है. इनकी प्रतिक्रिया कभी भी आ सकती है. देखना पड़ेगा कि नया पिछड़ा वर्ग आयोग कितनी समरसता पैदा करता है या कितना विभाजन पैदा करता है? वैसे हमारा समाज विभाजन की एक सतत प्रक्रिया से गुजर रहा है, जहां हर आदमी बंटने के लिए तैयार है. हर वर्ग बंटने के लिए तैयार है. शायद सबका साथ, सबका विकास जैसा नारा और उसका परिणाम देश के उन वर्गों तक नहीं पहुंच पा रहा है, न निकट भविष्य में पहुंच पाएगा, जिन्हें हम वंचित, दलित, पिछड़ा और अब महादलित या महापिछड़ा कह सकते हैं. देखना है कि भविष्य में क्या होगा? ■

editor@chauthiduniya.com

बच्चों की मौत हमें कटघरे में खड़ा करती है

भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस के आस–पास उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 70 बच्चों की मौत हो गई. क्या देश के लिए इससे अधिक शर्मनाक बात कोई और हो सकती थी? 10 और 11 अगस्त की रात को गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में रात 11 बजे से दो बजे के बीच 30 बच्चों की मौत हो गई. ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने के बावजूद इन बच्चों के अभिभावक हाथ से चलने वाली मशीनों से बच्चों को ऑक्सीजन देने की कोशिश करते रहे. जब काल के गाल में समाए इन बच्चों की तस्वीरें मीडिया में आईं, तब उत्तर प्रदेश सरकार ने वही किया जो अन्य सरकारें इस तरह के मामलों में करती हैं. बलि का बकरा ढूंढा गया और फिर जांच के आदेश दे दिए गए. राज्य सरकार ने कहा कि मौत ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने से नहीं, बल्कि संक्रमण की वजह से हुई थी. जबकि यह बात सामने आ चुकी थी कि ऑक्सीजन आपूर्ति करने वाली कंपनी का बकाया नहीं चुकाने की वजह से उसने आपूर्ति बंद कर दी थी. इस मामले में जांच पूरी होने और यहां तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार निष्कर्ष पर पहुंच गई. 14 से 16 अगस्त के बीच 34 और बच्चों की मौत इसी अस्पताल में हुई. उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस के सबसे अधिक मामले गोरखपुर से ही आते हैं. इस बीमारी से देश में जितने लोग पीड़ित होते हैं, उनमें से 75 फीसदी उत्तर प्रदेश के होते हैं. इसमें एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी एईसी के मरीज भी शामिल हैं. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी की वजह से लोगों के सामने बड़े अस्पताल में आने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है. गोरखपुर में 120

प्राथमिक केंद्रों की जरूरत है, जबकि हैं सिर्फ 90. बीआरडी मेडिकल कॉलेज 300 किलोमीटर के दायरे में 15 जिलों के लिए एकमात्र रेफरल अस्पताल है.

ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस बीमारी को रोकने के लिए जरूरी उपाय क्यों नहीं किए गए? जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए टीका लगाना 2006 में एकीकृत कार्यक्रम के तहत शुरू हुआ था. लेकिन 2015 में गोरखपुर में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने जो सर्वेक्षण किया, उसमें पता चला कि अधिकतर बच्चों को टीका नहीं लगा है. जिन बच्चों को टीका लगा, उन्हें भी केवल एक टीका लगा, जबकि दो टीका अनिवार्य होता है. इस बीमारी से बचाव के लिए भी जरूरी कदम नहीं उठाए गए थे.

जन स्वास्थ्य की बुरी हालत किसी से छिपी नहीं है. उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तो स्थिति और भी खराब है. उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति तत्काल सुधारने की जरूरत है, ताकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसे तृतीयक अस्पतालों पर अधिक बोझ नहीं पड़े. ये अस्पताल कर्मचारियों, चिकित्सकीय उपकरणों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं.

सीएजी की 2016 की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस अस्पताल में जरूरत से 27 फीसदी कम मेडिकल उपकरण थे. इस अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि इंसेफ्लाइटिस से निपटने के लिए 2013 में जिन 104 विशेष चिकित्सा केंद्रों की शुरुआत हुई थी, वे ठीक से काम नहीं कर रहे. इन केंद्रों पर लोग यकीन भी नहीं करते, इसलिए बीआरडी जैसे अस्पतालों पर और बोझ बढ़ जाता है. इस पर पोस्टिंग और खरीदारी में अफसरों के हस्तक्षेप से सरकारी अस्पतालों का मामला और उलझ जाता है.

30 बच्चों की मौत के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार तो चाहती है कि निजी क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाएं देने में शामिल किया जाए और उन्हें जमीन देकर प्रोत्साहित किया जाए. उन्होंने कहा कि इससे सरकारी अस्पतालों की खामियों को दूर किया जा सकेगा. नीति आयोग ने भी राज्यों से कहा कि वे टियर–2 और टियर–3 के शहरों में कुछ खास बीमारियों के इलाज के लिए जिला अस्पतालों का निजीकरण करने पर विचार करे. हालांकि, स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी सार्वजनिक भागीदारी पर बहुत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन समय–समय पर मीडिया में आने वाली रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि इससे गरीबों को फायदा नहीं होता.

बीआरडी की घटना लापरवाही की है, न कि पैसों की कमी की. यह गरीबों की जरूरतों की अनदेखी को भी दिखाता है. इस भयावह स्थिति को निजी क्षेत्र के पैसों से नहीं, बल्कि सरकारी खर्च बढ़ाकर बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन को दुरुस्त कर ठीक किया जा सकता है. गरीबों को मुफ्त जांच और दवाइयां मुहैया कराने का काम जरूरी है. हालांकि, ऐसी सलाह वर्षों से सरकारों को दी जा रही है. जब भी ऐसी घटना घटित होती है, तब खूब हल्ला मचता है, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं होता.

(साभार : इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली)

feedback@chauthiduniya.com

जिला पंचायत अध्यक्ष उपचुनाव: भाजपा ने सपा से झटक लीं आठ सीटें, सपा को मिली मात्र दो, निर्दल को एक

ज़मीन से उखड़ रही सपा

रामभरोसे दास

जिला पंचायत की 11 सीटों पर पिछले दिनों हुए उपचुनाव में आठ सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीते. इसमें दो पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. भाजपा ने सपा के गढ़ औरैया में अपने प्रत्याशी को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाने में सफलता हासिल की, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के जिले कौशांबी में भाजपा को झटका लगा है. कौशांबी में निर्दलीय प्रत्याशी को जीत हासिल हुई.

रामपुर, लखीमपुर खीरी, औरैया, कौशांबी, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, मऊ, मेरठ, संतकबीरनगर और

हाथरस में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अविश्वास प्रस्ताव और इस्तीफों की वजह से खाली हुआ था. इसमें रामपुर से चंद्रपाल सिंह और लखीमपुर खीरी से सुमन सिंह पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए. अन्य नौ सीटों के लिए 22 अगस्त को वोट पड़े. यह चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होता, लिहाजा कोई भी पार्टी आधिकारिक तौर पर किसी को उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकती. लेकिन स्थानीय स्तर पर पार्टियों ने अपने लोगों को, उम्मीदवार को परोक्ष रूप से समर्थन दिया था. उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र कौशांबी में पार्टी को झटका लगा, क्योंकि सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मधु वाचस्पति को करारी हार का सामना करना पड़ा, उन्हें महज आठ वोट

उप मुख्यमंत्री मौर्य के गढ़ में भाजपा चारो खाने चित

मिले. जबकि जीतने वाली निर्दलीय प्रत्याशी अनामिका सिंह को 20 वोट मिले. एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया. मधुपति कुछ दिनों पहले ही कुर्सी बचाने के लिए भाजपा में शामिल हुई थीं. उनकी उम्मीदवारी को लेकर पार्टी की स्थानीय इकाई के स्तर पर काफी अंतर-विरोध था, जिसका असर चुनाव में भी दिख गया. हालांकि, नामांकन के समय भाजपा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा.

औरैया में पहली बार समाजवादी पार्टी हारी. वहां दीपू सिंह राजावत ने सपा समर्थित प्रत्याशी सुधीर सिंह यादव को छह वोटों से हराया. एक वोट खारिज हुआ. जेल में होने के चलते दो सदस्य वोट नहीं डाल पाए. औरैया में नामांकन के दौरान काफी बवाल हुआ था. इसी बवाल में सपा के स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रदर्शन के दौरान पिछले दिनों हिरासत में लिया गया था. पूर्व अध्यक्ष प्रदीप यादव को जेल जाना पड़ा. औरैया जिला बनने के बाद पहली बार वहां से गैर सपाई जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर काबिज हुआ है. उधर, बसपा नेता व पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय हाथरस में अपने भाई की कुर्सी भी नहीं बचा पाए. क्षेत्रीय लोग कहते हैं कि हाथरस में अब रामवीर की पकड़ टूट रही है. जिला पंचायत अध्यक्ष के उपचुनाव में वे अपने भाई रामेश्वर उपाध्याय को जीत नहीं दिला पाए. रामवीर के भाई को सपा व कुछ अन्य दलों द्वारा समर्थित प्रत्याशी ओमवती ने रामेश्वर उपाध्याय को हटाया. रामवीर के भाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के चलते सीट खाली हुई थी. मेरठ और बुलंदशहर सीट पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने सपाई प्रत्याशियों को हराकर जीत हासिल की. मेरठ की सीट सपा की सीमा प्रधान और बुलंदशहर की सीट सपा के हरेंद्र यादव के पास थी. दोनों के खिलाफ अविश्वास लाया गया था और दोनों को इस्तीफा देना पड़ा था. मेरठ में भाजपाई कुलविंदर

ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में भी जीत गई भाजपा

लखनऊ के माल और मलिहाबाद में ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत हासिल की. मलिहाबाद में निशा सिंह चौहान और माल में खातूना निर्वाचित हुईं. मलिहाबाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मतगणना के बाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी निशा सिंह चौहान की जीत का ऐलान किया गया. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सपा-बसपा समर्थित प्रत्याशी चंद्र भूषण यादव उर्फ मुन्ना सिंह यादव को 15 मतों से हरा दिया. इस चुनाव में 90 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 89 ने वोट डाले. निशा सिंह चौहान के पक्ष में 51 और चंद्रभूषण यादव के पक्ष में 36 वोट पड़े. गिनती के दौरान दो वोट रद्द कर दिए गए. माल ब्लॉक के प्रमुख के चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी खातूना ने निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख राजकुमारी को हराया. 86 बीडीसी सदस्यों में से तीन मतदान में शामिल नहीं हुए और चार वोट अवैध हो गए. खातूना को 44 और राजकुमारी को 35 मत मिले. इस बार खास तौर पर मलिहाबाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रोचक था, क्योंकि इस सीट के लिए चंद्रभूषण यादव उर्फ मुन्ना सिंह यादव प्रबल दावेदार थे. मुन्ना सिंह मोहनलालगंज के भाजपा सांसद कौशल किशोर के संघर्ष के दिनों के साथी रहे हैं, लेकिन राजनीति में मित्र से अधिक हित प्रिय होता है, लिहाजा कौशल ने दलबदलू निशा सिंह चौहान का समर्थन करना हितकारी समझा. कौशल किशोर के इस कदम से नाराज होकर भाजपा के लखनऊ जिला अध्यक्ष रामनिवास यादव ने सांसद कौशल किशोर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी की थी. मलिहाबाद ब्लॉक प्रमुख की सीट खुदादाद खां के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के कारण खाली हुई थी. खुदादाद के खिलाफ 90 में से 65 बीडीसी ने शपथ पत्र देकर अविश्वास व्यक्त किया था. अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीतने वाली निशा सिंह चौहान कालीचरन महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष अनिल सिंह चौहान की पत्नी हैं. अनिल सिंह चौहान हाल ही हुए विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे थे. बाद में भाजपा में शामिल हो गए. माल ब्लॉक प्रमुख के लिए खातूना खान को समर्थन देने के मसले पर भी भाजपा जिलाध्यक्ष ने भाजपा सांसद कौशल किशोर के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी की थी. लेकिन राजनाथ सिंह का खास होने के कारण कौशल किशोर बचे रहे.

सिंह जीते, जिन्हें 17 वोट मिले जबकि उनकी प्रतिद्वंद्वी सपना हुड्डा को 16 वोट मिले. बुलंदशहर में भी भाजपाई प्रत्याशी प्रदीप चुनाव जीते. मऊ से भाजपा समर्थित उर्मिला देवी और फर्रुखाबाद से ज्ञान देवी कठेरिया चुनाव जीत गईं. गाजीपुर में भी सपा समर्थित उम्मीदवार आशा जीतने में कामयाब रहीं. संतकबीर नगर जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीना देवी जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुईं. इस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के उप चुनाव में भाजपा ने जोरदार छलांग लगाई, जबकि बसपा और कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

बंद हो गया इलाहाबाद में स्नानघाटों और शवदाह गृहों का निर्माण

ढिंढोरे से नहीं होती सफ़ाई

अर्धकुंभ से पहले गंगा-यमुना को प्रदूषण-मुक्त करने का लक्ष्य अधर में

भिखारी सिंह डुमरी

प्रचारतंत्र और ढींढोरेबाजी से गंगा कभी प्रदूषण-मुक्त नहीं हो सकती. 'नमामि गंगे' योजना के तहत इलाहाबाद में दर्जनभर स्नान घाटों और आधा दर्जन से अधिक शवदाह गृहों का काम रोक दिया गया है. प्रशासन के इस कदम से अफरा-तफरी है, जबकि आधिकारिक तौर पर कुछ बताया भी नहीं जा रहा है. करीब 80 करोड़ की लागत से होने वाले काम शुरू करते समय शासन ने इलाहाबाद में गंगा के कायाकल्प की बात कही थी. निर्माण कार्य अर्धकुंभ तक होना था, लेकिन अब तक इसमें 10 फीसदी ही काम हुआ है. इसी साल काम शुरू हुआ, पर एक महीने पहले आए एनएमसीजी के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया. इससे अर्धकुंभ से पहले इलाहाबाद में गंगा के कायाकल्प की योजना पर ग्रहण लग गया है.

इलाहाबाद में 10 स्नान घाटों और आठ शवदाह गृहों का शिलान्यास 7 जून 2016 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री

इलाहाबाद में 10 स्नान घाटों और आठ शवदाह गृहों का शिलान्यास 7 जून 2016 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने किया था. इनके निर्माण की जिम्मेदारी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दी गई थी.

साध्वी निरंजन ज्योति ने किया था. इनके निर्माण की जिम्मेदारी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दी गई थी. इलाहाबाद में रसूलाबाद, फाफामऊ, श्रीनारायण घाट, अरैल, सरस्वती घाट, बरगद घाट, काली मां घाट, बलुआघाट, किलाघाट और गऊघाट में स्नान घाट बनाए जाने थे. फाफामऊ, रसूलाबाद, शंकरधाम घाट, दारागंज (इलेक्ट्रिक और लकड़ी), झूंसी, ककरहा और कन्हैया घाटों पर शवदाह गृह बनने थे. 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के एनएमसीजी के दिशा-निर्देश में इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था. इसमें इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को भी सलाहकार नियुक्त किया गया था. मकसद यह था कि अर्धकुंभ तक सभी घाटों और शवदाहगृहों का निर्माण हो जाए. इससे इलाहाबाद में गंगा और यमुना को प्रदूषणमुक्त किया जा सकेगा और श्रद्धालु स्वच्छ जल में स्नान कर सकेंगे. लेकिन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एनएमसीजी) ने जुलाई महीने में काम बंद करने का गुपचुप आदेश जारी कर दिया.

घाटों और शवदाह गृहों के निर्माण से जुड़ी एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एनएमसीजी से एक पत्र मिला जिसमें कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों को ध्यान में रखते हुए काम करने के लिए कहा गया. आदेश में सीधे तौर पर काम बंद करने को नहीं कहा गया, लेकिन संकेत साफ थे. इससे यह साफ हो गया कि सरकार ने दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है, जिससे उसे विरोध का सीधे सामना न करना पड़े. इस परियोजना से जुड़े काम के रुक जाने से गंगा की स्वच्छता को लेकर काम कर रहे समाजसेवी नाराज हैं और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. 'नमामि गंगे' से जुड़ी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और कार्रवाई से जुड़ी गंगा प्रदूषण नियंत्रण ईकाई के प्रोजेक्ट मैनेजर जेपी मणि का कहना है कि घाटों और शवदाह-गृहों का काम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की देखरेख में चल रहा था. इसलिए वे इस बारे में कुछ नहीं कह सकते. ■

क्या सचमुच बदलेगी काशी के घाटों की दशा!

केंद्र सरकार की 'प्रसाद' (पिलग्रिमेज रेजुवनेशन एंड स्प्रिचुअल ऑग्मेंटेशन) योजना में 500 करोड़ की लागत से काशी के ऐतिहासिक घाटों के साथ ही पर्यटन स्थलों के कायाकल्प किए जाने की भी तैयारी है. अस्सी घाट पर लाइट एंड साउंड का शो शुरू होगा और बनारस घराने के संगीत तीर्थ कबीर चौरा में कलाधाम बनेगा. पर्यटन विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक शहर के प्रमुख गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक जाने वाले मार्ग की 52 करोड़ रुपए से साज-सज्जा की जाएगी. कबीर चौरा में 43 करोड़ से काशी कलाधाम बनेगा. इसकी मांग बनारस घराने से जुड़ी नामचीन कला-हस्तियों से लेकर नवोदित कलाकार लंबे समय से कर रहे थे. संत कबीर उद्‌भव स्थल लहरतारा में हाईटेक कुटिया बनेगी. गुरुधाम मंदिर चरण पादुका के अलावा पंचकोसी परिक्रमा रूट की पुरानी तस्वीर भी बदल जाएगी. पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अविनाश चंद्र मिश्र का कहना है कि इसमें ग्रीन बेल्ट, पाथ-वे के अलावा पर्यटकों के बैठने के लिए स्थान भी विकसित किया जाएगा. शहरभर में पर्यटन से सम्बन्धित दिग्दर्शिकाएं लगाने का भी काम होगा. इन सभी काम के लिए अर्द्धचंद्राकार श्रृंखला के 84 घाटों की मरम्मत के साथ-साथ लाइट की ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि घाट रौशनी से जगमगाएं. महिषासुर से लेकर श्रृंखला के अंतिम आदि केशव घाट तक चुनार के लाल पत्थरों से रीवर-फ्रंट बनाने की भी योजना है.

feedback@chauthiduniya.com

रोज-रोज हो रहा है कोई न कोई हादसा, न हिफ़ाज़त न कोई दिलासा

ये रेल का सफर हादसों का सफर है...

दीनबंधु कबीर

जिस तरह रेल हादसे बढ़ रहे हैं, ऐसे में यह भय आम लोगों में घर करता जा रहा है कि 'यहां रेल का सफर हादसों का सफर है.' रेल हादसों पर खूब राजनीति हो रही है, लेकिन हादसों की तह में जाने, उसे रोकने और दोषियों को सींखचों में डालने के रास्ते पर कोई बात या पहल नहीं हो रही है. जिस तेजी से रेल हादसे हो रहे हैं, उसे देखते हुए गहराई से छानबीन की कोशिश होनी चाहिए. आखिर ये हादसे तेजी से क्यों बढ़े और यूपी ही इसका सबसे अधिक शिकार क्यों हो रहा? इन सवालों की पड़ताल बहुत जरूरी है. रेल मंत्री को बदलने से हादसे नहीं रुकने वाले. 23 अगस्त को यूपी के औरैया के पास जो रेल हादसा हुआ वह क्या बताता है? फ्रेट कॉरीडोर वाले रूट पर काम कर रहा डंफर मेन लाइन रूट पर आकर कैसे खड़ा हो गया? भारी-भरकम डंफर को मेन लाइन रूट पर रखने का मतलब ही था बड़े रेल हादसे को न्यौता. यह तकनीकी भूल है या सीधा-सीधा षडयंत्र? इसे कोई मामूली अक्ल वाला व्यक्ति भी समझ सकता है. मेन ट्रैफिक वाली रेल पटरी पर भारी-भरकम डंफर खड़ा रहा और किसी भी व्यक्ति या रेल कर्मचारी का ध्यान नहीं गया? ये स्वाभाविक सवाल बहुत ही अस्वाभाविक स्थितियों की तरफ संकेत दे रहे हैं. एक हफ्ते में दो बड़े रेल हादसे यूपी के खाते में दर्ज हुए हैं. औरैया में कैफियत एक्सप्रेस दुर्घटना के कुछ ही दिन पहले 19 अगस्त मुजफ्फरनगर के खतौली में कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें आधिकारिक तौर पर 23 यात्री मरे और सौ से अधिक लोग बुरी तरह जख्मी हुए. स्थानीय लोग मरने वालों की तादाद अधिक बताते हैं. हादसा इतना भीषण था कि ट्रेन की पटरियां काफी अलग हट कर बने घरों से टकरा गईं और घर ध्वस्त हो गए. कैफियत एक्सप्रेस में भी तकरीबन सौ यात्री जख्मी हुए. गनीमत है कि मौके पर किसी के मारे जाने की खबर नहीं मिली.

रेल हादसों में आम लोगों की जान जाती है, लोग बड़ी संख्या में जख्मी होते हैं, कई लोग जीवनभर के लिए विकलांग हो जाते हैं, लेकिन रेलवे के 'विकलांग' अधिकारी कितनी मासूमियत से कहते हैं कि बालू से भरा डंफर रेलवे ट्रैक पर पलट गया और ड्राइवर बिना सूचना दिए वहां से भाग गया. यह बड़े अधिकारियों का पुराना तरीका है, किसी मामूली आदमी को बलि का बकरा बना कर टांग देने का. ड्राइवर के भागने का तर्क देकर रेलवे प्रशासन परोक्ष रूप से यह स्वीकार कर रहा है कि पूरा का पूरा रेल महकमा, उसके अधिकारी और कर्मचारी अंधे हैं, जिन्हें रेल की पटरियों पर गिरा हुआ भारी-भरकम डंफर तक नहीं दिखता. ...या इस अंधत्व के पीछे कोई सुनियोजित षडयंत्र है? इन सवालों पर सीधे गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए और केंद्रीय खुफिया एजेंसी से जांच करानी चाहिए. रेल मंत्रालय तो रेल प्रबंधन से ही जांच कराएगा और वह जांच किसी मामूली कर्मचारी, ठेकेदार या ड्राइवर को दोषी बता कर समेट दी जाएगी और अधिकारी अपनी खाल बचाने में हमेशा की तरह सफल हो जाएंगे.

जिस तरह उत्तर प्रदेश में रेल हादसों की रफ्तार बढ़ी है,

> रेल हादसों में आम लोगों की जान जाती है, लोग बड़ी संख्या में जख्मी होते हैं, कई लोग जीवनभर के लिए विकलांग हो जाते हैं, लेकिन रेलवे के 'विकलांग' अधिकारी कितनी मासूमियत से कहते हैं कि बालू से भरा डंफर रेलवे ट्रैक पर पलट गया और ड्राइवर बिना सूचना दिए वहां से भाग गया. यह बड़े अधिकारियों का पुराना तरीका है, किसी मामूली आदमी को बलि का बकरा बना कर टांग देने का.

रेल हादसों में आतंकी साज़िश की आशंका से भी इन्कार नहीं

रेल हादसों के पीछे आतंकी साजिशों की संभावना या आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता. खुफिया पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि बीते साल नवम्बर 2016 में कानपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर पुखरायां स्टेशन के पास इंदौर-पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने की घटना आतंकी साजिश का परिणाम थी. उस हादसे में आधिकारिक तौर पर डेढ़ सौ लोग मारे गए थे. उस हादसे को आईएसआई के इशारे पर अंजाम दिया गया था. इसे ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर में हुए कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस हादसे के पीछे भी षडयंत्र की आशंका के सूत्र तलाशे जा रहे हैं. रेल की पटरी कटी हुई पाई गई, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ. रेल की पटरी कटे होने से यह आशंका गहराई कि इसके पीछे कहीं तोड़फोड़ का षडयंत्र तो नहीं! इसे ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वॉयड को भी अपने एंगल से हादसे की जांच के लिए कहा है. रेलवे प्रबंधन का कहना था कि रेल की पटरियों पर काम चल रहा था, उस वजह से पटरी टूट सकती है. लेकिन मुजफ्फरनगर के खतौली रेलवे स्टेटशन के सुपरिंटेंडेंट राजेंद्र सिंह ने स्पष्ट कहा कि किसी भी ट्रैक के मरम्मत होने की उन्हें जानकारी नहीं है, जबकि ऐसा कोई भी काम होता है तो स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को औपचारिक तौर पर सूचना दी जाती है. अगर रिपेयरिंग का काम होना है, तो इंजीनियरिंग विभाग को पता रहता है, लेकिन विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी.

साज़िश और विभागीय लापरवाही दोनों एंगल से जांच ज़रूरी

रेल कुछ हादसों के पीछे की वजह तोड़फोड़ की साजिश जरूर रही है, लेकिन ज्यादातर हादसे रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से होते हैं. रेल विभाग के एक आला अधिकारी ने रेल सुरक्षा आयोग की सालाना रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उपकरणों का ठीक से काम करना, लापरवाह स्टाफ और पटरी में पड़ी दरारें ज्यादातर घातक मामलों की मुख्य वजह होती हैं. रेलवे सुरक्षा के मसले पर अध्ययन के लिए बनी काकोडकर समिति ने ट्रेनों के पटरी से उतरने की 441 घटनाओं की जांच की थी और पाया था कि इनमें से महज 15 फीसदी हादसे साजिश और तोड़फोड़ की वजह से हुए. यानि अधिकतर हादसे रेलवे प्रशासन की लापरवाही से हुए, जिन्हें टाला जा सकता था. उक्त अधिकारी ने कहा कि रेलवे यात्रियों से पैसे वसूलता है, लिहाजा उसका प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने ग्राहकों की सुविधा के साथ-साथ उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखे और पुख्ता बंदोबस्त करे. लेकिन रेलवे ऐसा नहीं करता, जो सीधा-सीधा आपराधिक उपेक्षा (क्रिमिनल नेग्लिजेंस) के दायरे में आता है. राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के तहत करीब एक लाख 19 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान है. लेकिन यह फंड कैसे खर्च होता है, कहां खर्च होता है, इस बारे में लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता. इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है. सब मिल बांट कर खाने-पीने की व्यवस्था है. वित्त मंत्रालय काफी अर्से से कहता रहा है कि रेल विभाग को यह फंड आंतरिक व्यवस्था से जुटाना चाहिए. यातायात नेवटर्क की सुरक्षा के लिए बजट में और अधिक पैसे का प्रावधान किए जाने का तर्क तभी औचित्यपूर्ण होगा, जब रेल मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी देगा. विडंबना यह है कि काकोडकर समिति पांच साल पहले ही कह चुकी है कि पुराने और असुरक्षित हो चुके डिब्बों को आधुनिक लिंक-हॉफमैन बुश कोचों से बदला जाना चाहिए. लेकिन इस पर रेल मंत्रालय कोई ध्यान नहीं दे रहा. यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है. रेल विभाग का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है. लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त का तौर-तरीका कुछ भी आगे नहीं सरक रहा. ट्रैक को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन जैसी तकनीक सहित तमाम आधुनिक इंतजाम उपलब्ध हैं. इन उपायों से बढ़ते यात्रियों की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकती है. लेकिन रेल मंत्रालय इन्हें अपनाने में कोई रुचि नहीं ले रहा है.

पीएम का कौशल-विकास लफ्फाजी से अधिक कुछ भी नहीं

बढ़ते रेल हादसों के नजरिए से देखें, तो प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना लफ्फाजी ही साबित हो रही है. तकनीकी कर्मचारियों के अभाव में अकुशल श्रमिकों से काम लिए जाने के कारण रेल हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने वाली तथाकथित कौशल-विकास योजना को ताक पर रख दिया गया है. रेल विभाग अपने ही ट्रेंड अप्रेंटिसों को नौकरी पर नियमित नहीं कर रहा और बाहर से ठेका पर मजदूरों को लेकर काम करा रहा है. ऐसे ही हजारों ट्रेंड अप्रेंटिस एक लंबे अर्से से आंदोलन कर रहे हैं. अभी हाल ही में हजारों अप्रेंटिसों ने राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी क्रमिक अनशन किया और प्रदर्शन का सिलसिलेवार कार्यक्रम चलाया. आखिरकार सरकार ने इस मामले का निपटारा करने के बजाय प्रदर्शनकारियों को ही वहां से खदेड़ भगाया. रेलवे अपरेंटिस डबल-स्किल्ड श्रेणी के अंतर्गत आते हैं. आईटीआई और अपरेंटिस जैसे कोर्स में कई तरह की परीक्षाएं पास करने के बाद इन्हें नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है. इन अप्रेंटिसों को पहले रेलवे में समायोजित कर लिया जाता था. यह प्रक्रिया बंद कर देने और पहले से नियुक्त ट्रेंड अप्रेंटिसों को नौकरी से निकाल बाहर करने के कारण देशभर के करीब 40 अप्रेंटिस आत्महत्या कर चुके हैं. प्रशिक्षुओं का कहना है कि उन्होंने रेलवे में ट्रेनिंग की है, लिहाजा उन्हें रेलवे का ही काम आता है. बाहर उन्हें कोई नौकरी नहीं देता. दूसरी तरफ रेलवे में सुरक्षाकर्मियों की भारी कमी है. यह आधिकारिक तथ्य है. रेल मंत्रालय किराए में लगातार बढ़ोतरी करता जा रहा है, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की भर्ती में उसकी कोई रुचि नहीं है. अभी हाल ही रेल मंत्रालय ने संसद में यह स्वीकार किया था कि रेलवे सुरक्षा महकमे में समूह (ग) और समूह (डी) में रिक्तियों की कुल संख्या 122763 है. इस आंकड़े की आधिकारिक स्वीकारोक्ति इस बात का भी जवाब है कि सरकार को यात्रियों की सुरक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं है. हर साल किराया बढ़ाने वाले रेल मंत्रालय ने हादसों में मरने वाले यात्रियों को दिया जाने वाला मुआवजा पिछले दो दशक से नहीं बढ़ाया है. चार लाख रुपए का मुआवजा 1997 में तय हुआ था, वही अब भी मिल रहा है. आजादी के बाद पहली बार 1962 में रेल हादसे में मारे जाने वालों के लिए 10 हजार रुपए मुआवजा तय किया गया था. उसके बाद 1963 में इसे बढ़ाकर 20 हजार रुपए कर दिया गया. 1973 में मुआवजे की राशि बढ़ा कर 50 हजार रुपए की गई. फिर 1983 में यह एक लाख रुपए हुआ. 1990 में मुआवजा दो लाख रुपए किया गया और 1997 में इसे चार लाख रुपए किया गया. लेकिन उसके बाद वह वहीं अटक गया. ■

उसके प्रति प्रदेश सरकार को भी अलर्ट होना होगा. रेलवे पर छोड़ देने से साजिशों का सिरा अनछुआ रह जाता है. सरकारी रेल पुलिस (जीआरपी) को अपने धंधे और बड़े अधिकारियों की तीमारदारी से फुर्सत नहीं रहती. मुखबिरों का जाल बिछाने और सूचना-तंत्र विकसित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी आखिरी सूची में भी शामिल नहीं रही है. लिहाजा, रेल-संसार में घनघोर अराजकता है और अपराधियों का भीषण बोलबाला है. स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि यही अपराधी आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम देने में काम आते हैं. लेकिन इसका पता तभी चलेगा जब सरकारी रेल पुलिस अपना सूचना तंत्र विकसित करेगी. कैफियत एक्सप्रेस और कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस हादसा मिला कर प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में 15 बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें पांच सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं. दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि एक हादसे में 10 बच्चों की दुखद मौत हो चुकी है. इन 15 रेल हादसों में जख्मी हुए लोगों की तादाद तो हजार के करीब है. ये कुछ मारक हादसे हैं- 19 अगस्त 2017 को मुजफ्फरनगर में हुआ कलिंग-उत्कल एक्सप्रेस हादसा, भदोही में 25 जुलाई 2016 को ट्रेन और स्कूल वैन भिड़ंत, नवम्बर 2016 में कानपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर पुखरायां स्टेशन के पास इंदौर-पटना एक्सप्रेस हादसा (150 लोग मारे गए थे), 20 मार्च 2015 को रायबरेली के बछरावां में हुआ वाराणसी एक्सप्रेस हादसा, एक अक्टूबर 2014 को गोरखपुर के नंदानगर में कृषक एक्सप्रेस और लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस भिड़ंत, 20 मार्च 2012 को हाथरस में रेल क्रॉसिंग हादसा, 10 जुलाई 2011 को फतेहपुर के पास हुआ कालका एक्सप्रेस हादसा, 16 जनवरी 2010 को टूंडला में श्रम शक्ति एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर, एक नवम्बर 2009 को चक-रसूलपुर के पास गोरखपुर से अयोध्या जाने वाली पैसेंजर ट्रेन और ट्रक की टक्कर, 21 अक्टूबर 2009 को मथुरा के पास मेवाड़ एक्सप्रेस और गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेनों में टक्कर, 12 मई 2002 को जौनपुर में श्रमजीवी एक्सप्रेस हादसा और चार जून 2002 को कासगंज में एक्सप्रेस रेलवे क्रॉसिंग हादसा. हादसों का आंकड़ा गिनने का कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका मतलब रेल मंत्रालय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सतर्क करने से संदर्भित है. इस तीन साल में ही देशभर में करीब 10 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं, जिनमें साढ़े तीन सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हुए. लेकिन सरकार इस दिशा में अपनी गंभीरता नहीं दिखा रही है. ■

पहाड़ी नदियों ने बदली करवट और डूब गया उत्तर बिहार

संजय सोनी/उपेन्द्र

बिहार के लिए बाढ़ कोई नई कहानी नहीं है. हर साल कभी ज्यादा तो कभी कम, सूबे के लोग इस त्रासदी को झेलते आए हैं. लेकिन इस बार की स्थिति कुछ ज्यादा ही गंभीर है. सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज और चंपारण सहित कई जिलों में बाढ़ ने तांडव मचाया है. 12 जिलों के 84 प्रखंडों व 889 पंचायतों की कुल 65.37 लाख की आबादी बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित हुई है. इस साल की बाढ़ ने यह साबित कर दिया कि बिहार सरकार का विकास मॉडल नदी क्षेत्रों में चलने वाला नहीं है. विकास के नाम पर जिस तरह से पुल-पुलिया अवरूद्ध किए गए और नदी मार्गों का अतिक्रमण किया गया, उसका कुपरिणाम अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है.

अररिया जिले के फारबिसगंज व जोगबनी को डूबोने वाली प्रमुख नदी सीताधार रही है. इस नदी को अतिक्रमित कर भूमाफियाओं ने पहले किसी दलित के नाम से बंदोबस्ती करवाया और फिर इस पर मिट्टी भरवाई करवाकर सीओ की मिलीभगत से बेच दिया. परिणाम ये हुआ कि भारी बारिश के बाद आए बाढ़ ने नदी के रास्ते अपना रुख रिहायसी इलाकों की ओर मोड़ लिया. अररिया के प्रखंड जोकीहाट, सिकटी, पलासी, कुर्साकांटा, नरपतगंज, भरगामा के अलावा नगर पंचायत फारबिसगंज व जोगबनी इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. पनार, काकन, बिलौनियां, सुरसुर सहित महानंदा बेसिन क्षेत्रों में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों को विस्थापित की जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया. जानमाल की भारी क्षति ने सैकड़ों परिवारों व किसानों की कमर तोड़ दी है. यही हाल सुपौल जिले का भी है. मरौना व निर्मली के अलावा पीपरा, त्रिवेणीगंज, बसंतपुर और बीरपुर में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. कुनौली, कमलपुर, डगमारा, दिघिया, बेला सिंगारपुर, मोसी और मझारी के लोगों को भी भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा. इन इलाकों में खारो, तिलयुगा, जिता, पौबाली आदि नदियों ने भयंकर त्रासदी मचाई.

मधेपुरा जिले के आलमनगर, चौसा, इदाषिनगंज, मुरलीगंज व ग्वालपाड़ा प्रखंड भी भारी बाढ़ से प्रभावित है. आलमनगर के एक लाख 75 हजार 886 व चौसा के करीब एक लाख 65 हजार की आबादी सबसे ज्यादा प्रभावित है. इन प्रखंडों में बाढ का रौद्र रूप देखा जा सकता है. इसी तरह का हाल चंपारण का भी है. बेतिया और मोतिहारी के कई इलाके अब भी पानी डूबे हैं और पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं. यहां भी जान-माल की भारी क्षति हुई है. कोसी प्रमंडलीय मुख्यालय सहरसा जिले के सात प्रखंडों में महिषी, नवहट्टा, सिमरी बख्तियारपुर, बनमा ईटहरी, सोनवर्षा एवं सौर बाजार के 54 पंचायतों को बाढ़ से प्रभावित घोषित किया गया है. जिसमें 38 पंचायतों को पूर्णतः व 16 पंचायतों को आंशिक रूप से प्रभावित बताया गया है. इन इलाकों के बाढ़ से घिरे होने के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन की तरफ से 181 नावों के परिचालन की व्यवस्था की गई थी. जिनमें 44 सरकारी 137 प्राईवेट नावें थीं. जिला जनसंपर्क पदाधिकारी जयशंकर कुमार ने बताया कि बाढ़ के दौरान जिला प्रशासन द्वारा 11 राहत शिविर संचालित किए गए, जिनमें लगभग 6 हजार लोगों के रहने व भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई. जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया. राहत शिविरों में स्वच्छ पेयजल, रोशनी आदि की भी समुचित व्यवस्था की गई और बाढ़ से विस्थापित लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए 11 स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए. इसके अतिरिक्त ईटू घाट, गंडोल चौक, बेलवारा तथा बहोरवा में बांध पर एंबुलेंस की विशेष व्यवस्था की गई. पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक एबंलेटरी वैन का भी परिचालन किया जा रहा है.

इस बाढ़ के दौरान बिहार सरकार ने दावा किया कि प्रशासन की तरफ से एक लाख 82 हजार 480 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 254 राहत शिविरों में 48 हजार 120 लोगों को सुरक्षित रखा गया है. सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने भी बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया. साथ ही पूर्णिया, बेतिया, मोतिहारी सहित कई जिला मुख्यालयों में खुद पहुंच कर राहत कार्यों का जायजा लिया. बाढ़ के दौरान भले ही प्रशासन चाक-चौबंद दिखे, लेकिन बाढ़ के स्थायी निदान के लिए न तो बिहार सरकार और न ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है. बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण हजारों करोड़ का नुकसान होता है. अभी तो बाढ़ प्रभावित लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें सरकार की तरफ से उसका हर्जाना मिलेगा, जो बाढ़ के पानी में बर्बाद हो गया. अभी केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार है, इसलिए लोगों को ये उम्मीद भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर बाढ़ के स्थायी समाधान की दिशा में कार्य करेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

महागठबंधन टूटने का असर

राजद और कांग्रेस विधायकों के रास्ते होंगे मुश्किल

सुनील सौरभ

महागठबंधन में टूट और जदयू के एनडीए में शामिल हो जाने के बाद बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया है. एक तरफ, भाजपा और जदयू नेताओं में खुशी की लहर है, वहीं राजद और कांग्रेस विधायक अभी से आगामी चुनाव को लेकर परेशान दिख रहे हैं. इसका सबसे अधिक असर मगध से आने वाले राजद और कांग्रेस विधायकों पर पड़ने वाला है. आने वाले समय में इनके रास्ते आसान नहीं होंगे. राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखें, तो जदयू के महागठबंधन से अलग हो जाने से इन विधायकों को चुनाव में जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. 2005 और 2010 का विधानसभा का चुनाव राजद-कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था. लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली थी. उस समय पूरे मगध में राजद-कांगेस के आधा दर्जन से भी कम विधायक थे. उक्त दोनों चुनावों में एनडीए के विधायकों की संख्या दो दर्जन के आसपास थी. लेकिन चार साल बाद जदयू के पुनः एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में राजनीतिक समीकरण बदल गया है. स्वभाविक है मगध का भी वोट बैंक और राजनीतिक समीकरण पहले जैसा नहीं रहा.

सभी दलों के बड़े नेताओं को पता है कि मगध पर जिस दल या गठबंधन की मजबूत पकड़ हुई, बिहार की सत्ता पर वही काबिज होता है. 2010 के विधानसभा चुनाव में मगध के गया जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों में से राजद-कांग्रेस को सिर्फ बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से ही सफलता मिल सकी थी, जहां से राजद के डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव जीत हासिल किए थे. हालांकि उनकी जीत को पार्टी की जीत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे लगातार 1990 से वहां से विधायक हैं. शेष नौ विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए के प्रत्याशियों को सफलता मिली थी. डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव अब भी अजेय स्थिति में नजर आते हैं. उसी तरह बोधगया सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान राजद विधायक कुमार सर्वजीत भी अपनी सीट बचा सकते हैं. वे दूसरी बार यहां से विधायक चुने गए हैं. 2010 के विधानसभा चुनाव में वे हार गए थे. ये सीट कुमार सर्वजीत के पिता पूर्व सांसद राजेश कुमार की परंपरागत सीट रही है.

2015 की बात करें, तो उस समय राजद-कांग्रेस के माय समीकरण के साथ-साथ नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि तथा महादलित और अति पिछड़ा वोट बैंक का भी फायदा मिला था महागठबंधन को. हालांकि इस बात को आज राजद-कांग्रेस के नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं. लेकिन जदयू और नीतीश कुमार को जनता के मूड का अंदाजा है. हालांकि बिहार में एक जाति और सबसे बड़े वोट बैंक का नेता लालू को ही माना जाता है. बिहार में मुस्लिम मतदाता भी मन से लालू के साथ हैं. लेकिन दूसरा तथ्य ये भी है कि बावजूद इसके, 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू और कांग्रेस बुरी तरह हार गए. यही कारण है कि महागठबंधन से जदयू के अलग होने के बाद इसे कमजोर होने और एनडीए के मजबूत होने की बात कही जा रही है. इस स्थिति में फायदा एनडीए को ही होता दिख रहा है. गया के अलावा औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और अरवल जिले में भी अब एनडीए मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है. जदयू के एनडीए में आने से भाजपा-जदयू को तो फायदा होगा ही, एनडीए के अन्य घटक दलों हम, लोजपा और रालोसपा को भी इसका लाभ मिलेगा. 2015 के विधानसभा चुनाव में इन दलों के जो प्रत्याशी दूसरे स्थान पर आकर हार गए थे, वैसे प्रत्याशियों को 2020 के विधानसभा चुनाव में लाभ मिल सकता है. हालांकि इन सभी समीकरणों से इतर एक सच ये भी है कि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाय कहना मुश्किल है. ■

feedback@chauthiduniya.com

महात्मा गांधी के आदर्शों से कोसों दूर गांधी संग्रहालय

राकेश कुमार

मोतिहारी के चम्पारण सत्याग्रह स्मारक को देख कर आज बापू की आत्मा कराह रही होगी, क्योंकि स्मारक में वही सब कुछ होता है, जिससे बापू दूर रहने की शिक्षा देते थे. व्यवस्था, रख-रखाव, व्यवहार और नियमों के पालन से लेकर सब कुछ यहां बापू की सोच के विपरित हो रहा है. आज हालत ये है कि देश ही नहीं दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा के स्त्रोत रहे गांधी जी के इस स्थल पर स्थानीय लोग आने से कतराते हैं. अक्सर प्रेमी युगल या असमाजिक तत्वों को यहां आपत्तिजनक हालत में देखा जा सकता है. इन स्थितियों से तंग आकर शहर के कुछ बुद्धिजीवियों ने गांधी संग्रहालय बचाओ समिति की स्थापना की. सबसे पहले 4 अप्रैल 2007 को गांधी संग्रहालय बचाओ समिति से जुड़े लोगों ने गांधी संग्रहालय की अनियमितताओं को दर्शाते हुए जिलाधिकारी सह अध्यक्ष, गांधी संग्रहालय को पत्र लिखा. उन्होंने पत्र में बताया था कि स्मारक असामाजिक तत्वों और शराबियों का अड्डा बन गया है. ये भी कहा गया था कि प्रवेश शुल्क काट कर इसका गबन कर लिया जाता है. संग्रहालय के विकास के लिए जो चन्दा जमा होता है, उसका भी गबन हो रहा है. लेकिन इन सब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

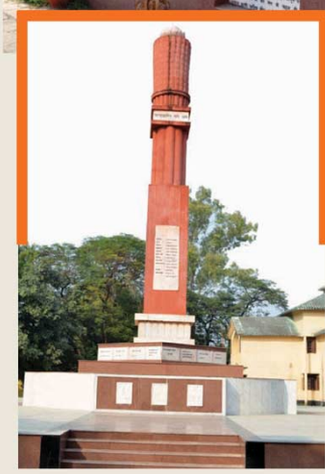

पहले यहां किसी राजनीतिक दल या किसी अन्य सदस्य के लिए सभा करने का प्रावधान नहीं था. केवल कुछ सामाजिक संगठनों और गांधी दर्शन से जुड़े लोगों को ही सभा करने की अनुमति दी जाती थी. लेकिन आज हालत ये है कि यहां हर दिन किसी न किसी पार्टी की बैठक होती है. इतना ही नहीं, संग्रहालय के भीतर रखे ऐतिहासिक मेज पर चाय, नाश्ता-पानी परोसा जाता है. जनवरी 2015 में गांधी संग्रहालय के प्रवेश शुल्क को बढ़ा कर 5 रुपए और 2 रुपए कर दिया गया, लेकिन संग्रहित राशि नहीं बढ़ी. ये भी खबर आती है कि एक ही टिकट का प्रयोग बार-बार करके रोज सैकड़ो रुपए का बंदरबांट किया जाता है. गांधी संग्रहालय परिसर में बने 24 दुकानों में कई दुकानें ऐसी हैं, जिनके पास किराए का हजारों रुपए बकाया है. इन दुकानों के कारण मुख्य सड़क से संग्रहालय नहीं दिखता है, इसके कारण तत्कालीन डीएम ने इसे तोड़ने का आदेश दिया था. लेकिन दुकानदार उस मुद्दे को लेकर उच्च न्यायालय चले गए और स्थिति यथावत बनी हुई है. कर्मियों की मनमानी का आलम

यह है कि इसे कार पार्किंग का रूप दे दिया गया है. लोग संग्रहालय में गाड़ी पार्क करते हैं और इसके लिये कर्मियों की मुट्ठी गर्म करते हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि गांधी स्मारक समिति के अध्यक्ष और सचिव सारी बातों को नजरअंदाज करते आ रहे हैं.

चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर कुछ लोगों की नजर संग्रहालय की दुर्दशा पर गई और उन्होंने तत्कालीन डीएम अनुपम कुमार के पास इसकी शिकायत की. लेकिन जिला प्रशासन ने भी इसपर कोई ध्यान नहीं दिया. अगर इसको संरक्षित और सम्वर्द्धित किया जाए, तो यह संग्रहालय विश्वप्रसिद्ध हो सकता है. पूरे विश्व में आज भी हजारों की संख्या में गांधी जी के सत्याग्रह पर शोध हो रहा है. लेकिन भारत में गांधी जी से जुड़ा ये स्मारक अपने हालात पे आंसू बहा रहा है. अगर संग्रहालय को विकसित कर इसके रख-रखाव की व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए तो यह सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र बन सकता है. जरूरत यह भी है कि गांधी संग्रहालय को पर्यटन स्थलों की सूची में जोड़ा जाए.

गौर करने वाली बात ये है कि इस चम्पारण सत्याग्रह स्तंभ का निर्माण उसी जगह पर कराया गया है, जहां अंग्रेज प्रशासन द्वारा जिला छोड़ने के आदेश के मुद्दे पर मोतिहारी के तत्कालीन एसडीओ के अदालत में 'डॉक' में खडे होकर महात्मा गांधी ने अपना ऐतिहासिक बयान दिया था. 10 जून 1972 को तत्कालीन महामहीम राज्यपाल देवकान्त बरुआ ने गांधी स्मारक स्तंभ का शिलान्यास किया. 49 फीट लम्बे स्मारक का डिजाईन जाने-माने वास्तुकार नन्दलाल बोस ने किया था. शुरू में यह खुले में था. बाद में इसके रख-रखाव के लिए एक समिति बनाई गई. तत्कालीन मुख्यमंत्री केदार पाण्डेय समिति के अध्यक्ष और विधायक नागेश्वर दत्त पाठक सचिव बनें. केदार पाण्डेय के बाद कौन-कौन लोग अध्यक्ष और सचिव बनें, उनकी सूचि आज स्मारक में उपलब्ध नहीं है. हालांकि बाद के दिनों में जिले के कलक्टर पदेन अध्यक्ष होने लगे. बाद में गांधी संग्रहालय का भव्य भवन और चहारदिवारी बनकर तैयार हुआ. जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल महामहीम एआर किदवई ने 6 दिसम्बर 1999 को किया था. यहां पर गांधी और गांधीवाद से जुड़े सैकड़ों पुस्तकों और गांधी दर्शन पर बनी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए टीवी, वीसीआर से सुसज्जित पुस्तकालय बनाया गया. पूरे स्मारक में साउण्ड सिस्टम लगाया गया, जिससे सुबह-सवेरे गांधी जी के भजनों की ध्वनी वातावरण में सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश देती थी. रौशनी से चकाचौध स्मारक किसी को भी अपने ओर आकर्षित करने में सक्षम था.

2003 में गांधी स्मारक और संग्रहालय समिति के नाम से संस्था को ट्रस्ट एक्ट में पंजीकृत कराया गया और संचालन हेतु नियमावली बनाकर आम सभा से इसका अनुमोदन कराया गया. इसी दौरान सचिव श्री पाण्डेय की पहल पर भारत के विदेश मंत्री गांधीवादी श्यामनंदन मिश्र की प्रेरणा से उद्योगपति धरुभाई अम्बानी ने महात्मा गांधी की काठियावाड़ी वेश में एक आदमकद प्रतिमा गांधी संग्रहालय को भेंट दिया. तब इसकी लागत 25 लाख रुपए थी. इस प्रतिमा का अनावरण 26 फरवरी 2006 को गांधी जी के पौत्र और तत्कालीन राज्यपाल महामहीम गोपाल कृष्ण गांधी ने किया. सौन्दर्यीकरण के तहत फव्वारा और गार्डेन लाइट लगाया गया. लेकिन ये तमाम चीजें आज या तो नदारद हो गई हैं या फिर खत्म होने की कगार पर हैं. विनोवा भावे के सहकर्मी एवं प्रसिद्ध गांधीवादी श्रीनारायण मुनि ने महामहीम राष्ट्रपति और बिहार के राज्यपाल को पत्र भेजकर गांधी स्मारक समिति मोतिहारी को पुर्नगठित करने की मांग की है. पत्र में इन्होंने कहा है कि समिति में गांधी के आदर्शों का पालन करने वाले लोगों को मनोनित किया जाय. ■

feedback@chauthiduniya.com

अपनी-अपनी ताक़त दिखाने में लगे रालोसपा के दोनों गुट

चौथी दुनिया ब्यूरो

बदले राजनीतिक परिदृश्य में बिहार के सभी दलों और नेताओं की राजनीति-रणनीति बदल गई है. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से राज्य में एनडीए और महागठबंधन ही राजनीति के दो ध्रुव थे. लेकिन 20 महीने चली महागठबंधन की सरकार से जदयू के अलग होने और एनडीए की सरकार बन जाने के बाद बिहार की राजनीति ने अचानक एक अलग मोड़ ले लिया. अब सभी दलों के लोग बदले माहौल में अपने को फिट करने में लगे हैं. एनडीए गुट का अहम हिस्सा रहे रालोसपा के दोनों धड़े अभी से अपना संगठन मजबूत करने में जुट गए हैं.

तीन सांसद और तीन विधायकों वाली इस पार्टी के दोनों गुट अब अपनी राजनीतिक मजबूती का अहसास कराना चाहते हैं. रालोसपा प्रमुख केन्द्रीय राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा और सांसद अरुण कुमार इस सियासी भिड़त में आमने-सामने हैं. केवल मगध क्षेत्र की बात करें, तो पिछले चुनाव में यहां के 26 विधानसभा सीटों में से रालोसपा ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक पर भी सफलता नहीं मिली. ये अलग बात है कि एनडीए का प्रत्याशी होने के कारण सभी दूसरे स्थान पर रहे थे. हालांकि लोकसभा चुनाव में रालोसपा को मगध में बड़ी सफलता मिली थी. इसके दोनों बड़े नेता चुनाव जीत गए थे. उपेन्द्र कुशवाहा काराकट तो अरुण कुमार जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे. तीसरे सांसद उत्तर बिहार से जीते थे. तभी से कहा जाने लगा था कि रालोसपा की मगध में अच्छी पकड़ है. ये अलग बात है कि लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी और भाजपा की लहर भी इनकी जीत का अहम कारण बनी थी. इस जीत के बाद विधानसभा चुनाव में रालोसपा के दोनों नेताओं ने मगध में अधिक सीटों की मांग की थी. लेकिन एनडीए में शामिल लोजपा और हम की भी यहीं मांग थी. इसलिए रालोसपा को मात्र 4 सीटें मिलीं, नवादा, गोविन्दपुर, जहानाबाद और कुर्था. हालांकि रालोसपा ये चारों सीटें हार गई. इससे पूर्व बिहार विधान परिषद् के गया शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतने वाले संजीव श्याम सिंह ने रालोसपा का दामन थाम लिया. इससे समझा गया कि मगध में कुशवाहा, भूमिहार और राजपूत मतदाताओं पर रालोसपा की पकड़ मजबूत होगी.

लेकिन कुछ दिन बाद ही रालोसपा के दो बड़े नेताओं उपेन्द्र कुशवाहा और अरुण कुमार के रास्ते अलग हो गए. दोनों गुटों द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. इससे पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी असमंजस में पड़ गए कि आखिर वे किसका समर्थन करें. दोनों गुट सम्मेलनों और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए एक दूसरे को अपनी शक्ति का अहसास कराने लगे. इसी माध्यम से समर्थकों और कार्यकर्ताओं को भी जोड़े रखने का प्रयास किया जाने लगा. इसी प्रयास के मद्देनजर, मगध के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा के कई कार्यक्रम हो चुके हैं. 20 अगस्त 2017 को गया के धर्मसभा भवन में भी रालोसपा का शिक्षा सुधार जिला सम्मेलन किया गया, जिसमें उपेन्द्र कुशवाहा गुट के नेता शामिल हुए थे. पूर्व केन्द्रीय मंत्री नागमणी का भी क्षेत्र मगध का जहानाबाद और अरवल का कुर्था पड़ता है. इनके भी रालोसपा के उपेन्द्र गुट में शामिल होने से मगध में इस गुट को कुछ लाभ मिल सकता है. राज्य के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा भी अब उपेन्द्र गुट के रालोसपा में शामिल हो गए हैं. हालांकि इनका क्षेत्र भोजपुर पड़ता है. लेकिन ये भी मगध को ही फोकस कर अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर रालोसपा के एकमात्र विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह भी उपेन्द्र कुशवाहा गुट के साथ खड़े हैं. जबकि दूसरी तरफ अरुण कुमार गुट भी लोगों से जुड़ने के लिए प्रयासरत है. अरवल जिला के स्थापना दिवस समारोह और लारी महोत्सव में अरुण कुमार की भागीदारी इसी का संकेत है.

हालांकि मगध में रालोसपा संगठन को मजबूत करने में सांसद अरुण कुमार का ही ज्यादा योगदान है. गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार विधान पार्षद रहे अरुण कुमार की मगध के अलावा रोहतास, कैमूर, भोजपुर, क्षेत्र के मतदाताओं पर भी अच्छी पकड़ थी. ये सभी क्षेत्र गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं. यही कारण था कि रालोसपा के गठन के बाद एनडीए में शामिल इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव में अपने लिए काराकट तो अरुण कुमार ने जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का चयन किया. अरुण कुमार तो समता पार्टी से जहानाबाद के सांसद भी रह चुके हैं. प्रारंभ में तो रालोसपा में सब कुछ ठीक-ठाक चला, लेकिन दोनों नेताओं की अहम के टकराव ने इस छोटी सी पार्टी को दो फाड़ कर दिया. मगध में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले चारों प्रत्याशी अरुण कुमार के समर्थक माने जाते हैं. हालांकि पार्टी में बंटवारा होने के बाद वे चारों किधर हैं, कहना मुश्किल है. रालोसपा के इन दोनों नेताओं के झगड़े का सबसे बडा खामियाजा पार्टी के विधायकों को भुगतना पड़ा है. यही कारण भी है कि बिहार की नई सरकार में रालोसपा कोटे से कोई भी मंत्री नहीं बन सका, जबकि रालोसपा को एक मंत्री का ऑफर था. अब दोनों गुटों ने निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनाव चिन्ह और झंडे पर अपनी-अपनी दावेदारी पेश की है. मामला चुनाव आयोग में लंबित है. ■

एक्ट में बदलाव से बदलेगी सूरत

अनंत विजय

हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जिसे आमतौर पर लोग सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं, का पुर्नगठन किया गया और अध्यक्ष समेत कई सदस्यों को बदला गया. हटाए गए अध्यक्ष पहलाज निहलानी के कार्यकाल में फिल्मों के सेंसरशिप को लेकर काफी हो हल्ला मचता रहा. उनके विवादास्पद बयानों ने भी उनके विरोधियों को काफी मसाला दे दिया. बोर्ड के अंदर ही सदस्यों के बीच मतभेद शुरू हो गए थे. दरअसल, पहलाज निहलानी सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनते ही ऐसे काम शुरू कर दिए कि बोर्ड को संस्कारी बोर्ड कहा जाने लगा था. सेंसर बोर्ड ने जब जेम्स बांड की फिल्म में कांट-छांट की थी तो संस्कारी बोर्ड हैश टैग के साथ कई दिनों तक वो मसला ट्वीटर पर ट्रेंड करता रहा था. फिल्म में चुंबन के दृश्य पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली थी. उस वक्त पहलाज निहलानी का तर्क था कि भारतीय समाज के लिए लंबे किसिंग सीन उचित नहीं हैं और उन्होंने आधे से ज्यादा इस तरह के सीन को हटवा दिया था. बांड की फिल्म में कट लगाने के बाद पूरी दुनिया में सेंसर बोर्ड और उसके अध्यक्ष की फजीहत हुई थी. अभी हाल ही में प्रकाश झा की फिल्म 'लिपस्टिक अंडर बुर्का ' को लेकर भी काफी विवाद हुआ. विवादित फिल्मों की काफी लंबी सूची है. अब जब सेंसर बोर्ड का नए सिरे से गठन किया गया है और प्रसून जोशी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो फिल्मकारों को उम्मीद जगी है कि अब उनका काम आसान होगा. पर क्या सच में यह इतना आसान है. क्या फिल्मों पर कैंची चलनी रुक जाएगी. शायद नहीं.

नवगठित बोर्ड में दोबारा नामित वाणी त्रिपाठी के बयानों से लगता है कि जबतक सिनेमेटोग्राफी एक्ट में बदलाव नहीं किया जाएगा, तब तक बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है. वाणी त्रिपाठी जिस ओर इशारा कर रही हैं, उसपर विचार करना बहुत आवश्यक है. सिनेमेटोग्राफी एक्ट की धारा 5 बी (1) को देखे जाने की जरूरत है. इस धारा के अंतर्गत बोर्ड के सदस्यों को यह छूट मिलती है कि वो शब्दों को अपने तरीके से व्याख्यायित कर सकें. इस धारा के मुताबिक, किसी फिल्म को रिलीज करने का प्रमाण पत्र तभी दिया जा सकता है जब कि उससे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता पर कोई आंच ना आए. मित्र राष्ट्रों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी ना हो. इसके अलावा तीन और शब्द हैं- पब्लिक ऑर्डर, शालीनता और नैतिकता. इनका भी पालन होना चाहिए. अब इसमें सार्वजनिक शांति या कानून व्यवस्था तक तो ठीक है, लेकिन शालीनता और नैतिकता की व्याख्या अलग-अलग तरीके से की जाती रही है. अब नए बोर्ड में ही अगर हम देखें, तो प्रसून और वाणी के लिए शालीनता और नैतिकता की परिभाषा अलग हो सकती है, वहीं नरेन्द्र कोहली की व्याख्या इनसे अलग हो सकती है और यहीं से मतभेद और विवाद की शुरुआत होती है.

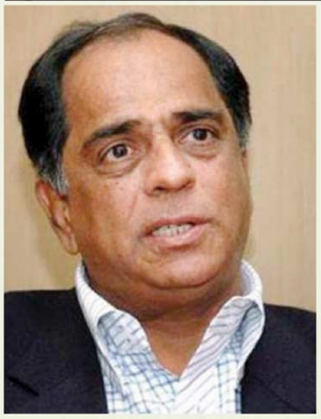

बेनेगल कमेटी ने अपनी सिफारिशों में फिल्मों के वर्गीकरण का दायरा और बढ़ा दिया है. यू के अलावा यूए श्रेणी को दो हिस्सों में बांटने की सलाह दी गई है. पहली यूए +12 और यूए +15. इसी तरह से ए कैटेगरी को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, ए और ए सी. ए सी यानि कि एडल्ट विद कॉशन. इसके अलावा कमेटी ने बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए भी सिफारिश की है. उन्होंने सुझाया है कि बोर्ड के चेयरमैन समेत सभी सदस्य फिल्म प्रमाणन के दैनिक कामकाज से खुद को अलग रखेंगे और इस काम की रहनुमाई करेंगे. पहलाज निहलानी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि वे रोजाना बोर्ड के दफ्तर में बैठते थे और हर छोटे बड़े फैसलों को लेकर बयान देने के लिए उपलब्ध रहते थे. अबतक की छवि के मुताबिक, प्रसून जोशी बेहद संजीदगी से काम करते हैं और विवादों से दूर रहते हैं.

इस एक्ट के तहत सालों से विवाद होते रहे हैं. 1973 में बीके आदर्श की फिल्म 'गुप्त ज्ञान' को लेकर काफी बवाल मचा था. तत्कालीन बोर्ड के कई सदस्यों को लग रहा था कि ये जनता की यौन भावनाओं को भड़का कर पैसा कमाने के लिए बनाई गई फिल्म है, जबकि निर्माताओं का तर्क था कि वे समाज को शिक्षित करना चाहते हैं. लंबी बहस के बाद 'गुप्त ज्ञान' को बगैर किसी काट छांट के प्रदर्शन की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन फिल्म के प्रदर्शन के बाद उसके अंतरंग दृष्यों को लेकर इतनी आलोचना हुई कि चंद महीने में ही उसे सिनेमाघरों से वापस लेना पड़ा था. 1994 में दस्यु सुंदरी फूलन देवी की जिंदगी पर बनी फिल्म 'बैंडिट क्वीन' में भी स्त्री देह की नग्नता को लॉन्ग शॉट में ही दिखाने की इजाजत दी गई थी. फिल्म 'फायर' से लेकर 'डर्टी पिक्चर' तक पर अच्छा खासा विवाद हुआ, लेकिन सेंसर बोर्ड ने अपनी बात मनवा कर ही दम लिया था. फिल्म '12 इयर्स अ स्लेव' में गुलामों के अत्याचार के नाम पर नग्नतापूर्ण दृश्यों की इजाजत देना हैरान करने वाला था. वर्ष 2000 में जब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ घूसखोरी के आरोप में सीबीआई के हत्थे चढ़े, तो स्थितियां साफ होने लगी थीं कि किस वजह से मानदंड को अलग-अलग तरीके से किसी के हक में इस्तेमाल किया जाता है. सीईओ की गिरफ्तारी के बाद कई सुपरस्टार्स और निर्देशकों ने इस बात के पर्याप्त संकेत दिए थे कि उनको अपनी फिल्मों में गानों को पास करवाने के लिए घूस देना पड़ा था. एक सेंसर बोर्ड सैफ अली की फिल्म 'ओमकारा' में गालियों के प्रयोग की इजाजत देता है, तो दूसरा सेंसर बोर्ड प्रकाश झा की फिल्म से गाली हटाने को कहता है. फिल्म प्रमाणन बोर्ड में जिस तरह से एडल्ट और यू ए फिल्म को श्रेणीबद्ध करने की गाइडलाइंस है, उसको लेकर भी बेहद भ्रम है. फिल्मों को सर्टिफिकेट देने की गड़बड़ी शुरू होती है, क्षेत्रीय स्तर की कमेटियों से, जहां वैसे लोगों का चयन होता है, जिनको सिनेमा की गहरी समझ नहीं होती है. इसके बाद फिल्म प्रमाणन बोर्ड में भी कई स्तर होते हैं और एक्ट के शब्दों को अपनी तरह से व्याख्यायित कर अध्यक्ष अपनी मनमानी चलाते हैं.

वाणी त्रिपाठी इस बात को जोर देकर कहती हैं कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड में सुधार के लिए श्याम बेनेगल समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए. अरुण जेटली जब सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तब श्याम बेनेगल की अध्क्षता में एक समिति बनाई गई थी. इस समिति में राकेश ओमप्रकाश मेहरा और पियूष पाडें सदस्य थे. सीबीएफसी में सुधारों को लेकर इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया जा सका है. पता चला है कि श्याम बेनेगल समिति ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सेंसर बोर्ड के कामकाज के अलावा फिल्मों को दिए जानेवाले सर्टिफिकेट की प्रक्रिया में बदलाव की भी सिफारिश की थी. यह भी कहा जा रहा है कि बेनेगल कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक, अब इस संस्था को सिर्फ फिल्मों के वर्गीकरण का अधिकार रहना चाहिए. वो फिल्म को देखें और उसको किस तरह का सर्टिफिकेट (यू, ए या फिर यूए) दिया जाना चाहिए, इसका फैसला करें. इस सिफारिश को अगर मान लिया जाता है, तो फिल्म सेंसर के इतिहास में बदलाव की शुरुआत हो सकेगी. सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभालने के बाद जिस तरह से स्मृति ईरानी ने फिल्म प्रमाणन बोर्ड से लेकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजन से जुड़ी समितियों में बदलाव किया है, उससे उम्मीद जगी है कि बेनेगल समिति की सिफारिशों को भी लागू किया जा सकेगा. फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य ही बेनेगल समिति की सिफारिशों को लेकर उत्साहित हैं, तो संभव है कि उसको लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आए. बेनेगल कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें भी सिनेमेटोग्राफिक एक्ट की धारा 5 बी (1) का ख्याल रखने की सलाह दी गई है. सारी समस्या की जड़ में तो यही धारा है .

यह भी ज्ञात हुआ है कि बेनेगल समिति की सिफारिशों के मुताबिक, फिल्मकारों के लिए ये बताना जरूरी होगा कि वो किस श्रेणी की फिल्म बनाकर लाए हैं और उन्हें किस श्रेणी में सर्टिफिकेट चाहिए. उसके बाद सीबीएफसी के सदस्य फिल्म को देखकर तय करेंगे कि फिल्मकार का आवेदन सही है या उनके वर्गीकरण में बदलाव की गुंजाइश है. उसके आधार पर ही फिल्म को सर्टिफिकेट मिलेगा. बेनेगल कमेटी ने अपनी सिफारिशों में फिल्मों के वर्गीकरण का दायरा और बढ़ा दिया है. यू के अलावा यूए श्रेणी को दो हिस्सों में बांटने की सलाह दी गई है. पहली यूए +12 और यूए +15. इसी तरह से ए कैटेगरी को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, ए और ए सी. ए सी यानि कि एडल्ट विद कॉशन. इसके अलावा कमेटी ने बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए भी सिफारिश की है. उन्होंने सुझाया है कि बोर्ड के चेयरमैन समेत सभी सदस्य फिल्म प्रमाणन के दैनिक कामकाज से खुद को अलग रखेंगे और इस काम की रहनुमाई करेंगे. पहलाज निहलानी के साथ एक दिक्क्त यह भी थी कि वे रोजाना बोर्ड के दफ्तर में बैठते थे और हर छोटे बड़े फैसलों को लेकर बयान देने के लिए उपलब्ध रहते थे. अबतक की छवि के मुताबिक, प्रसून जोशी बेहद संजीदगी से काम करते हैं और विवादों से दूर रहते हैं. उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके कार्यकाल में विवादित बयान कम आएंगे. लेकिन फिल्मों पर कैंची चलनी कम हो जाएगी, यह उम्मीद तबतक बेमानी है, जबतक कि बेनेगल कमेटी की सिफारिशों को सुधारों के साथ लागू नहीं कर दिया जाता है. ■

anant.ibn@gmail.com

जानें अपने विधायक/सांसद विकास निधि ख़र्च का ब्यौरा

चौथी दुनिया ब्यूरो

हर सांसद और विधायक को प्रति वर्ष विधायक/सांसद विकास निधि के रूप में एक नियत राशि मिलती है. इसका प्रयोग सांसद/विधायक को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए करना होता है. कई बार ये होता है कि सांसद/विधायक ये पैसा खर्च ही नहीं करते या कहां खर्च करते हैं, ये पता भी नहीं चलता. ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि कागजों में निर्माण कार्य दिखाकर राशि का भूगतान कर दिया जाता है. जनता को ये जानने का हक है कि उसके जनप्रतिनिधि ने अपने सांसद/विधायक विकास निधि का पैसा कहां खर्च किया. आरटीआई के माध्यम से कोई भी ये जानकारी ले सकता है कि उसके सांसद/विधायक ने क्षेत्र के विकास के लिए अब तक क्या कार्य किए हैं और अपनी निधि का पैसा कहां खर्च किया है. हम आपको उस आरटीआई आवेदन के प्रारूप के बारे में बता रहे हैं, जिसके द्वारा आप ये जानकारी जुटा सकते हैं.

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

कृपया...... विधानसभा/संसदीय क्षेत्र के विधायक/सांसद विकास निधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं:

1. .... से .... के दौरान उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के विधायक/सांसद के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि से कराए गए सभी कार्यों से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण दें:

सूचना का अधिकार RIGHT TO INFORMATION

क. कार्य का नाम
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
ड. कार्य समाप्त होने की स्थिति अथवा चालू कार्य की स्थिति
च. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
छ. कार्य शुरू होने की तिथि
ज. कार्य समाप्त होने की तिथि
झ. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया
ळ. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है
ट. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
ठ. इस कार्य को कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे सम्बन्धित निर्णयों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.

2. उपरोक्त प्रतिनिधि को वर्तमान वित्त वर्ष में कुल कितनी राशि आवंटित हुई है तथा पिछले वित्त वर्ष से कितनी राशि शेष रही है?

3. उपरोक्त कार्यों में से अब तक कितनी कार्यों के लिए और कुल कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है.

4. उपरोक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों के लिए और कितनी राशि स्वीकृत होनी है?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.............है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

feedback@chauthiduniya.com

अगर आपके पास आरटीआई से संबंधित कोई ख़बर या सवाल है, तो हमें इमेल करें: rti@chauthiduniya.com

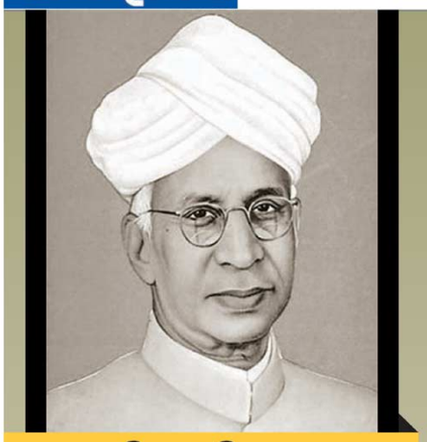

जन्मदिन- 5 सितम्बर 1888
पुण्यतिथि- 17 अप्रैल 1975

जयंती विशेष

महान शिक्षाविद, प्रख्यात दार्शनिक और कुशल वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन

चौथी दुनिया ब्यूरो

डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने को प्रसिद्ध दार्शनिक बर्टेंड रसेल ने विश्व के दर्शनशास्त्र का सम्मान बताया था. उन्होंने कहा था कि एक दार्शनिक होने के नाते मैं विशेषत: खुश हूं कि महान भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के रूप में चुना. सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के रूप में ही नहीं वरन एक महान शिक्षाविद, दार्शनिक, कुशल वक्ता और विचारक के रूप में भी डॉ. राधाकृष्णन ने वैश्विक स्तर पर नाम कमाया. एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा भी किस तरह से असाधारण व्यक्तित्व का धनी बन सकता है, ये डॉ. राधाकृष्णन के जीवन से समझा जा सकता है. ये उनकी विद्वता और भारतीय शिक्षा जगत को दिए गए योगदान का ही नतीजा है कि उनके जन्मदिन 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है.

डॉ. राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव के एक साधारण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था. डॉ. राधाकृष्णन के नाम के पहले सर्वपल्ली का सम्बोधन उन्हें विरासत में मिला था. दरअसल, राधाकृष्णन के पूर्वज 'सर्वपल्ली' नामक गांव में रहते थे और बाद में 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरूतनी गांव चले गए. लेकिन वे चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्मस्थल की पहचान जुड़ी रहे. यही कारण था कि वे लोग अपने नाम के पूर्व 'सर्वपल्ली' लगाने लगे. वे शुरू से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी रूचि रखते थे. उनकी प्रारम्भिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथर्न मिशन स्कूल में हुई. आगे की पढ़ाई उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी की. कहा जाता है कि स्कूल के दिनों में ही उन्होंने बाइबिल के महत्त्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी मिला था. वे स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे. राधाकृष्णन ने 1902 में प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके लिए उन्हें छात्रवृत्ति भी लिा था. क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास ने भी उनकी विशेष योग्यता के कारण छात्रवृत्ति प्रदान की. डॉ. राधाकृष्णन ने 1916 में दर्शन शास्त्र में एम.ए. किया. उसके बाद मद्रास रेजीडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए.

डॉ. राधाकृष्णन का विचार था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सही उपयोग किया जा सकता है. वे मानते थे कि विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए. भारतीय दर्शन शास्त्र को विश्व के समक्ष रखने में डॉ. राधाकृष्णन का महत्त्वपूर्ण योगदान है. अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से उन्होंने बखूबी ये काम किया. डॉ. राधाकृष्णन की प्रतिभा का लोहा सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी माना जाता था. विभिन्न विषयों पर विदेशों में दिए गए उनके लेक्चर्स की हर जगह प्रशंशा होती थी. उनका कहना था कि 'अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि सभ्यता का निर्माण उन महान ऋषियों और वैज्ञानिकों के हाथों से हुआ है, जो स्वयं विचार करने की सामर्थ्य रखते हैं और जो देश और काल की गहराइयों में प्रवेश करते हैं.' किसी भी बात को सरल और विनोदपूर्ण तरीके से कहने में उन्हें महारथ हासिल था, यही कारण भी था कि वे फिलॉस्फी जैसे कठिन विषय को भी रोचक बना देते थे. वे नैतिकता और आध्यात्म पर विशेष जोर देते थे. उनका कहना था कि आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है. वे किताबों को बहुत अधिक महत्त्व देते थे. उनका मानना था कि पुस्तकें वो साधन हैं, जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं. उनकी लिखी किताब 'द रीन ऑफ रिलीजन इन कंटेंपॅररी फिलॉस्फी' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोकप्रिय हुई.

सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी डॉ. राधाकृष्णन की प्रतिभा का लोहा माना जाता था. विभिन्न विषयों पर विदेशों में दिए गए उनके लेक्चर्स की हर जगह प्रशंशा होती थी. उनका कहना था कि 'अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें, तो पाएंगे कि सभ्यता का निर्माण उन महान ऋषियों और वैज्ञानिकों के हाथों से हुआ है, जो स्वयं विचार करने की सामर्थ्य रखते हैं और जो देश और काल की गहराइयों में प्रवेश करते हैं.'

डॉ. राधाकृष्णन गुरु और शिष्य की अनूठी परंपरा के प्रवर्तक थे. वे अपने विद्यार्थियों का स्वागत हाथ मिलाकर करते थे. डॉ. राधाकृष्णन ने कई विश्वविद्यालयों को शिक्षा का केंद्र बनाने में अपना योगदान दिया. वे देश की तीन प्रमुख यूनिवर्सिटीज में कार्यरत रहे. 1931 से 1936 तक उन्होंने आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में काम किया. इसके बाद 1939 से 1948 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे. फिर 1953 में उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया.

इस पद पर वे 1962 तक रहे. 1915 में डॉ. राधाकृष्णन की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई. गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आन्दोलन के समर्थन में उन्होंने अनेक लेख लिखे. 1918 में मैसूर में उनकी मुलाकात रवीन्द्रनाथ टैगोर से हुई. टैगोर के विचारों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया. राधाकृष्णन ने 'रवीन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन' शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी. डॉ. राधाकृष्णन की प्रतिभा और विद्वता का ही असर था कि जब देश आजाद हुआ, तो उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया. 1952 में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के विशिष्ट राजदूत बने. रूसी नेता स्टालिन के हृदय में इस फिलॉफ्सर राजदूत डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति बहुत सम्मान था. 1952 में ही राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुना गया. 1954 में उन्हें भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया. राजेन्द्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 13 मई, 1962 को राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने. उनके राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद विद्यार्थियों का एक दल उनके पास पहुंचा और उनसे आग्रह किया कि वे उनके जन्मदिन 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं. डॉ. राधाकृष्णन इस बात से अभिभूत हो गए. उन्होंने कहा, 'मेरे जन्मदिन को अगर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इससे मैं गौरवान्वित महसूस करूंगा.' तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. 1967 में राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करने के बाद डॉ. राधाकृष्णन मद्रास चले गए, जहां उन्होंने पूर्ण अवकाशकालीन जीवन व्यतीत किया. उनका पहनावा सरल और परम्परागत था. वे अक्सर सफ़ेद कपडे पहनते थे और दक्षिण भारतीय पगड़ी का प्रयोग करते थे.

जीवन के अंत समय में वे बीमार रहने लगे थे. बीमारी के दौरान ही 17 अप्रैल, 1975 को उनका निधन हो गया. देश के लिए यह अपूर्णीय क्षति थी. भले ही वे भौतिक रूप से आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और उनकी शिक्षा आज भी असंख्य युवाओं को सही राह दिखा रही है. डॉ. राधाकृष्ण का कहना भी था कि 'मौत कभी अंत या बाधा नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक नए कदमों की शुरुआत है.' शिक्षा को मानव व समाज का सबसे बड़ा आधार मानने वाले डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शैक्षिक जगत में अविस्मरणीय व अतुलनीय योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

जल जनित रोग और सावधानियां

चौथी दुनिया ब्यूरो

जल अनेक अर्थों में जीवनदाता है, लेकिन अगर जल के दूषित रूप को हम प्रयोग में लाएं, तो ये हमारे लिए बीमारियों के कारक के साथ-साथ जीवनघातक भी हो सकता है. रोगाणुओं, जहरीले पदार्थों एवं अनावश्यक मात्रा में लवणों से युक्त पानी अनेक रोगों को जन्म देता है. विश्व भर में 80 फीसदी से अधिक बीमारियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदूषित पानी का ही हाथ होता है. प्रति घंटे 1000 बच्चों की मृत्यु प्रदूषित जल जनित रोग, अतिसार के कारण हो जाती है.

वर्तमान समय में जल प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक है. शहरों में बढ़ती हुई आबादी के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले मल-मत्र, कूड़े-करकट को पाइप लाइन अथवा नालों के जरिए नदियों में प्रवाहित किया जाता है. इसी प्रकार विकास के नाम पर कल कारखानों और छोटे-बड़े उद्योगों के अवशिष्टों को भी नदियों में बहा दिया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं.

रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के अतिरिक्त अनेकों प्रकार के विषैले तत्व भी पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. इन विषैले तत्वों में प्रमुख हैं, कैडमियम, लेड, भरकरी, निकल, सिल्वर, आर्सेनिक आदि. जल में लोहा, मैंगनीज, कैल्सीयम, बेरियम, क्रोमियम कापर, सीलीयम, यूनेनियम, बोरान, तथा अन्य लवणों जैसे नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट, कार्बोनेट, आदि की अधिकता से भी मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. जल में मैग्नीशियम व सल्फेट की अधिकता से आंतों में जलन पैदा होती है. नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में मेटाहीमोग्लाबिनेमिया नामक बीमारी हो जाती है, जो आंतों में पहुंचकर पेट के कैंसर का कारण बन जाता है. फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है. इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली कीटनाशक दवाईयों एवं उर्वरकों के विषैले अंष जल स्रोतों में पहुंचकर स्वास्थ्य की समस्या को भयावह बना देते हैं. प्रदूषित गैस जैसे, कार्बन डाइआक्साइड तथा सल्फर डाइआक्साइड जल में घुलकर जलस्रोत को अम्लीय बना देते हैं.

वर्तमान समय में जल प्रदूषण की स्थिति बेहद चिंताजनक है. शहरों में बढ़ती हुई आबादी के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले मल-मत्र, कूड़े-करकट को पाइप लाइन अथवा नालों के जरिए नदियों में प्रवाहित किया जाता है. इसी प्रकार विकास के नाम पर कल कारखानों और छोटे-बड़े उद्योगों के अवशिष्टों को भी नदियों में बहा दिया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होते हैं. रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के अतिरिक्त अनेकों प्रकार के विषैले तत्व भी पानी के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. इन विषैले तत्वों में प्रमुख हैं, कैडमियम, लेड, भरकरी, निकल, सिल्वर, आर्सेनिक आदि.

दूषित जलजनित रोग

विषाणु द्वारा	पीलिया, पोलियो, गैस्ट्रो-इंटराइटिस, जुकाम, संक्रामक यकृत शोथ, चेचक आदि.
जीवाणु द्वारा	अतिसार, पेचिस, मियादी बुखार, अतिज्वर, हैजा, कुकुर खांसी, सूजाक, उपदंश, जठरांत्र शोथ, प्रवाहिका, क्षय रोग आदि.
प्रोटोजोआ द्वारा	पायरिया, पेचिस, निद्रारोग, मलेरिया, अमिबिबोसिस रूग्णता, जियार्डियोसिस रूग्णता आदि.
कृमि द्वारा	फाइलेरिया, हाइडेटिड सिस्ट रोग आदि.

बचाव

जल प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक है कि पूरे जल प्रबंधन में जल दोहन, उनके वितरण तथा प्रयोग के बाद जल प्रवाहन की समुचित व्यवस्था हो. सभी विकास योजनाएं सुविचरित और सुनियोजित हो. कल-कारखानें आबादी से दूर हों. जानवरों-मवेशियों के लिए अलग-अलग टैंक और तालाब की व्यवस्था हो. नदियों, झरनों और नहरों के पानी को दूषित होने से बचाया जाए. इसके लिए घरेलू और कल-कारखानों के अवशिष्ट पदार्थों को जल स्रोत में मिलने से पहले भली-भांति नष्ट कर देना जरूरी है. घरेलू उपयोग में पानी का प्रयोग करने से पहले आश्वस्त हो जाना चाहिए कि वह शुद्ध है या नहीं? यदि संदेह हो कि यह शुद्ध नहीं है, तो निम्न तरीकों से इसे शुद्ध कर लेना चाहिए.

- पानी को उबाल कर छानने के बाद अच्छी तरह हिलाकर वायु संयुक्त करके ही प्रयोग करना चाहिए, अथवा फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए.
- कुएं, तालाब या नदी के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए उचित मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करना चाहिए. ऐसे जल स्त्रोतों में समय-समय पर लाल दवा डालते रहना चाहिए.
- पीने के पानी को धूप में, प्रकाश में रखना चाहिए. तांबे के बर्तन में रखें, तो यह अन्य बर्तनों की अपेक्षा सर्वाधिक शुद्ध रहता है. एक गैलेन पानी को दो ग्राम फिटकरी या बीस बूंद टिंचर आयोडीन या ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर शुद्ध किया जा सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

जब अक्षय राजेश खन्ना से काम मांगने गए थे

बात 1990 के आसपास की है. सुपरस्टार राजेश खन्ना ने *जय शिव शंकर* फिल्म बनाने की घोषणा की. उस फिल्म के लिए बतौर हीरोइन डिम्पल कपाड़िया को लेकर उन्होंने सबको चौंका दिया. डिम्पल और राजेश की राहें उस वक्त जुदा हो चुकी थी. फिल्म में जितेंद्र को भी लिया गया था और एक युवा हीरो की तलाश थी. किसी तरह यह बात अक्षय को पता चली. फिल्मों में काम के लिए वे उन दिनों निर्माताओं और स्टुडियो के चक्कर काटा करते थे. अक्षय कुमार राजेश खन्ना से *जय शिव शंकर* में काम मांगने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे. काका अपने केबिन में थे और काम मांगने आए नौजवानों से मिल रहे थे. अक्षय वहां तीन–चार घंटे तक बैठे रहे लेकिन उनका नंबर नहीं आया. फिर उन्हें बताया गया कि अब राजेश खन्ना नहीं मिलेंगे. उस दिन अक्षय मायूस होकर लौट गए. उन्होंने उस दिन सोचा भी नहीं था कि जो इंसान आज उनसे मिला नहीं, एक दिन वे उसी के दामाद बनेंगे. अक्षय का संघर्ष रंग लाया, वे बड़े स्टार बने और 17 जनवरी 2001 को उन्होंने राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी की.

ये हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी

हर किरदार में फिट हैं अक्षय

जन्मदिन मुबारक

एक्शन से लेकर गंभीर भूमिकाओं तक के लिए अक्षय कुमार आज के दौर में सबसे बड़े नायक बन चुके हैं. अक्षय की फिल्मों का बजट दूसरे बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों से काफी कम होता है. दूसरे बड़े स्टार्स सौ करोड़ कमाने के लिए एड़ी–चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन अक्षय अपनी फिल्मों को असानी से बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ के पार पहुंचा देते हैं. यही उनकी खासियत भी है. हाल में आई उनकी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा सुपरहिट होने के साथ–साथ सौ करोड़ क्लब का हिस्सा भी बन चुकी है.

प्रवीण कुमार

बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी यानि अक्षय कुमार अब खिलाड़ी तक ही सीमित नहीं रह गए हैं. अब तक के अपने करियर में अक्षय कुमार ने जिस तरह से अलग–अलग किरदार निभाए हैं, वो काबिले तारीफ है. फिर वो चाहे पुलिस का किरदार हो या कॉमेडी का किरदार. एक्शन से लेकर गंभीर भूमिकाओं तक के लिए अक्षय कुमार आज के दौर में सबसे बड़े नायक बन चुके हैं. अक्षय की फिल्मों का बजट दूसरे बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों से काफी कम होता है. दूसरे बड़े स्टार्स सौ करोड़ कमाने के लिए एड़ी–चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन अक्षय अपनी फिल्मों को असानी से बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ के पार पहुंचा देते हैं. यही उनकी खासियत भी है. हाल में आई उनकी फिल्म *टॉयलेट एक प्रेम कथा* सुपरहिट होने के साथ–साथ सौ करोड़ क्लब का हिस्सा भी बन चुकी है.

अक्षय कुमार इस 9 सितंबर को अपनी उम्र का अर्ध शतक पूरा कर लेंगे. इस 50वें जन्मदिन के मौके पर चौथी दुनिया अखबार की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई. अक्षय का जन्म 9 सितंबर 1967 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था. उनका असली नाम राजीव हरिओम भाटिया है. एक मशहूर फिल्म अभिनेता होने के साथ–साथ वे निर्माता भी हैं. प्यार से लोग उन्हें अक्की भी कहते हैं. अक्षय कुमार ने फिल्मों में आने से पहले और फिल्मों करियर की शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया है. अक्षय मार्शल आर्ट्स में भी पारंगत हैं. उन्होंने भारत में ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद थाईलैंड के बैंकॉक में मार्शल आर्ट्स की पढ़ाई की. वहां से वापस लौटने के बाद उन्होंने अपना फोटोशूट कराया, जिसके बाद उन्हें फिल्म *दीदार* के लिए साइन किया गया. उनकी शुरुआती पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल में हुई और फिर आगे की पढ़ाई उन्होंने मुंबई के गुरु नानक ख़ालसा कॉलेज से की.

अक्षय कुमार ने 1991 में राज सिप्पी की फिल्म *सौगंध* से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. लेकिन अक्षय का दुर्भाग्य था कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही. इसी साल आई अक्षय की दूसरी फिल्म *डांसर* का भी यही हाल रहा. अक्षय को पहचान मिली 1992 में आई अब्बास मस्तान की फिल्म *खिलाड़ी* से. ये फिल्म

ये हैं अक्षय कुमार की वे फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया और शाहरुख–आमिर खान जैसे सितारों को भी पीछे छोड़ दिया.

उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई. इसके बाद अक्षय को बॉलीवुड में खिलाड़ी नाम से जाना जाने लगा. इस फिल्म के बाद अक्षय ने खिलाड़ी नाम से कई फिल्में की, जिनमें खिलाड़ियों का खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, खिलाड़ी 420, इंटरनेशनल खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, खिलाड़ी 786 आदि शामिल हैं.

समय के साथ–साथ अक्षय ने बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली और देखते ही देखते वे सबके चहेते स्टार बन गए. एक समय ऐसा था, जब अक्षय एक्शन फिल्मों के लिए निर्माता–निर्देशकों की पहली पसंद थे. लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उनकी पहचान सिर्फ एक्शन हीरो तक ही सीमित रहें. इसलिए उन्होंने अपनी इस छवि को बदलने का पूरा प्रयास किया. कई तरह के किरदार निभाकर उन्होंने यह साबित कर दिया किया कि वे हर किरदार को निभाने में सक्षम हैं.

अक्षय ने अपनी कॉमेडी से भी दर्शकों का ख़ूब मनोरंजन किया है. अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं. आप ये भी कह सकते हैं कि अक्षय के खाते में हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है. लेकिन इन सब के बावजूद इस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी और समय–समय पर कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दे डाली. अक्षय की प्रमुख फिल्मों में *खिलाड़ी, ये दिल्लगी, जानवर, संघर्ष, सुहाग, मोहरा, ये वक्त हमारा है, हेरा फेरी, खाकी, गरम मसाला, खट्टा–मीठा, भूल भुलैया, हाऊसफुल, हाऊसफुल–2 एंड 3, अंदाज, धड़कन, भागम भाग, फिर हेरा फेरी, वेलकम, मुझसे शादी करोगी, सिंग इज किंग, गब्बर, नमस्ते लंदन, सिंग इज ब्लिंग, दे दना दन, देश बॉयज, ओएमजी, स्पेशल–26, एयर लिफ्ट, राउडी राठौड़, जॉली एलएलबी, रूस्तम* आदि शामिल हैं.

मौजूदा दौर में अक्षय कुमार टॉप पांच अभिनेताओं में शामिल हैं. इतना ही नहीं अक्षय ने हाल ही में शाहरुख और आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया है. सलमान के बाद अब अक्षय कुमार बैक टू बैक ऐसी 6 फिल्में दे चुके हैं, जो सौ करोड़ क्लब का हिस्सा बन चुकी हैं. अब तक सिर्फ सलमान खान ने ही ऐसा कारनामा किया है. उन्होंने बैक टू बैक 11 फिल्में सौ करोड़ के पार पहुंचाई है. अक्षय कुमार इस समय *टॉयलेट एक प्रेम कथा* की सफलता का जश्न मना रहे हैं. ये बेहद कम लागत से बनी फिल्म है. इसका बजट कुल 24 करोड़ था, जिसमें फिल्म के प्रमोशन को भी शामिल किया गया है. इतने कम बजट की फिल्म को एक बड़े मुनाफे में बदलना वाकई काबिले तारीफ है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्षय की लोकप्रियता पहले से काफी बढ़ चुकी है. वेलडन अक्षय, आप इसी तरह से अपनी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. ■

अक्षय कुमार को मिले अवॉर्ड

1. **नेशनल अवॉर्ड–** 2017 में अक्षय कुमार को फिल्म रूस्तम के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.
2. **बेस्ट कॉमेडियन–** 2006 में अक्षय ने फिल्म गरम मसाला के लिए स्क्रीन अवॉर्ड की ओर से बेस्ट कॉमेडियन का अवॉर्ड अपने नाम किया.
3. **बेस्ट एक्टर–** 2008 में अक्षय को फिल्म नमस्ते लंदन के लिए जी सिने की ओर से बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया.
4. **पद्म श्री–** 2009 में अक्षय को देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया.
5. **Honorary Doctrate-** कनाडा की एक यूनिवर्सिटी ने अक्षय को फिल्मों में योगदान एवं सामाजिक कार्य से जुड़े रहने के लिए 2008 में Honorary Doctrate से सम्मानित किया.
6. **एशियन अवॉर्ड–** 2011 में अक्षय को फिल्मों में योगदान के लिए एशियन अवॉर्ड से नवाजा गया. 2009 में भी फिल्म सिंग इज किंग के लिए उन्हें एशियन फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया.
7. **नेशनल सम्मान–** 2004 में अक्षय को फिल्मों में उनके योगदान के लिए राजीव गांधी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.
8. **फिल्मफेयर अवार्ड–** फिल्म फेयर अवॉर्ड के लिए अक्षय को 10 बार नॉमिनेट किया गया जिसमें वे 6 बार विजयी रहे.

इसके अलावा अक्षय की झोली में कई ऐसे बड़े अवॉर्ड हैं, जो ये साबित करते हैं कि अक्षय ने शुरुआती दिनों से ही कितनी कड़ी मेहनत की है. जिसके कारण आज वे इस मुकाम पर हैं.

जब एक फिल्म के लिए राखी ने गुलज़ार को छोड़ दिया

चौथी दुनिया ब्यूरो

अपनी बेहतरीन अदाकारी के बल पर 1964 से 2003 तक एक्ट्रेस राखी गुलजार ने बॉलीवुड में दर्शकों के दिलों पर राज किया है. राखी का फिल्मी करियर 4 दशकों का रहा है. बेहतरीन अभिनय के लिए राखी को 3 बार फिल्मफेयर और 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है. 2003 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया. इसके अलावा उन्हें 16 बार फिल्मफेयर अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट भी किया जा चुका है. त्रिशूल, कभी–कभी, बरसात की एक रात, मुकद्दर का सिकंदर, ब्लैकमेल, राम लखन, काला पत्थर, करण–अर्जुन, सोल्जर और खलनायक आदि इनकी बेहतरीन फिल्मों में शामिल हैं. राखी गुलजार का जन्म पश्चिम बंगाल के राणाघाट शहर के बंगाली परिवार में 15 अगस्त 1947 को हुआ. इनके जन्म के कुछ देर पहले ही भारत में आज़ादी की घोषणा हुई थी. इनके बचपन का नाम राखी मजूमदार था, जिसे इन्होंने शादी के बाद बदलकर राखी गुलजार किया. इनके पिता का बांग्लादेश में जूतों का व्यापार हुआ करता था. लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपना व्यापार शुरू किया.

राखी ने 1963 में बेहद कम उम्र में ही फिल्म निर्देशक अजय बिश्वास से अरेंज मैरिज की. अजय बिश्वास एक जाने माने पत्रकार थे. हालांकि राखी की ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और दो साल बाद ही 1965 में उनका तलाक हो गया. इसके बाद 15 मई 1973 को उन्होंने मशहूर गीतकार गुलजार से शादी की, उनसे इन्हें एक बेटी हुई मेघना गुलजार. राखी और गुलजार भी ज्यादा समय साथ नहीं रह सके. माता–पिता के अलग होने के बाद मेघना अपने पिता गुलजार के साथ ही रहती हैं. वे बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म निर्देशकों में शुमार हैं.

कहा जाता है कि राखी ने शादी के कुछ समय बाद ही गुलजार को छोड़ दिया था. इसका कारण ये बताया जाता है कि गुलजार नहीं चाहते थे कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करें. उसी समय राखी ने गुलजार को बिना बताए फिल्म कभी–कभी (1976) में काम करना का फैसला कर लिया. गुलजार इसके खिलाफ थे. इस बात से नाराज़ होकर राखी ने हमेशा के लिए गुलजार का घर छोड़ दिया. उस समय उनकी बेटी मेघना की उम्र महज एक वर्ष थी. तब से ही दोनों अलग रहते हैं. हालांकि दोनों ने अब तक एक दूसरे से तलाक नहीं लिया है. ■